खण्ड-178, अंक-5
शुक्रवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(7 सितम्बर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 178 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐकेडेमिक कौन्सिल को भंग करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३६२–३६५
भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित "रिलीजस लीडर्स" पुस्तक पर कानूनी राय के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	३६५–३६७
श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	३६७–३६८
उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक को शीघ्र कानून के रूप में लागू करने की मांग	३६८
इण्टरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया)..	३६८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद (जारी)	३६८–३८१
शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६ को बैठक करने तथा बिक्री-कर विधेयक पर भाषणों का समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	३८१–३८६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद (जारी)	३८६–४०७
नत्थियां	४०८–४३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त ,श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदायल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदायलु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह, विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री.
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मक्खीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखिरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री

रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टेहरी जिले की देवप्रयाग तहसील में बाढ़ से हानि

**१—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि टिहरी जिले की तहसील देवप्रयाग की कुछ पट्टियों में हाल १४ अगस्त रात को भीषण बाढ़ आने से बहुत भूमि, जन-धन, मकान और पशुओं की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण बताने की कृपा करेगी ?

माल उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां, ऐसी सूचना सरकार को मिली है हानि का विवरण संलग्न सूची में दे दिया गया है जो जिलाधीश की प्रारम्भिक रिपोर्ट पर आधारित है। हानि का सही तखमीना स्थानीय अधिकारियों द्वारा मौके की जांच के बाद मालूम होगा जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

**२—श्री सत्यसिंह राणा—उक्त बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायतार्थ सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बाढ़ पीड़ितों के लिये १०,००० रूपये अहेतुक सहायता तथा ४०,००० रू० तकावी के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। आवश्यकतानुसार बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में सहायता दी जायेगी। लोगों को काम देने के लिए टेस्ट वर्क खोले जाने के लिये फिल- हाल ५०,००० रूपये की मंजूरी दी जा रही है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार के पास सही रिपोर्ट इसलिये नहीं आयी कि अभी तक मौके पर कोई अधिकारी जांच के लिये नहीं गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरी-पूरी रिपोर्ट तो फ्लड आने के बाद ही आती है। पहले तो मोटे तौर पर तखमीना ही लगाया जाता है। सही-सही आंकड़े तो बाद ही में मालूम होते हैं जब मौके पर जांच की जाती है और फ्लड रिसीड हो जाता है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो वर्तमान स्थिति भुखमरी की वहां है उसमें सरकार लोगों को फ्री राशन सप्लाई करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, फेअर प्राइस शाप्स खोलने का इंतजाम किया जा रहा है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार ने इस संबंध में भी कोई निश्चय किया है कि जिन लोगों की भूमि बिलकुल नष्ट हो गयी है, उनको कुछ मुआविजा दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुआविजे का कोई सवाल नहीं उठता। लोगों को पुनर्वास करने की कोशिश की जायगी और उनको कहीं न कहीं जगह मिलेगी ही।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी जन-धन की क्षति हुई है, उसका संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हानि का विवरण इस प्रकार है—

प्रभावित ग्रामों की संख्या	..	७०
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल	..	२५० एकड़
हानि की अनुमानित मात्रा	..	२० लाख रूपया
क्षति ग्रस्त मकानों की संख्या	..	२ पक्के मकान तथा ७ पक्की गौशालायें नष्ट हो गयीं तथा कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए ।
जन हानि	..	१०
पशु हानि	..	८

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २० लाख रुपये की हानि किन-किन मदों में हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो सभी मदों में डैमेज हुआ है ।

श्री सत्यसिंह राणा—जिन लोगों को जन-धन, पशु और मकानों की हानि हुई है, उन को सरकार क्या सहायता देने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माल मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो व्यक्ति इस बाढ़ में मर गये हैं उनके परिवार वालों के लिये कोई धन देने की व्यवस्था भी सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो तकावी सरकार और लोगों को देती है वह उन लोगों को भी देगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो जमीन पहाड़ों से दब गयी है या बाढ़ से बिलकुल नष्ट हो गयी है, वह जिन लोगों की जमीन थी उन लोगों को कहीं दूसरी जगह जमीन देने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे लोगों को पुनर्वास कराये जाने की व्यवस्था की जायगी और दूसरी गांव समाजों की जो पड़ती जमीन होगी तो उसको दिलाने की कोशिश की जायगी ।

श्री सत्यसिंह राणा—चूंकि इस तरह की जमीन पहाड़ों में मिलना मुश्किल है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे क्षति-ग्रस्त लोगों को किसी अन्य जिले में बसाया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शायद वे लोग बाहर जाने को तैयार नहीं होते लेकिन ऐसे लोग तैयार हो जायं तो बहुत सी जमीनें होंगी, जैसे बुन्देलखंड के झांसी आदि जिले में भी जमीन मिल जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भविष्य में इस टेहरी जिले के देवप्रयाग तहसील के आस-पास की पट्टियों में जो यमुना नदी की बाढ़ आ जाती है, उसके कैचमेंट को रोकने के लिए कोई फ्लड कंट्रोल स्कीम बनाने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह इन्तजाम तो सारे सबे भर में हो रहा है, इस सिलसिले में यहां भी हो रहा है ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो पशुओं के लिये चारा दिया जाता था बिना भाड़े का वह इस वर्ष रेल भाड़ा के सहित दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यहां तो कोई चारे का प्रश्न नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या माननीय माल मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि जिन लिोगों को देहातो के अलावा शहरों में नुकसान पहुंचा ह उनको भी कोई इमदाद देने पर गवर्नमेंट गौर कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शहर में हुए नुकसान का कोई डैमेज नहीं दिया जाता है बल्कि तकावी वगैरह दी जाती है और जो बहुत गरीब हैं उनको मुफ्त भी कुछ दिया जाता है। वैसे तकावी भी दी जाती ह, रूल्स के अनुसार।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बाढ़ इस क्षेत्र में कितने दिनों बाद आयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार को विदित है कि कुछ गांव इस वक्त नदी के कटाव के कारण और जमीन के धंसने के कारण बिलकुल खतरे में हैं, उनको शीघ्र दूसरी जगह बसाने की योजना सरकार के पास है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी ऐसी कोई सूचना तो नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कहगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा, वैसे उनको दूसरी जगह बसाने की कोशिश तो की ही जा रही है।

तारांकित प्रश्न

शाप्स ऐण्ड कार्मशियल एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमे

*१—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के कितने दूकानदारों के ऊपर शाप्स एण्ड कार्मशियल एस्टैब्लिशमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत १९५४-५५ में मुकदमा चलाया गया ?

नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—१,१०६ दूकानदारों के विरुद्ध १,२५९ मुकदमे चलाये गये।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त ऐक्ट के अनुसार कितना रुपया जुर्माने के रूप में १९५४-५५ में वसूल किया गया ?

श्री बनारसीदास—२१,३४७ रु०।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो जुर्माने का रुपया वसूल किया गया, उनमें से दूकान दारों के नौकरों को जिनसे समय विरुद्ध काम लिया गया, कितना रुपया दिया गया ?

श्री बनारसीदास—इसकी सचना अलग से मेरे पास नहीं है क्योंकि भिन्न-भिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिये जुर्माना किया गया। यह तो तमाम तादाद दी गयी है जुर्माने की उसमें वह जुर्माना भी शामिल ह। यदि माननीय सदस्य अलग से चाहें तो उसकी सूचना बाद में दी जा सकती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जुर्माना कितने जिलों में हुआ है ?

श्री बनारसीदास--यह जितने समय के लिये माननीय सदस्य ने सूचना मांगी है उसी के अन्दर सन् १९५४-५५ के साल का ही विवरण उसमें दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के किन-किन शहरों के कितने दूकानदारों पर यह मुकदमा हुआ ?

श्री बनारसीदास--वैसे ठीक आंकड़े तो मैं इस वक्त नहीं दे सकता हूं, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है, लेकिन हमारे प्रदेश के प्रायः सभी नगरों में यह कानून लागू है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार जो जुर्माना दूकानदारों से वसूल किया गया है इस रुपये में से उनके नौकरों को भी जिनसे समय के विरुद्ध काम लिया गया है, दिलाने का विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास--इसका तो इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

कानपुर गार्जियन सोसाइटी का शिक्षा मंत्री को कथित शिकायती-पत्र

*३--श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--क्या यह बात सही है कि कानपुर गार्जियन (विद्यार्थी) सोसाइटी की तरफ से एक शिकायती गश्ती-पत्र दिनांक ३१-८-५५ को शिक्षा मंत्री की सेवा में भेजा गया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और अगर नहीं हुई तो क्या सरकार उस पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*४--श्री राजाराम शर्मा (जिला फैजाबाद)--[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५--श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद कम्पनी बाग की पब्लिक लाइब्रेरी

*६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के कम्पनी बाग में जो सरकारी पब्लिक लाइब्रेरी है उसको वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने का उसका इरादा है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

जौनपुर जिले में हरिजनों के लिये निर्मित कूप

*७--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सरकारी अनुदान से कितने कुयें हरिजनों के पानी पीने के लिये किस-किस तहसील में सन् १९५३-५४, सन् १९५४-५५ और सन् १९५५-५६ के मार्च तक बन चुके हैं ? क्या सरकार इसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक तहसील में कितने कुएं अभी बनने बाकी हैं और क्यों ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

हाई स्कूलों में सैनिक विज्ञान को मान्यता न देना

*९--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि हाई स्कूल में सैनिक विज्ञान को मान्यता न दी जाय ? यह आदेश कब जारी हुआ था ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, किन्तु १६ जुलाई, १९५४ से शासन ने ऐसी नीति अपनाई है कि हाई स्कूल में सैनिक विज्ञान को मान्यता न दी जावे।

*१०--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सन् १९५२ से जिन विद्यालयों में यह शिक्षा चल रही है और किन्हीं कारणों से विषय को नियमित करन में विलम्ब हुआ है, उनके लिये सरकार क्या नीति बरतना चाहती है ?

डाक्टर सीताराम--ऐसे विद्यालयों को आदेश दिया गया है कि इस विषय की कक्षायें बन्द कर दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले ५-६ सालों से जिन विद्यालयों में सैनिक शिक्षा चलाई जा रही है उन में स्थायी अध्यापक भी नियुक्त हो गए हैं और वहां के लड़कों के गार्जियन्स और शिक्षा चलाने वालों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना की है कि वहां की कक्षायें जारी रखी जायं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसी संस्थायें बहुत कम हैं, २५ या ३० होंगी। १२-१३ सौ में, बाज ने तो खोली ही नहीं हैं। थोड़ी सी ही ऐसी संस्था हैं जहां अभी वह बन्द नही हुई है लेकिन सरकार यह चाहती जरूर है कि वहां अब सैनिक शिक्षा न दी जाय।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सैनिक शिक्षा में मान्यता न देने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कारण यह है कि उनके पास ऐसी शिक्षा के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती और वह शिक्षा दे भी नहीं सकतीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जिन संस्थाओं में सैनिक शिक्षा ५-६ साल से दी जा रही है और शिक्षक स्थायी किए जा चुके हैं वहां सैनिक शिक्षा चलते रहने के सम्बन्ध में आदेश दए गए हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--भविष्य के लिए दिए गए हैं, उनके लिए नहीं दिए गए हैं कि वह बन्द कर दें लेकिन यह जरूर दिए गए हैं कि इस वक्त जो लड़के हैं वह पास हो जायं और आइन्दा न भर्ती किए जायं क्योंकि जो सैनिक शिक्षा के अध्यापक हैं वह सैनिक शिक्षा देने की योग्यता नहीं रखते।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो विद्यार्थी आज सैनिक शिक्षा पा रहे हैं उनसे कोई फीस भी ली जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई अलग फीस नहीं है, जो स्कूल की फीस है वही ली जाती होगी।

फैजाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज में जगह की कमी

*११—श्री व्रजवासीलाल (जिला फैजाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री यह जानते हैं कि फैजाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज की इमारत में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये बहुत कम जगह है?

डाक्टर सीताराम— जी हां।

*१२—श्री व्रजवासीलाल—अगर हां, तो क्या शिक्षा मंत्री उस इमारत में पढ़ाई के लिए और जगह बढ़ाने के लिए शीघ्र प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न विचाराधीन है।

प्राइमरी पाठशालाओं की कक्षा १ से ३ तक फीस मुआफी का आदेश

*१३—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्डों के पास क्या कोई ऐसा आदेश गया है कि वे प्राइमरी पाठशालाओं की कक्षा १ से ३ तक की फीस माफ कर दें? यदि हां, तो कब?

डाक्टर सीताराम—जी हां, यह आदेश १ अगस्त, १९५६ को निर्गत किया गया है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या मंत्री जी भेजे गये आदेश का सारांश बताने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—उनसे कहा गया है कि आप अपने यहां दर्जा १–३ तक फीस न लीजिए और क्षति का हिसाब भेजिए। अभी हिसाब बहुत सी जगह से नहीं आया है लेकिन फिर भी एक एडहाक तरीके पर जिला बोर्डों को सरकार ने रुपया दे दिया है जिससे कि वे अपने यहां टीचर्स को वेतन दे सकें।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि फीस माफी से जो बोर्डों को घाटा होगा उसकी पूर्ति कैसे होगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह तो घाटे का सवाल नहीं है, जो कुछ फीस से उनको मिलता वह तो सरकार देगी।

*१४—श्री नागेश्वर द्विवेदी—[२८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सब–डिप्टी इन्सपेक्टरों के स्थानों पर नियुक्तियां

*१५—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को एस० डी० आई० (सब डिप्टी इन्सपेक्टर) की जगहें किस अनुपात से मिलती हैं और इस समय उनका क्या अनुपात है?

श्री हरगोविन्दसिंह—१० प्रतिशत। इस समय भी यही अनुपात है।

शिक्षा प्राप्ति में अधिक सुविधायें देने की मांग

*१६—श्री रामसेवक यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार काश्मीर और मध्य भारत की तरह यहां भी शिक्षा में अधिक सुविधायें और सेकेंडरी शिक्षा मुफ्त दिये जाने पर विचार कर रही ह ?

श्री हरगोविन्दसिंह—काश्मीर और मध्यभारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्या-क्या सुविधायें दी हैं इसके बारे में शासन को कोई ज्ञान नहीं है ।

*१७—श्री रामसेवक यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करके वह सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों का भेद मिटाये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह— जी नहीं ।

*१८-१९—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (अनुपस्थित)—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२१—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२—श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)—[२९ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिए स्थगित किया गया ।]

हिन्दी लेखकों को पुरस्कार

*२५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछले चार वर्षों में हिन्दी पुस्तकों के किन-किन लखकों की किन-किन पुस्तकों पर कितना-कितना पुरस्कार दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०९—४२० पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी इस तालिका को सदन की जानकारी के लिये पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत बड़ी है, मैं इसके पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा, यह कोई १०-१२ सफे की है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पुरस्कार देने वाली कमेटी है उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

डाक्टर सीताराम—(१) डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, (२) डा० धीरेन्द्र वर्मा, (३) डाक्टर नगेन्द्र, (४) डाक्टर जगन्नाथप्रसाद शर्मा, (५) डाक्टर एन० के० सेठी और (६) श्री वियोगी हरि ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सबसे अधिक पुरस्कार किस पुस्तक के लेखक को दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--एक हजार, ग्यारह सौ मैग्जिमम है, इसमें बहुत से हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो पुस्तकों पर पुरस्कार दिये जाते हैं वह प्रदेश के लेखकों तक ही सीमित हैं या प्रदेश के बाहर भी, देश भर में या देश के बाहर के भी जो कोई हिन्दी साहित्य सेवी लेख या पुस्तक लिखते हैं उन सब के लिये दिये जाते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--प्रदेश के बाहर वालों को भी। इस मामले में यह प्रादेशिक सरकार संकीर्ण नहीं है। जो पुस्तकें अच्छी होती हैं, चाहे वह बाहर के लेखकों की भी हों, उनको भी पुरस्कार दिये जाते हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या अनुवाद की हुई पुस्तकों को मौलिक पुस्तकों से तरजीह दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, मौलिक पुस्तकों को अधिक दिया जाता है, अनुवाद वालों को नहीं दिया जाता।

जौनपुर के राजा श्रीकृष्णदत्त इण्टर कालेज का अनुदान बन्द करना

*२६--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के राजा श्रीकृष्णदत्त इन्टर कालेज को सरकार से कितनी वार्षिक ग्रान्ट मिलती थी और वह कब से और क्यों बन्द कर दी गई है ?

डाक्टर सीताराम--राजा एस० के० दत्त तथा जौनपुर राजा पी० एन० जी०, हायर सेकेंडरी स्कूल, जौनपुर, को निम्नलिखित वार्षिक अनुदान १९५५-५६ में दिया गया था :--

(१)	अनुपालन अनुदान ..	१९,३५६ रु०।
(२)	महगाई भत्ता अनुदान ..	४५० रु०।
(३)	बिशेष वेतन वृद्धि अनुदान ..	१,३५६ रु०।
(४)	कक्षा ११ तथा १२ में शुल्क छूट अनुदान	२,३८८ रु०।

वर्तमान वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के आरम्भ से अनुशासन-हीनता के कारण अनुदान स्थगित है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री इस स्कूल के सम्बन्ध में अनुशासन-हीनता का विवरण देने की कृपा करेंगे और क्या यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अनुशासन-हीनता की शिकायत उनको कहां से प्राप्त हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--डी० आई० ओ० एस० और डायरेक्टर से यह अनुशासन-हीनता की बात मालूम हुई और वहां के कुछ टीचर्स कुछ अनुशासनहीनता में पकड़े भी गये, उन पर मुकदमा भी चल रहा है और अब बेल पर बाहर हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुशासन-हीनता में जो ग्रान्ट बन्द कर दी गई है या बन्द कर दी जाती है वह यूनिवर्सिटीज पर भी लागू है या खाली हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट पर ही यह नियम लागू है ?

श्री हरगोविन्दसिंह——यह लागू तो सभी के लिये हो सकता है जैसे इंटरमीडियेट के लिये वैसे यूनीवर्सिटी के लिये। लेकिन अभी तक यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है।

श्री राजनारायण——क्या सरकार को पता है कि जिन अध्यापकों पर अनुशासन-हीनता का आरोपण किया गया उसमें एक बात कही गई थी कि उन्होंने जनसंघ की मीटिंग अटेंड की और उन अध्यापकों ने जिनको चार्जशीट दी गई है उन्होंने साफ लिखा है कि हमने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह——जी नहीं, आपकी इत्तिला जो है वह अपूर्ण है।

श्री राजनारायण——जिन दो अध्यापकों पर चार्जशीट लगाई गई थी उन्होंने जो जवाब दिया है क्या सरकार कृपा कर उसको टेबिल पर रक्खेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह——जो जवाब दिया मैं समझता हूं कि वह मौजूद है। मामला जहां तक मैं जानता हूं, सबजूडिस है, इसलिये मैं इस पर इस समय कुछ कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष——कोर्ट में केस है ?

श्री हरगोविन्दसिंह——कोर्ट से बेल पर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि तिलकधारी इंटरमीडियेट कालेज में अध्यापकों ने क्या अनुशासनहीनता की ?

श्री अध्यक्ष——उसका नाम तिलकधारी नहीं है। आप नाम ठीक से लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——जौनपुर के जिस स्कूल के सम्बन्ध में यह प्रश्न है, उसके अध्यापकों ने क्या अनुशासनहीनता की ?

श्री हरगोविन्दसिंह——वह शहर में घूम-घूम कर हड़ताल करा रहे थे। यही नहीं, कुछ गाड़ियों पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, शायद इसी में वह गिरफ्तार भी हुए थे।

श्री राजनारायण——क्या सरकार को पता है कि जब सारे प्रदेश में बिक्री-कर विरोधी आन्दोलन चल रहा था उसी के सिलसिले में जौनपुर में एक हड़ताल आयोजित थी और उन अध्यापकों पर केवल यही चार्ज लगाया गया कि जौनपुर में उस समय हड़ताल के सम्बन्ध में जो मीटिंग हुई उसमें वे सम्मिलित थे और प्रिंसिपल ने जांच करके यह लिख दिया कि वे उपस्थित नहीं थे तिस पर भी उन पर यह कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह——हां, लेकिन स्कूल हड़ताल के लिये नहीं होता। इसलिये ग्रान्ट बन्द कर दी गई।

श्री व्रजभूषण मिश्र——क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यूनीवर्सिटीज पर यह नियम लागू नहीं है ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह——जी, मैंने यह नहीं कहा कि यूनीवर्सिटीज पर यह नियम लागू नहीं है। सरकार जो यूनीवर्सिटीज को अनुदान देती है वह चाहे तो न दे, लेकिन अभी मैंने यह कहा कि शायद यूनीवर्सिटीज के अन्दर यह बन्द नहीं की गई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह जानकारी रखती है कि ११ अप्रैल, १९५६ को जब मुख्य मंत्री जौनपुर गये थे और वहां हड़ताल हुई थी तो उस सम्बन्ध में इस स्कूल का केवल एक मास्टर श्री कैलाशपति गिरफ्तार हुआ था। उस पर चार्ज लगाया गया और उसको स्कूल के अधिकारियों ने २८ मई सन् १९५६ को ही अलग कर दिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो मुझे पता नहीं कि अलग किया या नहीं, लेकिन यह मैं जनता हूं कि वह टीचर और शायद एक दो और उसमें पकड़े गये थे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिस समय यह हड़ताल हुई थी उस समय विद्यार्थियों का इम्तहान हो रहा था और स्कूल के जितने टीचर थे वे कहीं न कहीं इन्विजिलेटर का काम कर रहे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं। उस दिन द्वारकाप्रसाद मौर्य जी भी वहां मौजूद थे। शायद शहर में घूम भी रहे थे लेकिन हम लोगों के साथ नहीं। मैंने खुद देखा कि दो तीन टीचर्स वहां ऐसे थे जो घूम घूम कर हड़ताल करा रहे थे। इम्तहान में इन्विजिलेटर थे या नहीं यह मैं नहीं जानता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अध्यापक यह हड़ताल करा रहे थे यह हड़ताल किस दिन हुई और किस उपलक्ष में हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, उस रोज हुई जिस रोज वहां मुख्य मंत्री जी पधारे थे।

श्री झारखंडेराय—क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की भी शिकायत मिली कि यह कालेज जनसंघ की कार्यवाहियों का केंद्र हो गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, उसके पहले से भी मैं यह जानता था कि वह स्कूल जन-संघ का केंद्र है और उसकी शिकायतें उसके पहले से भी हमारे डाइरेक्टर के यहां से आयी थीं कि यह स्कूल जनसंघ का केंद्र है और उसी कारण बल्कि वहां पर फिजिकल ट्रेनिंग भी होती थी, वह हमारे डाइरेक्टर ने यह कहा कि चूंकि जनसंघ का केंद्र है यह और यहां से जो टीचर पास होकर जायेंगे वह उनको जनसंघ की ट्रेनिंग भी दी जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग जनसंघ के तरीके की जो कि शाखा में दी जाती है वह उनको दी जाती है, इसलिये उसको तोड़ दिया गया है और इस घटना के बाद उनका अनुदान भी बन्द कर दिया गया।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दो अध्यापक जिन्होंने अनुशासनहीनता की और उसके कारण उनके ऊपर मुकदमा वगैरह भी चल रहा है तो फिर उस स्कूल की ग्रांट क्यों बन्द कर दी गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां तक विभाग को सूचना है उस स्कूल के बारे में वहां कोई अध्यापक मुकर्रर नहीं हो सकता जब तक कि वह आर० एस० एस० का न हो।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब उन्होंने तीन अध्यापकों को स्वयं हड़ताल आर्गेनाइज करते हुये देखा तो उन तीन अध्यापकों के खिलाफ कोई शिकायती रिपोर्ट कहीं लिखायी और यदि लिखाई तो केवल एक ही के ऊपर कार्यवाही क्यों की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने तो कहा जहां तक मुझे इत्तिला है वह तीनों के ऊपर की गई है और किसी को उन्होंने डिसमिस किया है, कोई पकड़ा गया है इस तरह से है। लेकिन अध्यापक तो उसमें और भी हैं।

*२७-२८—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९-३१—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३३—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४—श्री रामचन्द्र विकल—[५ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा कमिश्नरी में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*३५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी के पांचों जिले में में कितने हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृतियां दी जाती हैं, और उनमें प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम—छात्रवृत्तियों की कोई एक संख्या स्थायी रूप से निर्धारित नहीं की गई है। चालू वर्ष में प्राइमरी से लेकर इंन्टर तक की कक्षाओं में ७९९ छात्रवृत्तियां दी जायेंगी और उन पर ९९,९८४ रु० व्यय होगा। इससे ऊपर की कक्षाओं की छात्र-वृत्तियों के लिए समस्त प्रदेश के छात्रों में से चुनाव होगा। इसलिये कहा नहीं जा सकता कि उसमें आगरा कमिश्नरी के कितने छात्र होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या जो चुनाव किया जाता है उसमें जिला या कमि-श्नरी का भी ध्यान रखा जाता है या केवल जो साधारण कसौटियां हैं उन्हीं के आधार पर चुनाव होता है ?

डाक्टर सीताराम—उस जिले के छात्रों की संख्या पर विचार करके दिया जाता है।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश दिये गये हैं जिनमें यह लिखा गया हो कि प्रत्येक लड़की को छात्रवृत्ति दी जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां। ऐसा तो नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि पिछड़ी हुई शिड्यूल्ड कास्ट्स की सभी लड़कियों को छात्रवृत्ति दे सकें। उसका इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री तुलाराम रावत—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिन कक्षाओं में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है उन कक्षाओं में छात्रवृत्ति लड़कों को नहीं मिल पाती ?

श्री हरगोविन्दसिंह—कुछ यह तो नहीं है कि सबको छात्रवृत्ति मिलती हो। फीस तो सबकी माफ रहती है लेकिन छात्रवृत्ति सभी को नहीं दी जाती। तो यह प्रश्न तो नहीं उठता, लेकिन लड़कियों का जहां तक संबंध है हम इस बात का प्रत्यत्न कर रहे हैं कि हरिजन लड़कियां जो हैं वह किसी कक्षा में क्यों न हों हम उनको छात्रवृत्ति दें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो हरिजन कमेटियां जिलों में बनी हैं उनसे भी राय ली जाती है ?

डाक्टर सीताराम—जिले में जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह जिला हरिजन सहायक कमेटी की ओर से दी जाती है लेकिन डी० एस० आई० ओ० पर यह प्रतिबन्ध नहीं है कि जो वह संस्तुति दें उसको वह बिलकुल मान ही लें लेकिन फिर भी उनकी राय की कद्र की ही ही जाती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हर कक्षा की हर छात्रा को वजीफा मिल सके इसकी व्यवस्था वह इस वर्ष से ही कर रहे हैं या अगले वर्ष से करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अगर यह धनराशि अधिक नहीं हुई तो शायद हम इसको इसी साल दे सकेंगे।

गोरखपुर का मूक बधिर व अन्ध विद्यालय

*३६—**श्री रामसुन्दरराम** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मूक अन्ध विद्यालय कब से चल रहा है ?

श्री बनारसीदास—इस विद्यालय की स्थापना २१ नवम्बर, १९५५ ई० को हुई थी।

*३७—**श्री रामसुन्दरराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालय में कितने मूक और कितने अंधे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—मूक बधिर विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष १५ थी। अन्धों की शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय में नहीं है।

*३८—**श्री रामसुन्दरराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालय में प्रति वर्ष कितना धन सरकार का व्यय होता है ?

श्री बनारसीदास—गत वर्ष २,००० रुपये का अनुदान विद्यालय को इस विभाग से दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस वर्ष १,००० रुपये की धनराशि विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा सहायता के रूप में स्वीकृत की गयी है।

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो मूक बधिर भर्ती किये जाते हैं उनके भर्ती करने का तरीका क्या है ?

श्री बनारसीदास—शर्त क्या हो सकती है ? जो मूक बधिर होते हैं वह भर्ती किये जाते हैं।

श्री रामसुन्दरराम—जो मूक बधिरों को शिक्षा दी जाती है तो वहां के अध्यापकों की संख्या क्या है ?

श्री बनारसीदास—यह जो विद्यालय वहां पर कायम है सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। सरकार ने तो इसको एक अनावर्त्तक अनुदान दिया है गत वर्ष में, और इस वर्ष में तो संख्या का कोई पता नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन लोगों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है और कौन सी दस्तकारी सिखाई जाती है ?

श्री बनारसीदास—पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और अभी यह विद्यालय तो वहां के नागरिकों की तरफ से अभी नया शुरू किया गया है। जैसा कि अभी इसके अन्दर बतलाया गया, यह नवम्बर के महीने में शुरू हुआ था, लेकिन वास्तव में इसका कार्य फरवरी, १९५६ से ही शुरू हुआ है।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार उक्त विद्यालय को रिकरिंग अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—अभी तो यह नया शुरू किया गया है। वैसे कुछ लोगों की मांग यह भी थी कि गोरखपुर में सरकार की तरफ से मूक बधिर लोगों का विद्यालय कायम किया जाय, तो उस पर सरकार ने विचार किया और वहां के नागरिकों की तरफ से भी इस बात का आवेदन-पत्र भेजा गया कि इस विद्यालय को सरकार ले ले और सरकार एक अपना विद्यालय शुरू करे। तो अभी केवल १५ विद्यार्थी भर्ती है। इसकी प्रगति को देखकर विचार किया जायगा कि अधिक अनुदान दिया जाय।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार के पास मूक बधिर विद्यालय कमेटी की ओर से होस्टल के लिये, अब विद्यार्थियों को बढ़ाने की बाबत सुन कर कुछ रुपये की मांग आयी है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, इस तरह के विद्यालय हमारे प्रदेश में और भी कई जगह हैं। गोरखपुर के लिये अवश्य एक मांग आयी थी तो उसके बारे में गवर्नमेंट ने विचार भी किया, लेकिन अभी तक कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं हो पाया है कि इस वित्तीय वर्ष में कोई विद्यालय स्वीकार किया जा सके। वहां के नागरिकों ने जिस विद्यालय को मंजूर किया उसी को सरकार अनुदान दे रही है।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार इस वर्ष मूक बधिर विद्यालय कमेटी की प्रार्थना पर कितना रुपया देने जा रही है, कुछ बताने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास---यह तो कहना कठिन है। यह तो बतलाया गया कि एक हजार रुपया शिक्षा विभाग की तरफ से स्वीकार किया जा चुका है और समाज-कल्याण विभाग के सामने भी उनका प्रार्थना-पत्र है, तो यह इस वक्त में बतलाना कठिन होगा कि कितना रुपया उनको दिया जायगा।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी भी योजना है कि मूक बधिरों को काटेज इंडस्ट्री की भी कोई शिक्षा दी जाय ?

श्री बनारसीदास---वैसे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कि उनको गृहद्योग की शिक्षा दी जाती है, तथा प्रदेश में कितने मूक बधिर हैं इस प्रकार का न तो कोई सर्वे कराया गया है और न कोई योजना ही बनायी गयी है कि उन सबको गृहद्योग सिखाया जाय। लेकिन जहां पर विद्यालय है वहां पर उनको जरूर शिक्षा दी जाती है।

झांसी डिवीजन में हरिजनों के लिए ट्रेनिंग स्कूल की मांग

*३९---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार बुन्देलखंड झांसी डिवीजन में हरिजनों के लिये ट्रेनिंग स्कूल जैसा कि बख्शी तालाब पर है, खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रश्न के ऊपर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केंद्र खोले जायेंगे लेकिन कहां खोले जायेंगे यह तो अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

अलीगढ़ के किले का प्रयोग

*४०---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ के किले की पक्की खाई और अन्दर बनी इमारतों तथा उसके खेतों का उपयोग कौन कर रहा है ?

डाक्टर सीताराम---इस किले का उपयोग अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर रहा है।

नोट---तारांकित प्रश्न ४० श्री नेत्रपालसिंह ने पूछा।

*४१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त स्थानों के उपयोग न होने की हालत में उसे वापिस ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

*४२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस ऐतिहासिक स्थान को एक प्रदर्शनात्मक तथा मनोरंजनार्थ सुरम्य स्थान के रूप में निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना है ?

डाक्टर सीताराम--यह किला राष्ट्रीय स्मारक होने के कारण केंद्रीय सरकार के अधीन है। अतः प्रादेशिक सरकार कुछ कहने में असमर्थ है।

श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार को यह बात विदित है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो खेत इधर-उधर के ले रखे हैं उससे उन काश्तकारों का बड़ा नुकसान हो रहा है और उनकी दरख्वास्त आयी है कि अगर यूनिवर्सिटी उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है तो यह खेत उनको दे दिये जायं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हमारे यहां कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई।

आगरा में राजकीय पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य

*४३--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में किन-किन प्रकाशकों को कौन-कौन पुस्तकें प्रकाशन के लिये इस वर्ष दी गई हैं ?

डाक्टर सीताराम--एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२१ पर)

*४४--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि आगरा में कई प्रकाशक ऐसे हैं, जिनके मालिक एक ही हैं परन्तु वह कई-कई नामों से अलग अलग प्रकाशन देते हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसकी विभाग को कोई निश्चित सूचना नहीं है।

*४५--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--प्रकाशन कार्य में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया गया है और प्रदेश में कितनी सहकारी संस्थाओं को प्रकाशन कार्य दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--कुछ नहीं किया गया और किसी को नहीं दिया गया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के प्रकाशकों की जांच करवायेंगे जिन्होंने भिन्न भिन्न नामों से प्रकाशन किया है और अगर उनको इस बात का प्रमाण मिल जाय तो क्या उनके लिये वह कुछ दंड की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--अभी किसी के विरुद्ध कोई आवेदन पत्र नहीं आया है, लेकिन अगर आयेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

नोट--तारांकित प्रश्न ४१-४२ श्री नेत्रपाल सिंह ने पूछा।
तारांकित प्रश्न ४३-४५ श्री जगन्नाथमल्ल ने पूछे।

प्रकाशकों द्वारा नयी संस्थाओं के नाम से पुस्तक प्रकाशन

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से प्रकाशकों ने नयी संस्थाओं के नाम से पुस्तकें स्वीकृत कराई हैं तथा उनकी एजेंसी लेकर ऐसी पुस्तकों का विक्रय कर रही हैं?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हरगोविन्दसिंह--उन्होंने यह तो कोई अनुचित बात नहीं की है। जूनियर हाई स्कूल की किताबें मांगी गईं तो उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं था और कोई भी प्रकाशक या लेखक कोई भी किताब दे। एक ही विषय की बहुत सी किताबें आईं और उनका रिव्यू हुआ और जो किताब स्वीकृत हुई वही चल रही है। यह कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि एक ही आदमी एक ही किताब एक नाम से दे। कोई किताब दे सकता था, प्रकाशक दे सकता था, आथर दे सकता था। लिहाजा प्रकाशकों तथा आथरों ने कई विषयों में किताबें दीं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या मंत्री जी को मालूम है कि कोई संस्था नहीं थी फिर भी गलत नाम से किताबें बेची गई हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसमें मैं समझता हूं कि कोई प्रश्न नहीं उठता है। जिनकी किताबें स्वीकृत हुई हैं वह स्वयं बेच सकते हैं, एजेंटों के द्वारा बेच सकते हैं। एक के नाम पर ऐजेंसी दे सकते हैं और दूसरे के नाम से एजेंसी कर सकते हैं। जो किताब स्वीकृत करना है उसका कैसे भी वितरण हो, इससे विभाग का कोई संबंध नहीं होता है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--इन सब बातों के होते हुये भी क्या मंत्री जी को मालूम है कि बाजारों में पांचवें और छठे दर्जे की किताबें नहीं मिल रहीं हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--मेरा ख्याल यह है कि पांचवें दरजे की किताबें दूसरी होती हैं और छठे की दूसरी होती हैं। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि प्राइमरी सेक्शन की किताबों की कमी है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि बाजार में ५,६ और ७ क्लासेज की किताबों की बहुत बड़ी कमी है जिससे विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, हमने व्यवस्था यह की है कि हर हफ्ते डी० आई० ओज० इत्तिला भेज दिया करें और वह इत्तिला आती रहती हैं और उनसे कोई कमी नहीं मालूम हो रही है।

---

३ अगस्त, १९५६ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

श्री अध्यक्ष--माननीय श्रम मंत्री जी पहले अपने उत्तरों की दुरुस्ती पेश करेंगे।

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, श्री रामसेवक यादव द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ के सम्बन्ध में दिनांक ३ अगस्त को श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि उन जिलों में जहां मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है वहां कितने एकड़ के फार्मों में काम करने वाले मजदूरों

†३ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में संशोधन किया गया।

[श्री बनारसी दास]

पर लागू है। उत्तर में माननीय श्रम मंत्री ने कहा कि मालूम होता है कि १२ जिलों में सभी फार्मों पर लागू है और अन्य जिलों में केवल २५ एकड़ के फार्मों पर लागू है। इसमें कुछ गलती है। वास्तव में अन्य जिलों में यह ऐक्ट ५० एकड़ या इससे अधिक के फार्मों पर लागू है। यानी १२ जिलों में तो सभी फार्मों पर व अन्य जिलों में (चार पहाड़ी जिलों यानी अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल व नैनीताल को छोड़कर) ५० एकड़ व इससे बड़े फार्मों पर यह ऐक्ट लागू है। माननीय मंत्री के उत्तर में कृपया ऐसा संशोधन कर लिया जाय।

२७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न ३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, २७ अगस्त को श्री रामचन्द्र विकल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के समय श्री तुलाराम रावत ने एक अनुपूरक प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कहा गया था कि चकबन्दी अधिकारी (C. O.) के लिये किसी हरिजन का प्रार्थना-पत्र नहीं आया, क्योंकि जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार लिये गये थे वह लोग पंजाब की ट्रेनिंग पाये हुए थे। उनमें हरिजन कोई भी नहीं था। परन्तु वास्तव में स्थिति यह है कि उनमें से दो व्यक्ति हरिजन थे। इसी प्रकार उत्तर के अन्त में जो यह कहा गया था कि १९५६ में २,०८६ प्रार्थना-पत्र आये, जिनमें पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की संख्या ३३ थी। यह संख्या ३३ नहीं बल्कि ३५ थी।

श्री राजनारायण एवं श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। वह श्री राजनारायण तथा श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में था। उस सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि मैं कोर्ट का फैसला देखूंगा। उस सम्बन्ध में मैंने जज का फैसला देखा। विशेषाधिकार का प्रश्न केवल तब उठ सकता है जब कि गिरफ्तारी करने में कोई बदनियती की बात हो और वह भी निश्चित अदालत की जजमेंट में आ जाय। इसलिये मैंने फैसले को देखने की कोशिश की। यदि फैसले में बदनियती से गिरफ्तारी की बात सिद्ध होकर उसमें जिक्र आ गया होता तब तो विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है। जब सूचना गिरफ्तारी की अध्यक्ष को न दी गयी हो तो भी अवहेलना हो जाती। बस केवल इतना ही अधिकार फौजदारी के मामले में इस सदन को है कि गिरफ्तारी की सूचना उसको मिल जाय अपने अध्यक्ष की मार्फत। अगर यह सूचना न दी गयी होती तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता। दोनों मामलों में वह सूचना मुझे मिल चुकी है। मैंने सिर्फ यह प्रश्न इसलिये उठाया कि श्री राजनारायण जी जज के फैसले द्वारा छोड़ दिये गये। इसलिये यह प्रश्न जरा महत्व का हो गया। इस बात की सूचना प्राप्त करने के बारे में कि क्या जज ने अपने फैसले में गिरफ्तारी को बदनियती से किये जाने का जिक्र किया है या नहीं, इसलिये मैंने उस फैसले की नक़ल

---

* २७ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में शोधन किया गया।

मंगायी। उसमें देखा कोई मेलाफाइडी कार्यवाही दिखाई नहीं दी। हां, श्री राजनारायण जी अन्य कारणों से छोड़ दिये गये। उनकी शहादत मैजिस्ट्रेट ने इस विषय में नहीं ली कि १४४ दफा लगाने की आवश्यकता थी या नहीं। यह तो केवल अदालती मामला है किसी अवैधानिकता के आधार पर जज जो चाहे फैसला करे, लेकिन जहां तक गिरफ्तारी की सूचना का प्रश्न है वह मुझे मिल चुकी थी और अदालत ने इस किस्म का कोई रिमार्क नहीं दिया कि मेलाफाइडी इन्टेन्शन से गिरफ्तारी की गयी थी। इसलिये इन घटनाओं से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्राइमाफेसी केस सिद्ध नहीं होता।

भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'रिलीजस लीडर्स' पुस्तक के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक काम रोको प्रस्ताव पालीवाल जी का है। उस सम्बन्ध में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि मुझसे बात कर लें। उन्होंने मुझसे इस सम्बन्ध में कल शाम को बात की थी। मैं उस कामरोको प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता हूं और फिर अपना निर्णय उसके बाद दे दूंगा—

"भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रकाशित रिलीजस लीडर्स नाम की किताब में हजरत मुहम्मद की जीवनी और चरित्र के सम्बन्ध में कही हुई अपमानजनक और लोगों की पवित्र तथा धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाली बातों से जनता में जो सख्त नाराजगी फैली है उसके सिलसिले में प्रादेशिक सरकार द्वारा अपने कर्तव्य पालन में की गई देरी और लापरवाही के कारण मसलन सरकारी आदेश से प्रदेश में किताब का छपना, बेचना, रखना आदि कानूनी जुर्म करार न दिये जाने, जल्दी से जल्दी कानूनी सलाह लेकर कानूनी कार्यवाही न किये जाने तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषप्रद वक्तव्य भी न दिये जाने के कारण प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था को एवं सरकार के धर्मनिर्पेक्ष रूप के सम्बन्ध में जनता की धारणा को जो खतरा पैदा हो गया है उससे पैदा हुई विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन का कार्यस्थगन किया जाता है।"

इस विषय के सम्बन्ध में मैंने पहले एक फैसला दे दिया था कि इस विषय पर यदि चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि बहुत से प्रश्न खड़े हो सकते हैं और माननीय सदस्य उन वाक्यों का उद्धरण देकर जो उस पुस्तक में दिये हुए हैं यह भी कह सकते हैं कि उसमें ऐसी कोई अपमानजनक या गन्दी बात नहीं है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। उस विषय पर सदन में चर्चा होगी, इसलिये मैंने उसकी इजाजत नहीं दी। माननीय सदस्य खुद नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की चर्चा सदन में हो। यद्यपि इस प्रस्ताव को दूसरे शब्दों में उन्होंने रखा है, तिस पर भी मेरा मत वही है कि इस प्रकार बहस अवश्य उठ खड़ी होगी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अधिक देरी की, यह एक अनिश्चित सा प्रश्न है और यदि इस विषय में यह भावना माननीय सदस्य की है कि बहुत देरी हुई तो सैन्शयोर का मोशन एक रिजोल्यूशन के रूप में वे ला सकते थे। काम रोको प्रस्ताव के द्वारा इस बात को सदन में नहीं लाया जा सकता।

इन कारणों से मैं इसके उपस्थित करने की इजाजत तो नहीं देता हूं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि कानूनी राय लेकर शीघ्र उसकी सूचना वे सदन में पेश करेंगे। इसलिये अन्य कामरोकों प्रस्तावों पर निर्णय देने के बाद मैं इस बात की उन्हें इजाजत दूंगा और उनसे कहूंगा कि यदि वह यह सूचना देना चाहें कि उन्हें कानूनी राय क्या मिली है तो वे उसे सदन में उपस्थित करें।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा प्रस्ताव राजनारायण जी का इसी सम्बन्ध में है। उस पर भी यही निर्णय है कि वह उपस्थित नहीं किया जा सकता है।

श्री राजनरायण (जिला वाराणसी)---कृपया उसे पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष---यह इस प्रकार है---'लिविंग बायोग्राफी आफ रिलीजस लीडर्स' नामक पुस्तिका जिसमें पैग़म्बर मुहम्मद साहब के सम्बन्ध में अभद्र तथा आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, के विरुद्ध सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध होने तथा बड़ी-बड़ी सभाओं द्वारा उस पुस्तिका का वितरण और प्रयोग बन्द कराने की मांग होने के बावजूद भी प्रान्तीय सरकार ने अब तक उस पुस्तिका पर रोक न लगा कर ऐसी विषम परिस्थिति पैदा कर दी है जिस पर विचार करना जन-हित तथा व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक हो गया है। अतः यह सदन उपर्युक्त पुस्तिका पर सरकार द्वारा रोक न लगाने की नीति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसको भी मैं नामंजूर करता हूं। इसका एक और भी विशेष कारण है कि यह प्रश्न अब जीवन नहीं रखता है जब कि प्रकाशकों ने स्वयं उस पुस्तिका को वापस ले लिया है और खेद प्रकट कर दिया है। अब इस प्रस्ताव की अर्जेन्सी भी नहीं रह जाता है।

गोंडा जिले में रूसे डाकू के आतंक से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री बलदेवसिंह जी ने दिया है, वह इस प्रकार है---

"गोंडा जिले के अन्दर डाकुओं द्वारा की जाने वाली डाकों तथा हत्याओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रूसे डाकू का आतंक इतना बढ़ गया है कि उसके द्वारा ६ व्यक्तियों की हत्या होने और सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस उसे पकड़ सकने में असमर्थ है। पुलिस की लापरवाही तथा उदासीनता के कारण ही रूसे ने गत दो सितम्बर को श्री प्रयागदत्त जी कटरा जगदीशपुर को और ५ सितम्बर को श्री कुटई मुराऊ, खिरीडिहा का क़त्ल कर डाला और आगे भी अन्य लोगों के साथ-साथ ऐडहाक कांग्रेस कमेटी गोंडा के अध्यक्ष को भी मार डालने की धमकी दी है। पुलिस की जानकारी में रूसे डाकू के आतंक ने ऐसी विषम परिस्थिति पैदा कर दी ह कि जिससे सम्पूर्ण जिले में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सारा वातावरण क्षुब्ध हो उठा है। अतः यह सदन पुलिस अधिकारियों की उदासीनता-जन्य विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में मैंने एक दिन माननीय सदस्य को इजाजत दे दी थी कि सदन की अनुमति इस विषय पर चर्चा करने की ले लें। सदन ने अनुमति नहीं दी। तो एक ही प्रश्न के ऊपर दोबारा दो चार दिन में ही वही प्रश्न उठाने की, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल को भंग करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री नारायणदत्त तिवारी का एक कामरोको प्रस्ताव है। "यह सदन लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् (एकेडेमिक कौन्सिल) को सरकार के असाधारण गजट में ३१ अगस्त, १९५६ को प्रकाशित आर्डर द्वारा अकस्मात् एवं अकारण भंग कर दिये जाने तथा संबंधित सरकार द्वारा बनाये गये स्टेट्यूट्स को सदन की मेज पर विचारार्थ न रखे जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके बारे में उन्हें कोई आपत्ति है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--इसके सम्बन्ध में मुझे यह आपत्ति है कि चाहे यह डेफीनिट भले ही हो, लेकिन न अरजेन्ट है और न पब्लिक इम्पार्टेन्स का है। जो ऐक्ट पास हुआ था उसमें यह आवश्यक नहीं था कि सब स्टेट्यूट्स लेजिस्लेचर के सामने रखे जावें। इस स्टेट्यूट्स को भी, मेरा ख्याल है, ८-९ महीने लागू हुए हो गये, तो यह रीसेन्ट भी नहीं हो सकता है। ऐक्ट में और स्टेट्यूट्स में यह रखा गया कि जब नये ऐक्ट के अनुसार कोई बाडी बन जाय तो जो उस स्थान पर पुरानी बाडी थी वह स्वतः खत्म हो जाती है। यह ऐकेडेमिक काउन्सिल बन गई, लिहाजा पुरानी जो उसके स्थान पर थी वह नहीं रहेगी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अकस्मात् हुई हो। चूंकि इतने दिन से स्टैटचूट्स चले आ रहे थे और पुरानी बाडी बन गई और दूसरी उसके स्थान पर आ जायगी....

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) अर्जेन्सी और पब्लिक इम्पोर्टेन्स के बारे में आप से पूछना चाहता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इसकी डैफीनिटनेस तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर ली है जो पहली बार किसी माननीय मंत्री ने किया है और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। अरजेंसी के सम्बन्ध में यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय के एकेडेमिक काउन्सिल को सरकार के एक असाधारण आर्डर द्वारा डिजाल्व किया जाना स्वयं ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अरजेन्ट इसलिये है कि इस एकेडेमिक काउन्सिल का स्थान लेने वाली इस समय कोई बाडी नहीं है। एकेडेमिक काउन्सिल डिजाल्व कर दी गई और साथ में यदि सारी और बाडीज भी डिजाल्व कर दी जातीं और कोई दूसरी बाडी आटोमैटीकली आ जाती तो यह हो सकता था कि नार्मल कोर्स में यह हो रहा है। लेकिन पुरानी एग्जीक्यूटिव काउन्सिल, सेलेक्शन कमेटी और दूसरी बाडीज भी कायम रहें और अकेली एकेडेमिक काउन्सिल को भंग कर दिया जाय यह एक बड़ी आशंका पैदा करता है। नये स्टेटचूट्स के अनुसार एकेडेमिक काउन्सिल भी बनती और दूसरी बाडीज भी, सब कुछ बनता। यह सरकार को स्टैटचूट्स बनाने में सलाह दे सकती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़े-बड़े प्रोफेसर्स ने और दूसरों ने एकेडेमिक काउन्सिल की मीटिंग रिक्वीजीशन कराई...

श्री अध्यक्ष--आप नीयत पर हमला कर रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसकी अर्जेन्सी इसलिये मानता हूं कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी का एकेडेमिक काउन्सिल का इस प्रकार से भंग किया जाना, जो विश्वविद्यालय कि कैपिटल का है और प्रमुख विश्वविद्यालय है, यह कोई मानी नहीं रखता है और एक वैकुअम कर दिया गया है और चूंकि गवर्नमेंट का आर्डर हुआ है इसलिये गवर्नमेंट से इसका सीधा सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष--मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस विषय में कोई डिसक्रिमिनेशन का सवाल तो नहीं है?

श्री हरगोविन्दसिंह--अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़े तोड़-मरोड़ कर बात कही। ऐक्ट में यह है कि जो जो बाडी बनती जायगी उसकी पैरेलल बाडी खत्म होती जायगी। स्टेट्यूट्स लागू हो गये हैं लेकिन जब तक कोर्ट से एक्जीक्यूटिव के मेम्बरों का सेलेक्शन न हो जायगा एक्जीक्यूटिव कौन्सिल नहीं बन सकती। वह जब ही बन सकती है जब कोर्ट उसके लिये मेम्बर चुनकर भेजेगा। इसलिये जब कोर्ट बन जायगा तभी एक्जीक्यूटिव से कौन्सिल बनेगी। ऐकेडेमिक कौंसिल में स्टैंडिंग कमेटी आफ दी एक्जीक्यूटिव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

से ३ आदमी नियुक्त होंगे, इसके अतिरिक्त दूसरे और भी लोग होंगे तब जाकर एकेडेमिक कौंसिल बनेगी। जब वह बन जायगी तो पुरानी वाली डिजाल्व हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि कामरोको प्रस्ताव के लिए इसमें अरजन्सी है या नहीं और महत्वपूर्ण जनहित का यह प्रश्न है या नहीं। जहां तक कानून का प्रश्न है उसको मैं नहीं लूंगा। जनहित का प्रश्न भी मैं सदन के निर्णय पर छोड़ देता, लेकिन अर्जेन्सी का प्रश्न तो मुझे ही निश्चय करना है। कामरोको प्रस्ताव में ये शब्द दिये हुए हैं "यह सदन लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् (एकेडेमिक कौंसिल) को सरकार के असाधारण गजट में ३१ अगस्त, १९५६ को प्रकाशित आर्डर द्वारा अकस्मात एवं अकारण भंग कर दिये जाने तथा संबंधित सरकार द्वारा बनाये गये स्टेट्यूट्स को सदन की मेज पर विचारार्थ न रखे जाने से गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु ....."। यह दो कारण इसमें दिये गये हैं यानी "अकस्मात् एवं अकारण भंग कर दिये जाने"—ये शब्द प्रयोग में आये हैं तथा स्टेटयूट्स की ओर भी इशारा किया गया है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि स्टेट्यूट्स में यह दिया हुआ है कि जैसे-जैसे कोई संस्था बनती जायगी वैसे-वैसे पुरानी संस्थाओं का वे स्थान लेती जायंगी। इस प्रकार मुख्य-मुख्य प्रश्न स्टेट्यूट्स पर निर्भर है। ये स्टेट्यूट्स कई माह पहले ही बन चुके हैं लेकिन उनके बारे में आज से पहले कोई प्रश्न उठाया नहीं गया और अधिनियम में कोई ऐसा खंड नहीं है कि स्टेट्यूट्स बन जाने के बाद सदन के सामने फौरन ही लाये जाने चाहिये। ऐसी हालत में जब स्टेट्यूट्स बहुत पहले ही बन चुके थे तो अब कोई तात्कालिक प्रश्न उससे पैदा नहीं हो सकेगा। रहा यह प्रश्न कि स्टेट्यूट्स बन जाने पर वह सदन के सामने नहीं लाये गये थे यह प्रश्न जब वे बन कर तैयार हुये थे, तब उठाना चाहिये था। क्यों माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं किया इसलिए उसकी अर्जेन्सी, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को स्वयं भी प्रतीत नहीं हुई। अतः इस प्रश्न को माननीय सदस्य किसी और समय में, अगर वे उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसकी कोई अर्जेन्सी दिखायी नहीं देती कि आज उसके लिये सदन का काम रोक कर यह प्रश्न उपस्थित किया जाय। इसलिये क्योंकि इसमें कोई अर्जेन्सी नहीं है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, एक बात मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौन्सिल कोई बनी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो मैं बाधक नहीं हूंगा।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, चूंकि प्रस्ताव की कापी मेरे पास नहीं थी, यह जो कहा गया है कि किसी स्टेट्यूट्स से यह एकेडेमिक कौंसिल भंग की गयी, यह बिलकुल ही निर्मूल और निराधार है सिवा इसके कि एकेडेमिक कौंसिल के बनाने में स्टैंडिंग कौंसिल के ७ या ८ आदमियों को नियुक्त होना था। लिहाजा लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मेरे पास यह लिखा है कि एकेडेमिक कौंसिल के बनाने में ७ आदमियों की नियुक्ति होनी है लिहाजा स्टैंडिंग कौंसिल का लागू स्टेट्यूट लागू कर दिया जाय तो एकेडेमिक कौंसिल बन जायगी। चूंकि कोर्ट का मीटिंग होनी थी और उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है इस कारण स्टैंडिंग कौंसिल का स्टेट्यूट लागू कर दिया गया और इस तरह से एकेडेमिक कौंसिल के लिये जो स्टैन्डिग कमेटी की नियुक्ति होनी थी वह हो जायगी और हो जाने के बाद वह एकेडेमिक कौंसिल बन जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आज हं या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह मैं नहीं जानता कि आज हं या नहीं हं।

श्री अध्यक्ष--अब मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा, उन्होंने उत्तर दे दिया था।

भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'रिलीजस लीडर्स' पुस्तक पर कानूनी राय के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जनाब स्पीकर साहब, मैंने आज शुरू में ही...

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि उसको मैं लूंगा। आपके कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा करना गुस्ताखी न हो तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ऐडजर्नमेंट मोशन पर बहस होने का मौका नहीं दिया। सिवा इसके कि जो वातावरण विषाक्त बनाया जा रहा है, जहरीला बनाया जा रहा है वह और ज्यादा विषाक्त होता, इस माननीय सदन को आग में घी डालने का प्रयास हाथ लगता और कोई फायदा उस बहस से नहीं होता। मैंने यह निवेदन किया कि वातावरण विषाक्त बनाया जा रहा है और ज्यादा क्या कहूं? किताब १५ वर्ष से निकली हुई है। दुनिया भर के उन देशों में जहां के लोग अंग्रेजी जानते हैं फैली हुई है। इस देश में भी सैकड़ों क्या और ज्यादा बड़ी संख्या में पुस्तकालयों में किताब रही है, किसने देखा, किसने जाना? कोई नहीं जानता था। एकाएक एक अखबार के दिमाग में किसी वजह से यह बात आयी और उसने बड़ी लम्बी हेड लाइन में यह छापा और तमाशे की बात यह है कि ऐसे-ऐसे स्थानों से प्रोटेस्ट तार और खत आते हैं, सभायें की जाती हैं जिनका खयाल करना मुश्किल है। फिर भी मेरा ऐसा ख्याल है कि जिले भर में किताब की एक प्रति भी नहीं होगी। जो मीटिंग करते हैं उन्होंने उसकी सूरत भी नहीं देखी होगी, किताब भी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन महज एक अखबार ने बड़ी सुर्खी देकर इसको निकाला और इस तरह से इस चीज को फैलाया और अफसोस तो इस बात से होता है कि कुछ लोग जो जिम्मेदार आदमी हैं जिनका कि किन्हीं पोलिटिकल पार्टी से संबंध है उन लोगों को सोचना चाहिये, अपनी पार्टी का भविष्य सोचना चाहिये, देश का भविष्य सोचना चाहिये कि इस किस्म की आग में शरीक होने से क्या फायदा होता है। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, फिर भी ऐडजर्न मोशन आने पर लोग उसका जिक्र करते और अपनी-अपनी बातें कहते कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा हो रहा है, हमारे जिले में ऐसा हो रहा है। फिर भी अखबारों के जरिये यह बात सामने आयी कि हजारों आदमी जमा होते हैं। पुलिस के थानों पर हमला करते हैं या कोतवालियों पर भीड़ लगाते हैं.....

श्री अध्यक्ष--मैं जरा इस विषय में माफी चाहता हूं कि मैं वक्तव्य के बीच में टोकूं, लेकिन मेरा खयाल यह है कि पहले कानूनी राय क्या है इस विषय में चर्चा हो जाती और उसके बाद उस पर कोई टीकाटिप्पणी होती तो ज्यादा अच्छा रहता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक कानूनी राय की बात है मुझको अफसोस है या खुशी ह कि गवर्नमेंट अन्धेर करने में और मनमाने काम करने में या किसी की जायदाद जब्त कर लेने में या किसी के खिलाफ और किसी किस्म का हुक्म निकालने में इतनी स्वतंत्र नहीं जितने के हमारे कुछ माननीय सदस्य गवर्नमेंट को बुरा-भला कहने में और उसकी आलोचना करने में स्वतंत्र हैं। यह शिकायत है कि हमने फौरन कानूनी राय क्यों नहीं ली? कानूनी राय किसी रास्ते में राह चलने वाले से तो ली नहीं जा सकती, वह जो होशियार वकील होते हैं और बड़े वकील होते हैं उन से ली जाती है और बाज वक्त एक से ज्यादा वकीलों से भी ली जाती है और जो बड़ा वकील होगा वह ऐसे मामलों में बहुत सोच विचार कर और तमाम पुरानी नजीरों को देखकर, इस मुल्क की नजीरों को और दूसरे देशों की भी ऐसे मामलों पर नजीरों को देखकर कि मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता है, राय दे सकता है और काफी सोच विचार के बाद ही दे सकता है। हमने भी इस में राय ली है और इस की जरूरत होती या न होती इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता और मैं नाम भी नहीं लेता, एक मजहब के ही नहीं बल्कि दूसरे मजहब के मानने वालों से भी हमने राय ली है और ऐसे नामी लोगों से राय ली है जो प्रदेश में कानूनी दुनियां में एक अच्छा और ऊंचा स्थान रखते हैं और मैं बता दूं इस वक्त तक की राय यह है कि इस किताब के खिलाफ कोई कानूनी कायंवाही नहीं की जा सकती, कानून के अन्तर तो मेलीशस इन्टेंट साबित होना चाहिये। अगर खास तौर से किसी के दिल को दुखाने की गर्ज से, डेलीबरेटली कोई बात किसी किताब में छापी जाती है तब सवाल पैदा हो सकता है। इस किताब में तो २० आदमियों की जीवनियां लिखी गई हैं, शुरू किया है हजरत मूसा या हजरत मोजेज से और अन्त किया है महात्मा गांधी से। इस तरह से उस में २० महापुरुषों की जीवनियां हैं जिनमें मनुष्य की हैसियत से उन्होने जिन्दगी में क्या-क्या बातें अच्छी और बुरी कीं और उनकी शिकायत की बातें तक लिखी हैं। लेकिन जो कुछ भी लिखा गया है वह किसी के दिल को दुखाने की गर्ज से नहीं लिखा गया है। अमरीका जैसे देश में जहां कि आज से १५ साल पहले कई हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं था वह किताब एक हिस्टारिक तौर पर लिखी गई, इसलिये इस संबंध में कोई मेलीशस इन्टेंट साबित नहीं हो सकता और जब तक हम यह साबित नहीं कर सकते तब तक कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। यह जरूर है कि उसमें अगर कोई चीज ऐसी है तो उससे मुसलमान भाइयों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन जहां तक कानूनी कार्यवाही का सवाल है मैं समझता हूं वह सवाल हल हो चुका है इस वजह से क्योंकि भारतीय विद्या भवन से यह किताब छपी थी और उनकी ओर से बयान निकला है कि उस पुस्तक की बिक्री को और छपाई को रोक दिया गया है और उनके सेक्रेटरी की ओर से भी बयान निकला है। उसमें सारी ही वह बातें आ गई हैं जो किसी सरकारी आर्डर से हो सकती थीं। उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि इस तरह की चीज पब्लिश हो गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त जितनी भी किताबें बाजार में हैं उनको विधड्रा कर लिया है। जो पुस्तकें पहले बिक चुकीं उनके लिये वह कुछ नहीं कर सकते थे और मुझे यह भी मालूम है कि उन्होंने अपनी एजेंसीज को इस बारे में इन्टीमेशन भेजा है कि बिना बिकी हुई किताबों को वापस ले लो और इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी वादा किया है कि आइन्दा जो उस के संस्करण निकलें उनमें से यह बात जिस पर कि आपत्ति है निकाल दी जाय। इससे ज्यादा जो कुछ उन्होंने एक जेन्टिलमैनली तरीके पर किया मैं समझता हूं गवर्नमेंट आर्डर से भी नहीं हो सकता था।

इसके अलावा मुझे इस का बहुत ही अफसोस है कि इस किताब के मामले में माननीय राज्यपाल का भी जिक्र किया गया। हर देश में और हर स्टेट में और वहां के लोगों में राज्यपाल के विषय में एक डीसेंसी होती है उससे हटकर कुछ बातें की गईं। उन्होंने इस विषय में अब अपना बयान निकाल दिया है इसलिये मुझे इस विषय में ज्यादा कहना नहीं है। एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि यह जगद्विख्यात पुस्तक इतने दिन से चलती रही

और जब भी कोई किसी किताब को या सीरीज को एडिट करता है तो वह उसके तमाम विषय पर इतना ध्यान नहीं देता कि उस समय किताब में छपा क्या है। अब शायद उनको यह मालूम हुआ हो। मुझे मालूम हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर में श्री जगनप्रसाद रावत ने बयान किया था उससे कुछ भ्रम हो गया है कि श्री राज्यपाल ने कोई प्रस्तावना या इन्ट्रोडक्शन लिखा था। अगर किसी को ऐसा ख्याल हुआ तो वह भ्रम है।

१९५१ से भवन पुस्तक सीरीज माला शुरू हुई। उसके लिए एक इंट्रोडक्शन लिखा गया जो उसकी हर पुस्तक में मिलगा। जितनी किताबें हैं उसकी हर पुस्तक में वह इंट्रोडक्शन रहता है। सारी सीरीज के लिये वह है। यह नहीं कि इस किताब के लिये खास तौर से इसको स्टडी करके कोई इंट्रोडक्शन लिखा गया हो। यह चीज़ खत्म होनी चाहिये और अब इस चीज का जिक्र करना और बढ़ाना बहुत ही गलत चीज है और किसी तरह से इसके किसी कम्युनिटी का कोई कल्याण होने वाला नहीं है और प्रदेश में व्यर्थ में मन-मुटाव फैलेगा। कानूनी सूरत का मैंने जिक्र कर ही दिया। जो लोग इस आन्दोलन में शामिल हों उनको अब इससे अलग हो जाना चाहिये, वर्ना प्रदेश में वह एक व्यर्थ सी चीज को बढ़ाने के लिये जिम्मेदार होंगे।

श्री अध्यक्ष---(श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी के खड़े होने पर) आपको कोई बयान देने के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा। सवाल आप कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---आपके जरिये यह पूछना चाहता हूं कि कानूनी मश्विरे के मुताबिक क्या वह इस सूबे में इस किताब को बैन नहीं कर सकते। अगर कानूनी राय हो तो बैन कर दिया जाय और दूसरी चीज़ यह नहीं फरमाई कि इस किताब को पढ़ने के बाद क्या उन्होंने इसकी इबारत को बहुत काबिले एतराज नहीं पाया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं समझता था कि मेरी जाती राय की इतनी बड़ी अहमियत है लकिन मुहम्मद शाहिद फाखरी साहब को मैं बतला दूं कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इस किताब में ऐसे जुमले हैं जिनसे किसी मजहब के लोगों को खसूसन मुसलमान दोस्तों को जरूर तकलीफ हो सकती है। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। जहां तक किताब को बैन करने का ताल्लुक है जो चीज़ मौजूद नहीं है उसको बैन क्या किया जाय। जो बाजार में है नहीं उसको बैन क्या करें। और फिर किसी चीज़ को गैर कानूनी तरीके पर बैन भी नहीं किया जा सकता। जब यह मुमकिन ही नहीं है तो बैन किस हालत में करें।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मुझे भी आपकी सेवा में दो विनम्र निवेदन करने हैं। एक निवेदन तो प्रिविलेज मोशन के संबंध में करना है आपकी विशेष जानकारी के बारे में....

श्री अध्यक्ष---विशेष जानकारी मेरे कमरे में आप प्राप्त कर सकते हैं और कोई अन्य रास्ता नहीं है। यहां पर उसके ऊपर बहस नहीं की जा सकती और न कोई जानकारी आप यहां पर मुझ से हासिल कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---जानकारी आपसे हासिल नहीं कर रहा हूं, जानकारी आपको दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं मेरे कमरे में आकर दीजिये।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने जो कल एक पत्र लिखा था उसमें साफ कह दिया था मलाफाइडी इंटेशन में.....

श्री अध्यक्ष--मैं ऐसे प्रश्नों की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण--आप कृपा करके फिर देख लें।

श्री अध्यक्ष--आप मेरे कमरे में आ कर बात कर लें।

उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक को शीघ्र कानून के रूप में लागू करने की मांग

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--दूसरा निवेदन यह करना है और आप स्वतः अवगत होंगे इस बात से कि मंदिर प्रवेश (अधिकार घोषणा) विधेयक को पास हुये एक महीने के ऊपर हो गया और अभी तक वह विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हुआ। आज सदन उठ रहा है और फिर शायद अक्तूबर के महीने में बैठे और उस समय इस विधेयक के पास होने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा बहुत जल्दी है। जल्दी होनी भी चाहिये। कोर्ट की भी दो तारीखें बीत चुकी हैं और इसके बाद जो तारीख पड़ी थी उसमें अभी कोई फैसला नहीं हुआ और परिस्थिति गंभीर होती जा रही है और जैसा माननीय मुख्य मंत्री को मालूम होगा और कमलापति जी से मैंने निवेदन भी किया था अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में सारे देश के ऐसे प्रतिनिधि बनारस में एकत्रित होंगे जो चाहते हैं कि हरिजनों के मंदिर प्रवेश में किसी प्रकार की कोई रोक न हो ऐसी हालत में सरकार २ अक्तूबर को इस कानून को लागू करके इस तरह की व्यवस्था कर देगी जिससे हरिजन मंदिरों में अबाध गति से प्रवेश कर सकें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, कानून तो जिस दिन राज्यपाल महोदय के दस्तखत हो जायेंगे उस दिन से लागू हो जायगा। मैं समझता हूं श्री राज्यपाल को जिस दिन फुर्सत होगी दस्तखत करेंगे, यदि उचित समझेंगे तो। इससे ज्यादा कांस्टीट्यूशनली मैं कुछ नहीं कह सकता।

अब रहा यह कि सारे देश के लोग जमा होंगे वह तो हम सुनते रहते हैं। हों जमा, बाकी जो गवर्नमेंट उचित समझेगी कार्यवाही करेगी।

इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२२-४३० पर।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब माननीय वित्त मंत्री द्वारा ६ सितम्बर, १९५६ को बिक्री-कर अधिनियम के अधीन बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर दिये गये वक्तव्य पर विवाद जारी होगा। और साथ ही माननीय वित्त मंत्री! आप बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित कर देना चाहते हैं? फिर इनके ऊपर वाद-विवाद करेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---पहले मोशन कर दूं।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, चूंकि एजेंडे में विवाद रखा हुआ है तो जरा हमें साफ मालूम हो जाय कि विवाद पहले होगा या जो अमेंडमेंट नीचे रखा गया है इस पर पहले बहस हो जायगी। अगर हमको विवाद का मौका मिले तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने यह बिल हाउस के सामने पेश किया तो.....

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि यह बिल वक्तव्य के सिलसिले में ही है। तो दोनों पर एक साथ ही बहस हो जायगी। वक्तव्य पर विवाद आप कर लें और उसके साथ-साथ अपने भाषण में आप यह कह सकते हैं कि यह संशोधन आप स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं। तो मैं दोनों पर बहस की एक साथ इजाजत देता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

मैंने इसकी बाबत अपने कल के बयान में कह दिया था और उस बयान की कापियां मेम्बरान की खिदमत में पेश कर दी गई हैं। मेरे ख्याल में और कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---आप अगर प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज़ करें तो मैं इजाजत दूंगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि यह दोनों संग चल रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समय का निर्धारण कर दिया जाय। माननीय वित्त मंत्री के कल के बयान और इस विधेयक पर साथ ही साथ विचार चलेगा और बोलने वाले बहुत से मेम्बर हैं इसलिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। वह स्वयं समय का ख्याल रखेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो वक्तव्य कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बिक्री कर के संबंध में दिया उसे मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की बुद्धि पर प्रहार है। और उसको अपमानित भी मैं मानता हूं, अपमानित करना है। मैं बहुत स्पष्ट इस बात को इसलिये कह रहा हूं एक बात पर गौर करने को माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा। पहली अप्रैल के बाद जब से यह आर्डिनेंस लागू हुआ उसके बाद स्वयं उन्होंने कहा है कि बारह सौ तो उनके पास रिप्रिजेंटेशंस आये और सौ शिष्ट मंडलों से ज्यादा उनसे मिले और मैं उसको उनके वक्तव्य में इतनी बात और जोड़ना चाहता हूं कि सारे देश में जितना व्यापक आन्दोलन इस बिक्रीकर के विरुद्ध हुआ है, मेरी स्मरण शक्ति जहां तक काम कर रही है सन् ४२ के बाद जो एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन था, उसको छोड़कर के उसके बीच में कभी इतना बड़ा आन्दोलन और इतना गुस्से का इजहार जनता ने नहीं किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि पहली अप्रैल को सरकार ने कौन सा काम ऐसा किया था जिस काम के ऊपर सारे देश की जनता ने इतनी नाराजगी जाहिर की। तो जब हम उसे देखते हैं और उस सिलसिले में जब माननीय वित्त मंत्री का वक्तव्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार ने कतई ध्यान उस ओर नहीं दिया जिन बातों की तरफ सूबे की जनता ने सरकार का ध्यान दिलाया था और उसने यह किया संक्षेप में कि जैसे कोई सड़क पर चलने वाला आदमी हो और उससे कोई आदमी जोर जबरदस्ती से उसके पाकेट से या किसी तरह से १०० रुपया निकाल ले और जब वह राहगीर के कुछ मददगार आ जायं और वह रुपया लेने वाला आदमी यह समझे कि यह रुपया छिन जायगा, उससे अदालत में उसको इसके लिये जवाब भी देना पड़ेगा, मुमकिन है सजा भी हो जाय, फिर उसके बाद वह सोचने लगे कि समझौता कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। सौ रुपये में से अगर ५० रुपये पर राजी हो जाय या ७५ रुपये ले ले और २५ रुपये पर राजी हो जाय तो ७५ रुपया देकर के भी, रुपये में बारह आना देकर के भी समझौता कर लेना चाहिये। यह उसी तरह का उदाहरण अध्यक्ष महोदय है। सरकार ने जो बिक्रीकर पहली अप्रैल से लागू किया उसको बिलकुल इसी तरह से माना जा सकता है। सरकार को अपने वक्तव्य में स्वयं वित्त मंत्री जी ने कहा है, अब उन्होंने जो यह अमेंडमेंट किया है और सुधार जो किया है वह पब्लिक ओपीनियन का कम ध्यान है यद्यपि उन्होंने कहा है कि इन रिप्रिजेंटेशंस और शिष्ट मंडल के विचारों से भी हमने कुछ फायदा उठाया लेकिन उसमें स्पष्ट यह कहा गया है कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन जो है उसकी सलाह के मुताबिक अब हमने यह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स और अनाज पर से टैक्स हटाने का प्राविजन किया। तो मैं यह वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने इस टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को इसके पहले नहीं पढ़ा था? पहली अप्रैल के पहले यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीश की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी कि नहीं। अगर पहली अप्रैल सन् ५६ के पहले यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जैसा कि मैं समझता हूं कि हां, प्रकाशित हुई थी, यह किताब हमारे सामने है, तो फिर क्यों नहीं इस पर विचार पहले किया गया। इसलिये मैं कहता हूं कि पब्लिक ओपीनियन की कंटेम्प्ट है। पब्लिक ओपीनियन को जब हम यह कहते हैं कि अनाज पर से या जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर से सोलहो आने टैक्स को हटा दिया जाय उस वक्त हमको यह कहा जाता है कि हम इसलिये इस पर विचार कर रहे हैं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने कहा कि इस प्रकार टैक्स लगाया जाय जैसे कि पहली अप्रैल के बाद और कल तक या पहली अक्तूबर, सन् १९५६ तक उसके विरुद्ध टैक्स लोगों से वसूल किया जायगा और उसका सारे का सारा बोझ सारे देश की जनता के ऊपर पड़ेगा।

तो मैं यह जानना चाहूंगा और सारा देश जानना चाहेगा कि जब टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया जाय तो यह वित्त मंत्री जी इसको साफ़ करें कि उस पर पहले विचार क्यों नहीं किया? और फिर और भी दो एक बात मैं निवेदन करूंगा कि जनता की मांग तो है कि पहली अप्रैल के आर्डिनेंस को वापस लिया जाय, पहली अप्रैल के बाद जो संशोधन हुए हैं सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, जो बढ़ाये गये हैं उन सब को वापस लिया जाय। इस पर तो सरकार ने विचार नहीं किया और कुछ बीच-बीच म जो उसने सुधार किये उसमें बड़ी हास्यास्पद स्थिति हमारी और इस सरकार की भी हो गयी। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि बीच में जो उन्होंने कुछ अनाजों पर से बिक्री-कर हटाया, जैसे टांगन, सावां, ज्वार सारे सूबे में इनकी उपज कितनी होती है? और सारे अनाज जो हैं उन पर उसी तरह का कर लगाये रखना और केवल सावां, टांगन और ज्वार के ऊपर उस टैक्स को हटाना, यह मैं तो समझता हूं कि पब्लिक ओपीनियन का एक तरह से हास्यास्पद बनाना है जब कि सारे देश की जनता चिल्ला रही हो कि हमारी रोटी पर से टैक्स हटाओ। यह तो हंसी की चीज है और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती।

दूसरी बात वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने कही है कि कुछ दूसरे सूबों के भी कान्फ्रेन्स की गयी, कुछ अफसर आये और उन्होंने उनसे सलाह-मशविरा किया गया। उसका जिक्र उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं किया कि उनसे सलाह-मशविरा हुआ क्या ? केवल सलाह-मशविरे का उन्होंने हवाला दे दिया। मैं अब अन्दाज लगा रहा हूं कि वह सलाह-मशविरा क्या हुआ। यह मश-विरा हुआ बिहार और दिल्ली के अफसरों से और अगर ऐसा सलाह-मशविरा नहीं हुआ तो वित्त मंत्री जी उससे इन्कार करेंगे। जब उन्होंने कहा नहीं तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं उस वक्तव्य के आधार पर कि यू० पी० की सरकार या वित्तीय विभाग बिहार सरकार के अफसरों, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अफसरों को भी इस बात के लिये राजी करना चाहते थे कि जो रेट हमने मुक़र्रर किया है किसी माल पर और बिक्री-कर का, वही आप भी मुक़र्रर कर दें और उसका साहस बढ़े। दिल्ली और बिहार सरकारों ने इतने दुस्साहस का काम करना मंजूर नहीं किया जितना कि यू० पी० की सरकार ने किया और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां से नाका-रात्मक उत्तर नहीं मिला तो कम से कम उस पर कोई साकारात्मक उत्तर भी नहीं है। फिर उसका नतीजा क्या निकला ? वित्त मंत्री जी का वह भाषण हमारे सामने है। वह यह बताते हैं कि जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अब यह सोचा कि अब हमें कुछ दूसरा उपाय करना चाहिये। दूसरा उपाय उन्होंने यह किया कि दूसरे सूबों से माल ले आने वालों का टर्नओवर अगर १२,००० या उससे कम हो तब भी टैक्स लगायेंगे। माननीय परिपूर्णानन्द जी इसको छठवें पेज पर अवश्य पढ़ें, उसमें यह स्पष्ट बात कही गयी है कि १२ हजार से कम बिक्री रहे तब भी सेल्स टैक्स लगा देंगे। मैं यह समझता हूं कि इस आफिसर्स की कांफ्रेन्स से या उन सारे कामों से जो पिछले महीनों में सरकार ने सोचे हैं, उनके सोचने में सरकार ने पब्लिक ओपिनियन का ध्यान कतई नहीं रखा और जिन बातों को कहा गया उनसे वह बराबर हटती गयी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आफिसर्स दूसरे सूबे के आये, विचार-विनिमय हुआ लेकिन सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट क्यों हमारे सामने नहीं रखी गई। मुझे मालूम हुआ है कि इसने नैनीताल की बैठक में इन सारी बातों पर विचार किया है और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन वित्त मंत्री जी का यह कहना है कि इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सेल्स टैक्स के लिये पब्लिक में इतना हंगामा मचा और सरकार को मजबूर होना पड़ा और सेल्स टैक्स कमेटी के सिलसिले में जो सदन के लिये ज्यादा रिसपांसीबिल हो सकती थी, उसके मत से लाभ न उठाने दिया जाय, इसमें क्या बात थी ? मैं तो ऐसा समझता हूं कि सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट मंत्री जी से इत्तफाक नहीं करती है इसीलिये उसकी रिपोर्ट हमारे सामने अभी तक नहीं रखी गई।

रियायतें कुछ की गईं और इन रियायतों का जिक्र इसलिये मैं जरूर कर देना चाहता हूं कि वह रियायतें १ अक्तूबर, १९५६ से दी जायंगी तो मैं एक क़ानूनी प्रश्न इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सरकार चलती है तो वैसी हालत में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है, अगर इसका वह आदर करना चाहती है तो जो ग़लत सरकार ने इस कमीशन के रिपोर्ट के विरुद्ध की थी उसको १ अप्रैल, १९५६ से करे यानी रिट्रौसपैक्टिव अफेक्ट दे। अगर सरकार इसके लिये राजी हो जाय तो जो दिक्क़त देश के सामने आ रही हैं उनमें से बहुत सी दिक्क़तें रफ़ा हो जानी चाहिये। पहली अप्रैल से न लागू करने के लिये जो विधेयक इस समय आया है या जो एलान सरकार के हुये हैं, उनका सरकार के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है। जो काम सरकार पहली अक्तूबर से करने जा रही है उसको पहली अप्रैल से किया जाना चाहिये। इसको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिये। अगर गलती है तो इसको पहली अप्रैल से मान लेनी चाहिये और फिर हिसाब-किताब का झगड़ा मामूली चलने वाला नहीं है इसके झगड़े में सारे प्रदेश के व्यापारी और सेल्स टैक्स विभाग यह दोनों उलझ रहे हैं और दोनों के उलझने के बाद कोई नतीजा सरकार निकाल सकेगी कुछ हद तक सरकार को तजुर्बा हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है अब वित्त मंत्री जी सफ़ाई करें। हम तो साफ बात कहते हैं कि किन माने में सरकार सफाई करती है। सरकार की सफाई पहली अप्रैल से हो तो बेहतर है।

[श्री गेंदासिंह]

सरकार ने एक काम और किया। उसने दूसरे सूबों से माल आने से रोकने के लिये पुलिस चौकियां मुकर्रर करने का फैसला किया। मैं इसको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सरकार की यह पुलिस चौकियां स्मगलिंग को रोकने में समर्थ नहीं हो सकती हैं। और एक बात मैं और याद दिलाऊं कि जो चौकियां मुकर्रर की गई हैं उनसे सिर्फ इतना हो सकता है कि जो माल जनता को थोड़ा सा सस्ता मिल सकता था वह अब और महंगा पड़ जाय क्योंकि मेरा अनुभव है इसलिये कि मैं बार्डर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। इस तरह से दूसरे सूबे से जो सामान गांवों में आ सकता था उसमें रुकावट डाली जाती है और इसको जनता के लिये रियायत में नहीं बल्कि ज्यादती में जोड़ा जाय और यह ज्यादती न की जाय तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों पर से टैक्स कम करने की घोषणा की गई है। मैं इस पर पहले कह चुका हूं कि यह ऐसे ही हुआ जैसे कि १०० रुपया किसी के पाकेट से निकाल लिया और फिर उसमें से ७५ रुपया दे दिया गया और समझा गया कि कमजोर आदमी हो तो २५ रुपया बर्दाश्त कर के चला जाय। मैं किसी दूसरे को इस बीच में नहीं लाना चाहता। हमारी पार्लियामेंट के जो माननीय अध्यक्ष हैं माननीय आयंगर साहब उनके मत को सदन के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने अभी हापुड़ सम्मेलन में व्यापारियों से कहा था कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर जिनमें अनाज, कपड़ा और कुछ और चीजें भी हैं किसी भी हालत में इन चीजों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मैं अभी भी कहता हूं कि आयंगर साहब के मत के मुताबिक़, सारे देश की मांग के मुताबिक, और अपने पूर्वजों के विचार के मुताबिक और जिन गरीबों की मदद करना चाहती है सरकार, उनके नाम पर भी इन सब चीजों पर टैक्स नहीं होना चाहिये। अब यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे सूबों में टैक्स लगा हुआ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर अनाजों पर टैक्स किस जमाने में लगाया गया था। वह उस जमाने में लगाया गया था जब बाजार में अनाज की बड़ी भारी स्केर्यासिटी थी। सारे हिन्दुस्तान में और मद्रास और बम्बई में सत्तर, अस्सी प्रतिशत और सेंट परसेंट लोगों को अनाज राशनिंग के जरिये सरकार बटवाया करती थी और उस इन्तजाम में उस पर बड़ा भार पड़ता था। इसलिये वहां की सरकारों ने वहां अनाज टैक्स नाममात्र का लगा रखा था।

सन् १९४७ से लेकर १९५३-५४ तक के फूड मिनिस्ट्री के इस सम्बन्ध के आंकड़ों को सरकार इस सम्बन्ध में देखे कि कितना यू० पी०, कितना बम्बई में और कितना मद्रास में अनाज लोगों को उस वक्त राशनिंग के जरिये से दिया गया और न सिर्फ़ कस्बों को दिया गया बल्कि देहातों में मजदूरों को भी दिया गया और इसलिये सरकार ने उस पर नाममात्र का टैक्स लगा रखा था तो वह कोई बोझ नहीं मालूम होता था। मद्रास गवर्नमेंट ने जो उस वक्त प्राहिबिशन करके नुक्सान उठाया था उसको इस टैक्स से पूरा किया गया था। उसने जनता को करोड़ों रुपये सब्सीडी के दिये थे उसमें से कुछ रुपया सरकार ने ले लिया था तो उसमें बोझ क्या हो सकता था? लेकिन उस वक्त यू० पी० की सरकार को कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जरिये से लोग लाखों जो भूखों मर रहे थे उनके लिये गांवों में अनाज पहुंचाया जाय। अगर उन्हें अनाज पहुंचाया जाता और उनसे कुछ पैसा सरकार ले लेती टैक्स की शक्ल में तो मैं समझता हूं कि उस वक्त किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। केवल सब्सीडी की शकल में उनको करोड़ों रुपया मिल रहा था। अब आज कई बरस बाद सरकार अनाज पर टैक्स लगाने की बात सोच रही है। तो यह तो बिलकुल उपयुक्त समय नहीं है और मैं सरकार से बहुत ही आग्रहपूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वह टैक्शेसन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और करेंसी और फाइनेंस जो रिजर्व बैंक की आथेंटिक रिपोर्ट है उसको भी देखने की कोशिश करें। अपने आंकड़े भी जरा ठीक से देखने की कोशिश करें और वह सोचें इस पर कि उसने पिछले वर्षों में कितनी मदद उन लोगों की की है जिनको कि मदद की जरूरत थी।

अब मैं इतना जरूर अनाज के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह टैक्स किन लोगों से लिया जायगा। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि यह टैक्स उन लोगों से लिया जायगा जिनके लिये पंचवर्षीय योजना अगली मदद करने को कहती है। अगली पंचवर्षीय योजना जो हमारी है वह विशेष तौर से इन्इक्वेलिटी को दूर करने के लिये है। वह कहती है कि विषमता को दूर कीजिये। इस कसौटी पर हम जरा इस टैक्स को कसें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो नान एग्रीकल्चरिस्ट पापुलेशन इस सूबे की है, इस अनाज टैक्स का बड़ा बोझ उसी के ऊपर पड़ने वाला है। जो खेती करने वाले लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जिनके लिये मैं माने लेता हूं कि वह अपने अनाज से अपना काम चला ले जायेंगे, लेकिन जो दो करोड़ आदमी या उससे अधिक की आबादी है और जो नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट आबादी कही जा सकती है उससे यह रुपया आप को वसूल करना है। ऐग्रीकल्चरिस्ट में भी हमारे सूबे में ४६ लाख ३१ हजार परिवार ऐसे हैं किसानों में से कि जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है। इनके पास केवल २४ लाख ३१ हजार एकड़ जमीन है। और यह जमीन करीब-करीब आधे एकड़ के एक परिवार के ऊपर पड़ती है। इसमें तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपना काम चला सकता है, १२ महीने खाने का। तो इसमें से बड़ी भारी संख्या ऐसी है कि जो खरीद करके खाने वाली है। तो दो करोड़ नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट जिसमें कि खेतिहर मजदूर, सरकारी नौकरी करने वाले, शहर में बसने वाले और हर तरह के लोग हैं जिनके पास कि खेत नहीं है, उनकी आबादी इसमें आती है। फिर अगर यह हिसाब मान लिया जाय कि दो करोड़ आदमी सिर्फ़ खरीद कर खायेंगे और सरकारी इस हिसाब को भी हम मान लें कि वह ८ छंटाक जरूर खरीदेंगे तो एक करोड़ सेर रोज की खरीद अनाज की होगी। अगर एक करोड़ सेर पर मल्टी प्वाइंट टैक्स लगे तो दो आना फी रुपया पड़ेगा और दो आना फी रुपया अगर पड़ता है तो इस एक करोड़ का मोटा सा हिसाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक करोड़ सेर का ३३ लाख रुपया होता है और इस पर अगर दो आना फी रुपया टैक्स लगाया जाय तो होता है ४ लाख दो हजार रुपया रोजाना। मैं फिर बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि अगर हम ८ छटांक खरीदने की आशा करते हैं तो एक करोड़ सेर रोजाना की खरीद होगी। अगर ३ सेर का भाव मान लिया जाय सब के लिये वह भाव हो चाहे गेहूं हो, चावल हो, या आटा हो सारी चीजों का भाव तीन सेर मान लिया जाय तो ३३ लाख रुपया की बिक्री रोज होती है। अगर हम दो आना रुपया ही बिक्री-कर मान लें जैसा कि मल्टीपिल टैक्स लगता है तो ४ लाख रुपया रोजाना अनाज का टैक्स होता है। तो उस हिसाब से १। करोड़ रुपया महीना केवल आज से ही टैक्स के रूप में मिलने वाला है। माननीय परिपूर्णानन्द जी आकृति से कुछ इन्कार कर रहे हैं। मुझको भी शक है कि सरकार का वित्त विभाग हिसाब किताब में गलती तो नहीं करता है। इन दोनों बातों में से एक बात तो जरूर हो सकती है या तो मुझे जोड़ना नहीं आता है या वित्त विभाग को हिसाब जोड़ना नहीं आता है और यदि उनको जोड़ना आता है तो वह अपने वित्त विभाग के कर्मचारियों का पालन-पोषण करना चाहते हैं। दोनों में से कोई बात जरूर हो सकती है। तो मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करता हूं लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि वित्त विभाग को हिसाब जोड़ना नहीं आता है और इस बात को सरकार कबूल करे। केवल १। करोड़ रुपया केवल अनाज से वसूल हो सकता है।

हमारे बजट में कमी थी ९ करोड़ ५५ लाख की। पहली अप्रैल से लेकर पहली अक्तूबर तक अध्यक्ष महोदय, ६ महीने में करीब ७ ।। करोड़ रुपया केवल अनाज से इकट्ठा हो सकता है। मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह से यह ७ ।। करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है जिसके लिये सरकार और वित्त मंत्री जी की मर्जी नहीं है कि छोड़ा जाय और उसमें रिवीजन करने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर आज इस तरह के विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता है। मैंने केवल अनाज का ही हिसाब यह लगाया है इससे भी ज्यादा और चीजों को लगाकर हिसाब बढ़ सकता है जो करीब डेढ़ करोड़ के हो जायगा। मैंने पूरे हिसाब लगाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं

[श्री गेंदासिंह]

लेकिन अनाज की बात कहकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि ९ करोड़ ५५ लाख की कमी तो केवल पहली अप्रैल से लेकर पहली अक्तूबर तक ही पूरी हो जानी चाहिये। हालांकि मैं इस राय का नहीं हूं कि यह वसूल किया जाना चाहिये, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं क्या कर सकता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर वह वसूल करते हैं तो सरकार आगे के लिये इस विधेयक को वापस ले।

अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आखिर टैक्स लगाने की कोई नीति होनी चाहिये और अगर यह नीति है कि जो टैक्स देने के लायक है वह दें और उस टैक्स से जिनकी मदद हो सके तो उनकी मदद की जाय। आज खेतिहर मजदूर देश के सबसे अधिक निर्धन गिने जाते हैं या नहीं? जो गांव में या शहर में बेरोजगार लोग हैं उनको निर्धन गिना जायगा या नहीं। इस टैक्स से किसी प्रकार उन लोगों को बचाया जाय जो भीख तो नहीं मांगते हैं लेकिन दिन भर मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके शाम को खाने का सामान खरीदते हैं और फिर दिन भर मजदूरी करने के बाद उनको खाना मिल सकता है। अगर वह दिन भर मजदूरी न करें तो फाकाकशी करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग इस टैक्स से किस प्रकार बच पायेंगे। क्या इसका कोई उपाय है। या उनके लिये कोई अनाज की दुकान खोली जायगी जिस दुकान से उनको जब वे खरीदने के लिये जायं तो उनको बिना सेल्स टैक्स के लगे हुये अनाज मिल जाय केवल कोढ़ी और भीख मांगने वालों की बात मैं नहीं कहता हूं। ३६ लाख जो माननीय धर्मसिंह जी की बिरादरी के लोग हैं, मैं बिरादरी का खासतौर से जिक्र इसलिये करता हूं कि मैं हरिजन भाइयों से यह उम्मीद करता हूं कि उनको टूथ ऐन्ड नेल इस बिल का और वक्तव्य का विरोध करना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ३६ लाख भूमिहीन मजदूरों के लिये क्या उपाय किया गया है कि इस टैक्स से वे बच सकें। तो फिर मैं सोचूं कि इस विधेयक पर क्या मत दूं। यह निश्चित है कि इस टैक्स का बोझ उन लोगों पर पड़ने जा रहा है जो सबसे निर्धन हैं। एक ग़लती सरकार कर चुकी है, जिसे सरकार क़ायम रखना चाहती है और इसमें १० ग़लती और करेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ऐसा न करे। हमारी सरकार की कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बड़ी शिकायत है कि वह हमको पूरा धन फ़ाइव-ईयर प्लान के लिये और दूसरे कामों के लिये नहीं देती है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ सलाह देती है तो उस पर यू० पी० की सरकार कितना अमल करती है? जब सेन्ट्रल सरकार ने कहा कि अनाज पर टैक्स बिना हमारा मत लिये मत लगाओ तो यू० पी० गवर्नमेंट ने क्यों इस पर विचार नहीं किया? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि केन्द्र इस टैक्स का विरोधी है। उससे सरकार की चिट्ठी-पत्री हुई होगी और सदन इस बात को जानना चाहता है कि अजीत प्रसाद जैन साहब या जो केन्द्र के मंत्रियों के कुछ कहीं-कहीं पर उद्गार निकले हैं, वे क्या यू० पी० की सरकार तक पहुंचे हैं या नहीं। अगर यू० पी० की सरकार उनकी क़द्र नहीं करती है तो फिर यह सरकार कैसे आशा कर सकती है कि वह दूसरे सूबों के मुक़ाबले में, जो अनाज पर टैक्स नहीं लगाते हैं और कपड़े पर कम टैक्स लगाते हैं, और जब वह अपने डैफ़ीसिट को केन्द्रीय सरकार के सामने रखते हैं तो उनको रुपया मिल जाता है, हमारी बात अधिक सुनी जावे? इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की अवहेलना क्यों न हो? मैं चाहूंगा कि इस पर जरा सरकार कुछ रोशनी डाले।

एक बात की तरफ़ मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा वित्त मंत्री जी का। इसके क्या मानी है कि जो लोग ४ लाख से ऊपर का सौदा बेचेंगे वे चाहे जितने का भी बेचें लेकिन उनसे एक फ़िक्स्ड रक़म ली जायगी। ४ और ८ हज़ार के बीच में उनसे वसूल होगा। फिर सेल्स टैक्स की रक़म आगे नहीं बढ़ेगी। मैं अनाज पर सेल्स टैक्स का १६ आना विरोधी हूं। सरकार जो सोचती है कि ४ लाख से अधिक बेचने वाला आदमी टैक्स से एगज़ैम्प्ट हो जाना चाहिये और केवल ४ लाख का बेचने पर ही उस पर टैक्स लगना चाहिये, इसका क्या कारण है क्या इसका कारण मैं यही समझूं कि जिस तरह से हमारी सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों को

हर तरह से मदद करके उनकी आमदनी बढ़ाना चाहती है उसी पालिसी का एक अंग यह भी है, वर्ना स्पष्ट किया जाय कि क्या बात है ? जनता और सरकार का ध्यान मैं इस ओर ले जाना चाहता हूं कि आखिर विषमता को दूर करने के क्या मानी हैं। और विषमता को दूर करने के माने यह हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे प्लानिंग विभाग ने एक नहीं अनेक लेखों में यह संकेत किया है कि जो टाप के लोग हैं, जो बड़े आदमी हैं उनकी आमदनी को घटाया जाय और जो लोग बहुत ही नीचे तबके के हैं उनको उठाया जाय। तो क्या इस विधेयक, अथवा जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है या यह जो सेल्स टैक्स लगाया गया है उससे इसमें कितनी मदद मिलती है। सरकार कहती है और आखिर में माननीय वित्त मंत्री जी ने यही कहा कि जनता की खुशी के लिये ही वे सब कुछ करते हैं और खुशी तब तक हासिल नहीं होती जब तक कोई तक़लीफ न उठायी जाय। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह तकलीफ किससे उठवाना चाहते हैं। क्या आप तकलीफ उन लोगों से उठवाना चाहते हैं जो ज्यादा समझदार हैं, संपन्न हैं अथवा उन लोगों से जो अपढ़ हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको अखबार बहुत कम मिलते हैं, जो हमारी योजनाओं को बहुत कम समझते हैं। वित्त मंत्री जी शायद उन ग़रीबों से ही ज्यादा उम्मीद करते हैं। वित्त मंत्री जी अपील हमको नहीं करते, अपने कुलीग्स को नहीं करते, हिन्दुस्तान अथवा यू० पी० के उद्योगपतियों से वे अपील नहीं करते और न टैक्स इवेड करने वालों से ही अपील करते हैं। मैं चाहता हूं वे उन लोगों से अपील करें। खैरात घर से ही शुरू होती है और अगर ऐसा हो तो इतना जो हो हल्ला मचता है, वह न मचे। जो योजना बनायी जाती है उसके द्वारा गांवों में बसने वालों का स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग ऊंचा करने की बात कही जाती है, हम उनकी बेअर नैसेसिटीज़ की बात कहते हैं, उनके लिये मोटे अनाज और मोटे कपड़े की अपील करते हैं लेकिन आप उन्हीं पर टैक्स लगा कर देश के नाम पर उनसे दुख सहने और कुरबानी करने को कहते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कोलदार साहब की रिपोर्ट को अवश्य पढ़ा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीलिंग मुक़र्रर करने के लिये कमेटी बिठायी थी उसकी रिपोर्ट को माननीय परिपूर्णानंद जी ने तो अवश्य ही पढ़ा होगा उसमें कोलदार साहब ने कहा है कि इस देश में ३५० करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष इवेड होता है अगर सरकार उस को वसूल कर सके तो फिर सीलिंग मुकर्रर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह ३५० करोड़ रुपये का हिसाब ५ साल का लगाया जाय तो साढ़े १६ सौ करोड़ होता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी उसका कुछ हिस्सा इवेड होता होगा या नहीं। उसकी रिपोर्ट तो आप के सामने होगी। मैंने हिन्दोस्तान टाइम्स अखबार से यह सूचना पढ़ी थी। कानपुर जैसी जगह में अधिक समय माननीय परिपूर्णानंद जी का बीतता है, वे इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। पिछले वर्ष माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि १५ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बकाया है। अगर उसको वसूल किया जाय तो उसका कुछ परसेंटेज तो हमें भी मिलेगा ही। वह सरकार ने क्यों वसूल नहीं किया। इसके अतिरिक्त रोजाना हमें प्रश्नोत्तर के सिलसिले में मालूम होता है कि इस वक्त जो केन सेस की रक़म इस वर्ष की और पिछले वर्ष की बकाया है वह करीब ५ करोड़ है लेकिन हम उसे वसूल नहीं कर सके हैं।

यह रुपया कैसा है ? यह रुपया उनका नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह रुपया किसानों का है जो उनके गन्ने के दाम से काट कर उनके पास जमा हुआ है। अब बीच में उनका रुपया रुका हुआ है और वे नहीं देना चाहते हैं और सरकार कानून बनाती है। सरकार का कानून विभाग बहुत ही होशियार है। एक मर्तबा उसने कानून बनाया वह गैरकानूनी हो गया। फिर दूसरी मर्तबा संभाल कर कानून बनाया कि वह गैर कानूनी न होने पावे। दूसरी मर्तबा जो कानून बनाया वह भी गैर कानूनी होने के रास्ते में है और यह सरकार यह उम्मीद करती है, मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता कि सरकार बेअक्ल है, सरकार दूरदर्शिता से काम करती है लेकिन सरकार का कानून विभाग

[श्री गेंदा सिंह]

इनएफिसिएंट है। इसलिये इनएफिशिएंट है कि वह हमारे ५ करोड़ रुपये को पानी में फेंक रहा है। अगर ५ करोड़ रुपया आया होता तो उसके सूद से हम प्लानिंग का कुछ काम कर सकते थे। क्यों नहीं उस रुपये को वसूल किया गया। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मैं उन चीजों को छोड़ देता हूं जो कागज में नहीं है। कागज के अलावा बहुत सी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, जो कही जा सकती हैं और जिनको मैं समझता हूं कि हाउस में काफी बातें आयेंगी। मैं कागज की बातों को ही लेना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि आखिर इनकम टैक्स के सिलसिले में सरकार की नीति क्या है? वसूल करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, फिर क्यों नहीं १५ करोड़ रुपया वसूल होता? पिछले वर्ष का काफी है और १५ करोड़ रुपया.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप दुहरा रहे हैं, पहले यही बात कह चुके हैं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, एक बात और जरा ध्यान से अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी हमारी सुनें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का सही भला हो। टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सूबे में आमतौर से कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर जो हैं वह २३ रु० १ आ० के करीब हैं महीने में। बम्बई में १८ रु० कुछ आने यानी १९ रु० से कुछ कम ही कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर पड़ता है। तो यह कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर जो आम तौर से २३ रु० १ आ० के करीब पड़ता है इसकी जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। क्या हम यह समझें कि जैसा एग्रीकल्चर रिफार्म्स कमीशन ने रिपोर्ट दी कि पिछले पंचवर्षीय योजना में देश के किसानों की आमदनी घटी है और औद्योगिक मालों की कीमत बढ़ी है, तो यह उसका कारण नहीं है कि जो खेती करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं उनकी उपज की कीमत कम मिलती है और उसकी आमदनी घट गयी है और जो बीच में दूसरे लोग मुनाफा उठाने वाले हैं वे उससे ज्यादा मुनाफा उठाते हैं वह आमदनी उनके पास जाती है। जो किसान हैं, जो प्रारम्भिक अवस्था में पैदा करने वाले हैं उनको वह पैसा नहीं मिलता है बल्कि वह पैसा बीच वाले लोगों के पास जाता है। इस तरह से जो बड़ी भारी संख्या में इस देश में हैं जो देश की कमर हैं वह कमर टूटती हैं और बीच वाले जो होर्डर हैं उसी को होर्ड करके ज्यादा दाम पर नानएग्रीकल्चरिस्ट को देते हैं और इसलिये देते हैं कि बाम्बे के मुकाबले में जो ज्यादा खाने के शौकीन है, वे हमसे भी ज्यादा धनी लोग हैं, हमारा स्टैंडर्ड आफ लीविंग उनसे अच्छा हो। जबकि उनके यहां १८.८५ रु० महीने में खर्च होता है, उत्तर प्रदेश में २३.४ रु० खर्च होता है कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर के ऊपर एक महीने में। तो मैं दोष सरकार को देता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार इस दोष से बरी हो सकती है इसका उपाय हो सकता है। फिर यह उस वक्त का है जब कि यह बिक्री कर इस हिसाब से नहीं लगा था। अब इस बिक्री कर के बाद तो कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर और बढ़ेंगे। और यह कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा उसका ज्यादा हिस्सा जो है वह तो नान-एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर ही जायगा, २ करोड़ से ऊपर की आबादी पर वह पड़ेगा। उसी हिसाब से जब उद्योग के मामले में एक्साइज ड्यूटी कपड़े की बढ़ी तो वह भी कोई मैनुफेक्चरर पर नहीं बढ़ी, वह तो कपड़े के मिल से निकलने के पहले ही सब वसूल कर ली जाती है लेकिन जो कोई भी कर है वह तो जब कपड़ा खरीदने वाला खरीदता है वह उस पर ही जाकर पड़ता है क्या सरकार को ज्ञान नहीं है कि यह कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर उन निर्धन लोगों पर ही पड़ेगा?

एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम विषमता को दूर करना चाहते हैं तो क्या सरकार ने सचमुच इसमें विषमता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? मैं समझता हूं विषमता को दूर करने की ओर नहीं बल्कि उस को कायम करने की ओर और उसको और बढ़ाने की ओर यह कदम है। यह मैं मान नहीं सकता कि सरकार को इस

का ज्ञान नहीं है, सरकार वसूल करती जाय और उसको ज्ञान न हो यह कैसे हो सकता है। और अगर ज्ञान उस को नहीं भी है तो दूसरे लोग जो ज्ञान उसको दें उसे उसी से लाभ उठाना चाहिए, जनता ने जो ज्ञान देना शुरू किया है और सारे प्रदेश में हर पहली तारीख को जो आन्दोलन इस विषय पर चलाया जा रहा है और जो उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको यह न सोचना चाहिए कि यह धमकी है, वह तो एक 'आह' है उस पर सरकार को पिघलना चाहिए। उनको आह पर इस तरह कागजी प्लान रख कर उनके दिलों को नहीं दुखाना चाहिए। सरकार के पास दर्जनों ऐसे रास्ते हैं कि जिनसे वह रुपया इकट्ठा कर सकती है और इस विषमता को दूर करने का वह एक प्लान बना सकती है। सरकार इसको स्वीकार करे और सोचने को तैयार हो अन्यथा एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और मेरी गुस्ताखी माफ हो, आखिर इस सरकार को किसने बनाया है, मैं कहता हूं कि सरकार इस बात पर जरा तैयार हो जाय और वह इस बिक्री-कर के विषय में एक रिफ्रेन्डम करा लें और जिन्होंने उसको चुनकर भेजा है उन्हीं की राय ले ले। क्या दूसरे देशों की सरकारों की तरह सरकार इस चुनौती को स्वीकार कर सकती है कि वह इस प्रश्न को लेकर लोगों की राय जान ले। उधर से आवाज आ रही है "कि चुनाव में फैसला हो जायगा" कुछ कारण हैं कि जिनसे जनता जो है वह यह सोच सकती है कि सारे कुकर्मों के करने के बाद भी इस कांग्रेस सरकार को जिन्दा रखा जाय, देश की जनता बहुत समझदार है---इसको हम भी समझते हैं लेकिन मैं यह चुनौती देता हूं कि अगर इस मसले पर सरकार जनता की राय पूछने के लिये जाय तो उसने जो कर्म किये हैं, कर्म क्या कुकर्म किये हैं . . .

श्री अध्यक्ष---अब आप बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह तो ऐसा प्रश्न है जिस पर कि सारे देश की जनता को बड़ा क्षोभ है और अगर सरकार उस क्षोभ को जानना चाहे तो उसके हृदय को टटोल कर जान सकती है। अगर सरकार यह सोचती है कि वह सारे देश की जनता को रिप्रेजेंट करती है तो आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते, कम से कम पहली अप्रैल से जो बिक्री-कर लागू किया गया उससे सरकार की प्रतिष्ठा बहुत घटी है और सरकार से कहूं कि सरकार में निष्ठा भी बहुत घटी है और वह आज मजबूर है यह सोचने के लिये कि अगर सरकार हमारी इसी प्रकार के करों से हमको लादती गई तो फिर सरकार से किस प्रकार से छुट्टी पाई जाय। तो मैं ऐसा तो जरूर चाहता हूं कि सरकार सही कदम उठा सके तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर सही कदम नहीं उठाया तो मैं सरकार से इस अवसर पर कहने से नहीं चूकूंगा कि सरकार यह बड़ी भारी भूल करेगी और देश की जनता के सामने एक दूसरे प्रकार से सोचने के लिये एक मसला देगी कि वह कुछ दूसरे ढंग से कांग्रेस सरकार को दुरुस्त करने की बात सोचें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधी जी की बड़ी तपस्या की थाती तो कांग्रेस के पास है और उस थाती का पूरे तरीके से कांग्रेस उपभोग कर रही है पर यह भी अगर निवेदन करूं तो बुरा नहीं मानना चाहिये कि थाती का उपभोग करते हुए जो गांधी जी के सबसे प्यारे लोग हैं, उनके ऊपर ऐसा कानून नहीं लादना चाहिये जिससे जुल्म हो। मैं इसको जुल्म ढाने वाला कानून कहूंगा। अगर सरकार ऐसा समझती है कि जुल्म नहीं होता तो सरकार इस बात को देखे कि इस टैक्स का बोझ किन लोगों पर पड़ता है---इस टैक्स का बोझ उन लोगों पर तो नहीं पड़ता है जो इस टैक्स के देने के हकदार नहीं हैं। अगर ऐसा है तो फिर उनके ऊपर इस टैक्स का बोझ लादना मुनासिब नहीं होगा। मैं तो दृढ़ मत का हूं कि जो पहली अप्रैल

[श्री गेंदा सिंह]

के बाद टैक्स बढ़ाया गया वह न्यायोचित नहीं था। अगर सरकार दूसरे तरीकों को अपनाती तो इस टैक्स को बढ़ाने की जरुरत न पड़ती।

मैं थोड़ा सा ध्यान सरकार का इस तरफ भी ले जाना चाहूंगा वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि वह किफायतशारी का भी रास्ता देख रहे हैं, किफायतशारी कर रहे हैं अपने खर्चे में और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि हम अपनी आमदनी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं तो मैं यह साफ बात कह देना चाहता हूं कि किफायतशारी हमें कहीं दिखाई नहीं देती। पिछले चार-पांच साल में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा पहले होता था उसमें कहीं कोई कमी हुई ? एक्नोमी कमेटी जो बैठी उस एक्नोमी कमेटी की क्या सलाह है। क्या एक्नोमी कमेटी की यह सलाह नहीं है कि अफसरों पर मोटरगाड़ियों का खर्चा बहुत एग्जार्बिटेंट है और उस खर्च का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोका जाय, उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कोई चेष्टा की। उसके साथ-साथ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी जो हमारे सदन की बनी हुई हैं उनकी रिपोर्ट्स की ओर कितना ध्यान दिया गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कल जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी इर्रीगेशन डिपार्टमेंट और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की दुरुपयोग के धन की, उस पर सरकार किया ? पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर हम बहस भी नहीं कर सकते, ऐस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस नहीं कर सकते। हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। हम तो इस राय के हैं कि सदन को पूरा मौका मिलना चाहिये जिससे सदन अपना मत व्यक्त कर सके। जहां करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है उस पर सरकार ने क्या को एक मर्तबा नहीं, दस मर्तबा सोचना चाहिये और जो लोग करीब हैं अपना पेट तक नहीं भर सकते उनसे इस तरह पैसा इकट्ठा करके हम करोड़ों रुपया इस तरह बहाते हैं। सरकार को सोचना चाहिये कि जनता जो उनको थाथी सौंपी है उसका वह बुरा तरह से उपयोग कर रही है और मैं यह पूंछ सकता हूं कि फिजूल खर्ची क्या सरकार नहीं करती ? कल ही यह बात सामने आयी ३ करोड़ रुपये के ऊपर पूंजीपतियों को कर्जा दिया था ३१ मार्च के पहले, उस रुपये का आज तक उपयोग नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रियल लोन का बटवारा होता है उसमें कोई भी समझदार आदमी यह कह सकता है उसका बहुत ही दुरुपयोग होता है। अब किसी चीज में अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके कुपरिणाम यह होता है कि हमको दूसरे रिसोर्सेज ढूंढ़ने पड़ते हैं और उसका असर पड़ता है गरीब जनता पर। जब कि सरकार इस बात को कर सकती है कि जो इस तरह से रुपये का दुरुपयोग होता है उसको रोके। अगर सरकार को पैसा इकट्ठा करना है तो इस मद को छोड़ करके क्या सरकार को दूसरी कार्यवाही नहीं सूझती। अगर नहीं सूझती हो तो मैं फिर निवेदन करूंगा सिर्फ इतना क्या ऐक्सपेंडिचर टैक्स के लिये टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का जो सुझाव था बड़े ३ विद्वानों का सुझाव है उस पर उसको नहीं सोचना चाहिये कि ऐक्सपेंडीचर टैक्स लगा कर पैसा इकट्ठा करे। मैं तो एक बात और कहता हूं जहां तक गरीबों का सवाल है या जहां तक देश में कर्जा मिलने का सवाल है देश प्लान के साथ कोआपरेट करना चाहता है चाहे उससे उसका भला हो या न हो। एक उदाहरण की बात मैं बताऊं। ४ तारीख तक सरकार ने कहा था उसको ८ करोड़ रुपया कर्ज मिलना चाहिये। उसके लिये मियाद और आगे भी थी। लेकिन ४ तारीख तक ८ करोड़ ८० लाख रुपये के आफर सरकार को आये। तो देश तो देने में संकोच नहीं करता। कर्जा मिल रहा है। देश की भलाई के नाम पर। अगर कोई धूर्त आदमी भी जा कर कहे हम बहुत चन्दन लगाने वाले हैं तो उसको भी हमारा देश, जो मूर्तिपूजक देश है, हृदयवान देश है, उसको बैठा करके खाना जरूर दे देता है। तो आज देश के उत्थान के नाम पर अगर कर्जा सरकार मांगती है तो चाहे स्माल सेविंग ड्राइव हो या कोई ड्राइव हो, हर ड्राइव में जो टार्गेट सरकार ने मुकर्रर किया जनता ने अधिक साथ दिया। लेकिन सरकार का जो कर्त्तव्य था उसको वह पूरा नहीं करती।

मैं एक बड़ी कटु बात कहना चाहता हूं जिसके लिए माफी चाहूंगा, जहां तक यह बात कहता हूं कि गरीबों से पैसा लेने के लिये सरकार उनके ऊपर ज्यादती करती है वहां में यह भी इल्जाम सरकार के ऊपर लगाता हूं कि वह बड़े पूंजीपतियों के साथ रियायत करती है। जिन लोगों से पैसा निकालना चाहिये और देश के उत्थान के कार्य में लगाना चाहिये उनसे सरकार नहीं लेती है और उसके लिए मैंने बहुत साफ यह बात कही कि मैं पेश करता हूं, कोलदार साहब की रिपोर्ट को, मैं पेश करता हूं १५ करोड़ रुपये आपके इनकम टैक्स के बकाया को और मैं पेश करता हूं एक बात और। अखबारों में खबर आयी है कि २८ लाख रुपया कानपुर के कुछ लोगों ने कांग्रेस को चुनाव फंड में देने का वादा कर दिया या दे दिया। यह भी न्यूज आयी कि एक करोड़ रुपया चीनी के मिल मालिक कांग्रेस को चुनाव के वक्त के लिए दे रहे हैं। (व्यवधान) अब सेल्स टैक्स से यह मतलब है इसका कि जो लोग एक करोड़ और ३५ लाख रुपया इस सरकार को देंगे, मैं यह इल्जाम लगा रहा हूं, कि उस रुपये के लेने के एवज में सरकार उनको और जो सरकारी खजाने में पैसा उनके पास से करोड़ों रुपया आ सकता था उसमें रियायत करती है। मैं इल्जाम लगा रहा हूं और इसका परिणाम यह होता है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स असेस नहीं ठीक से होने पाता है, इनकम टैक्स असेस हो जाने के बाद वह वसूल नहीं हो पाता है, उसको वसूल करने में ढिलाइ होती है और इसका परिणाम यह होता है कि वह जो देश के गरीब हैं, कन्ज्यूमर्स हैं या जो रा मैटीरिअल्स पैदा करने वाले हैं उनके गले पर वह छुरी चलाते हैं और उसमें सरकार मदद नहीं कर पाती है।

मैं बार बार इस बात को दुहराता हूं कि अगर शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट एक करोड़ रुपया कांग्रेस को देने को कहता है तो वह कांग्रेस की कमाई या किसी दूसरे की कमाई नहीं देता है वह जो कन्ज्यूमर है या रा मैटीरियल पैदा करने वाला है, या जो उसके मजदूर हैं उनका करोड़ों रुपया दबा करके रखता है और उसमें सरकार से बार-बार कहने के बाद भी जो सरकार ने किसानों की मदद नहीं की, मजदूरों की मदद नहीं की उसकी एवज में वह चाहता है कि वह कांग्रेस सरकार आगे भी बनी रहे, और उसके बने रहने के लिये अगर करोड़ों रुपये की जरूरत है तो करोड़ों रुपये की थैली भी वह देने को तैयार है। मैं इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि एक मर्तबे इनकार तो करे कांग्रेस कि वह इस रुपये को नहीं लेती है और फिर वह किसानों और मजदूरों की इन सारी चीजों पर गौर करे कि वाकई उनका हित होता है कि नहीं, उनकी वकालत करने के लिये, उनके साथ न्याय करने के लिये, वकालत की बात मैं छोड़ता हूं, लेकिन उनके साथ न्याय तो करे। सरकार अगर न्याय नहीं कर सकती तो मानी हुयी बात है कि उसे थैली देने के लिये तैयार रहेगा उद्योगपति और कोई भी उद्योगपति इसलिये धन नहीं देता है उपाध्यक्ष महोदय, कि वह कांग्रेस को और सरकार को देवता समझता है। हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसा देना चाहता है वह यह समझ के देता है कि यह एक पैसा जो वह लगा रहा है उससे दस पैसे का मुनाफा उसको होने वाला है। वह तो मुनाफे का तिजारत करता है। पर यह मुनाफे की तिजारत है किसके ऊपर? यह मुनाफे की तिजारत जो है किसके खर्चे पर है वह मुनाफा होता है? इसलिये मैं डर के यह बात कह रहा हूं, बहुत ही खौफ के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सरकार इस रास्ते को छोड़े। जब तक यह सरकार उस रास्ते को नहीं पकड़ेगी कि जिन लोगों के पास धन है उनके पास से धन ले लिया जाय तब तक इसमें सन्देह नहीं कि पंचवर्षीय योजना को चलाना कठिन होगा। पंचवर्षीय योजना में इन सब रुपयों को इकट्ठा करने के बाद भी १२ सौ करोड़ रुपये का नोट छापना पड़ेगा। १२ सौ करोड़ रुपया का नोट छाप करके हमकों इस ४८ सौ करोड़ रुपये की योजना को पूरा करना पड़ेगा। उसको भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं कि वह १२ सौ करोड़ रुपये का नोट जब छापेगी तो मुद्रास्फीति को कौन रोक सकता है और उसके जो लाजिकल कांसीक्वेंस होंगे उसका भी सामना करने में किसके सिर पर बला आयेगी। जिस वक्त मुद्रास्फीति होगी उस वक्त कन्ज्यूमर मरेगा। कंट्रोल आयेगा और कंट्रोल आयेगा तो फिर उसके साथ चोरबाजारी आयेगी। तो इसलिये यह सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ इशारा कर देता हूं। सरकार के पास

[श्री गेंदा सिंह]

धन की कमी है तो उसके लिये बार-बार कहना चाहता हूं कि दूसरे रिसोर्सेज को सोचा जाय, दुरुपयोग को बचाया जाय, दुरुपयोग पर मैं बहुत गहराई से इस वक्त जाने के लिये तैयार नहीं हूं ।

मैं बार-बार यह कहता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो बातें आयी हैं उन्हीं की तरफ अगर सरकार का ध्यान जाता तो बहुत सा दुरुपयोग बच सकता था ? इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार करते तो उसमें भी करोड़ों रुपये की बचत कर सकते थे। माननीय परिपूर्णानन्द जी शायद उस इकोनामी कमेटी के मेम्बर हैं और वह शायद हम लोगों को कुछ रोशनी देंगे कि इकोनामी कमेटी क्या कर रही है, इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट कब तक आयेगी ? क्या हम लोगों की जिन्दगी के बाद आयेगी ? एक बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि एक कोई बहुत कांम्प्रहेंसिव बिल आने वाला है सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में। लेकिन वह यह कहते हैं कि यह बिल जो है उसमें जरा देर लगेगी क्योंकि इस चालू वर्ष में चुनाव होने वाला है इसलिये आलेख को अधिनियम बनाने में समय लगेगा। इसके एक हिस्से से तो मैं बिलकुल ऐग्री करता हूं जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने कहा कि चुनाव होने वाला है इसलिए वह बिल नहीं आयेगा, क्योंकि इसका मतलब मैं यह ले रहा हूं कि सरकार को चुनाव में नुक्सान पहुंचने वाला है। मैं हर चीज को गुड सेंस में लिया करता हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि वह अवश्य ऐसा बिल होगा जिससे देश का कुछ निर्माण होगा, कुछ बिक्री-कर का बोझ इस वक्त जिनके ऊपर पड़ रहा है वह हटेगा। लेकिन जब यह बात मैंने पढ़ी कि चुनाव होने वाला है इसलिये वह कारण है कि वह बिल अभी नहीं आयेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डर लगता है सरकार को और आगे भी मैं अनुमान करता हूं कि इस तरह का सरकार बिल लाने वाली है जिसमें बिक्री-कर के ऊपर कोई रियायत सरकार करने वाली नहीं है और कोई ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं है जिन बातों पर सारे देश ने ध्यान दिलाया।

मैं इस बात को कहता हूं कि यह टैक्स रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव भी है और प्रदेश की जनता जो है वह किसी भी हालत में इस टैक्स को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और न यह उचित है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस मौके पर कि सरकार फिर विचार करे और फिर विचार करके मैं तो समझता हूं कि इस विधेयक को वापस ले और यह जो वक्तव्य है माननीय वित्त मंत्री जी का उसको फिर दोहराने से कोई काम चलने वाला नहीं है और मैं सचमुच में यह कहता हूं कि जनता की जो मांग है उसके सामने सरकार को झुकना चाहिए यह नहीं है कि यह तो कुछ थोड़े से शहर के लोगों की मांग थी। शहर के कुछ व्यापारियों के ऊपर यह बोझ नहीं पड़ने वाला है। इस सेल्स टैक्स का जो बोझ पड़ने वाला है वह शहर के कंज्यूमर के ऊपर, देहात का जो कंज्यूमर है उसके ऊपर पड़ने वाला है। दुर्भाग्य हमारा कि वह कंज्यूमर जो देहात में बसता है उसको इस कानून की और बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती है। अगर सचमुच में उसको जानकारी हुई होती और हमारे अन्दर शक्ति होती—जैसा कि हम आज महसूस करते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है कि हम इन बातों को उस तक पहुंचा सकें—तो वह आसमान सर पर उठा लिये होता जैसा कि यह जुल्म करने वाला कानून है। मैं तो सरकार को सही दृष्टि से सोचने को कह रहा हूं कि व्यापारी भाइयों ने जो आंदोलन किया उसको वह यह न समझे कि चोर-बाजारी करने वालों ने आंदोलन किया। मैं तो उन व्यापारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस आंदोलन का सूत्रपात किया और मैं उन दोस्तों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सरकार के दफा १४४ लगाने के बाद उसको तोड़ा और सरकार ने उनको जेलखाने अगर पहुंचाया तो वहां जाकर भी सरकार के सामने सर नहीं झुकाया। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों के आंदोलन से प्रभावित होकर या डर कर के सरकार ने कुछ थोड़ा सा कदम उठाया ।

मैं यह आशा करता हूं कि सरकार सोचेगी और सरकार पहली अप्रैल की गल्ती को स्वीकार कर चुकी है, अब जरा फराखदिली के साथ मंजूर करेगी और मंजूर करके इस सेल्स

टैक्स को वापस लेगी, जो नये सेल्स टैक्स लगाये हैं। इसमें दो लाभ हैं। एक तो सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि इस साढ़े नौ करोड़ रुपये के लिए हम कौन कौन से दूसरे तरीके अपनायें जिससे देश की भलाई होगी। दूसरी बात यह होगी कि सारे देश की जनता जो सही माने में हमारी मालिक है और जिस जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, उसको पूरा करने में सरकार ज्यादा हद तक सफल होगी अन्यथा मैं यह कहना चाहता हूं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय और आशा करता हूं कि जब तक सरकार इस कानून को वापस न ले ले तब तक इस देश की जनता शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखेगी और व्यापारियों से यह कहना चाहता हूं कि देश के लोग जिनके पास मुंह नहीं हैं, अखबार नहीं हैं, जिनके पास अखबार पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी वह मदद करेंगे।

मैं अन्त में एक बात सरकार से यह कह दूं कि सरकार उन बातों का ध्यान रखे जिनसे कि पबलिक ओपीनियन बनती है। सरकार सौ जगह लाभ उठाती है और एक जगह उसे नुकसान दिखाई देता है तो उसे वह स्वीकार कर ले। हमारा प्रान्त का कोई ऐसा सम्मानित पत्र नहीं है जिसने सरकार के इस कदम का विरोध न किया है, जो सरकार के मुख्य पत्र हैं और जो सरकार की पीठ ठोका करते हैं और हमेशा सरकार की सहायता करके लिये तत्पर रहते हैं उन्होंने प्रदेश की सरकार को हमेशा नेक सलाह दी है कि इस कदम को सरकार वापस ले ले। वह तो नादान दोस्त हैं कांग्रेस के जो सरकार की इस मामले में भी पीठ ठोकते हैं। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने सरकार को मौके मौके पर इसको वापस लेने की सलाह दी है। मैं सारी बातों को कहते हुये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार दाना दुश्मन मुझे समझ ले, मैं उसका नादान दोस्त नहीं हूं। बहुत से कांग्रेस के नादान दोस्त अभी इसकी ताईद करेंगे और मेरा विरोध करेंगे, उनको मैं सरकार का नादान दोस्त समझता हूं लेकिन मैं दाना दुश्मन हूं और उस हैसियत से कहता हूं कि इस टैक्स प्रपोजल को जो जालिमाना कानून है, सरकार वापस ले ले।

शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६ को बैठक करने तथा बिक्री-कर पर भाषणों का समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि आज शाम तक इसको पूरा करना है। तीसरा अमेंडमेंट बिल भी आ गया है, मैं चाहता हूं कि उसे भी मूव कर दिया जाय और भाषणों का समय मुकर्रर कर दिया जाय जिससे शाम तक खत्म हो जाय।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कहीं तय नहीं है कि आज शाम तक वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विधेयक पास हो जाय और यदि यह पास नहीं हो जाता है तो न धरा धंसती है और न गगन फटता है क्योंकि कहीं इस विधेयक में नहीं लिखा है कि यह कब से लागू होगा। जो वित्त मंत्री महोदय ने अपना भाषण दिया है उसमें संकेत किया है कि पहली अक्तूबर से सरकार इस तरह की व्यवस्था करना चाहती है। आज यह सदन उठ रहा है तो जितना आज वाद-विवाद हो जाय, हो जाय और सरकार को भी मौका मिल जायगा कि इस पर जनता की क्या प्रक्रिया होती है। फिर अक्तूबर में नये मस्तिष्क से और नई आबोहवा को लेकर वित्त मंत्री जी जवाब देंगे और माननीय सदस्य भी बोलेंगे। इसलिये किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि हमने यह फैसला किया है या चर्चा हुई है कि इसको आज शाम तक खत्म करना है। परसों जब चर्चा हुई थी, मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में हमने कह दिया था कि क्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

परामर्शदात्री समिति ने इसके लिये कोई अवधि निश्चित की है तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि परामर्श समिति के सामने विषय रखना सरकार का काम है लेकिन कब तक तय हो इसके लिये यह उस समिति में जाना चाहिये और यह विधेयक इस समिति में नहीं गया है। परामर्शदात्री समिति ने यह नहीं तय किया है कि यह विधेयक कितने दिनों तक चल सकता है और श्री ब्रजभूषण जी के प्रस्ताव को स्वीकार करना परामर्शदात्री समिति के अधिकारों का हनन होगा। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को उपस्थित होने की कतई अनुमति न दें। इस प्रस्ताव का समय बीत चुका है। अब हमें अवधि गति से सत्यं शिवं सुन्दरं को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव पर बिलकुल विचार ही न करना चाहिये और इस सदन के सदस्यों के बोलने का समय बांधने के लिये इजाजत न दें।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—जो प्रस्ताव माननीय ब्रज भूषण मिश्र जी ने रखा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कहीं यह न समझा जाय कि किसी तरह से भी हम लोग इस बात के लिये राजी हुये हैं कि जो यह सेल्स टैक्स का बिल यहां आया हुआ है और माननीय मंत्री जी का बयान है उसके लिये कहा जाय कि एक दो घंटे में बहस समाप्त हो। यह उचित नहीं होगा। हम लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि अगर कल भी बैठें और आगे भी बैठें क्योंकि हम १२,१३ तारीख तक यों भी बैठने वाले थे। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और जैसा खुद माननीय मिश्र जी ने कहा है कि सभी लोग इस पर बोलना चाहते हैं तो जब सभी लोग बोलना चाहते हैं तो एक दो मिनट में पूजा-पाठ तो नहीं है कि फूल चढ़ा दिया और कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, इसलिये समय बांधना उचित न होगा। आज शाम तक हम बहस करें शाम को देखा जायगा और अगर उस वक्त जरूरत हुई तो हम कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठ लेंगे, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव बिलकुल अनुचित है।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आपको ज्ञात होगा कि सरकार ने इसके लिये कोई टाइम टेबिल नहीं फिक्स कराया है। अगर यह बात थी तो उसको इस बिल को परामर्शदात्री समिति के सामने रखना चाहिये था। लेकिन यह सरकार ने नहीं किया। सरकार को उसके सामने भेजना चाहिये था जिससे अध्यक्ष महोदय उसकी मीटिंग बुलाते और उसके निर्धारण को सदन के सामने पेश किया जाता। आपको यह भी स्मरण होगा कि जब इस तरह का पहला सेल्स टैक्स बिल आया था तो हम लोगों ने उस कमेटी से इसीलिये इस्तीफा दिया था क्योंकि हम लोग समझते थे कि इस प्रकार का कार्य उस समिति के ऊपर आघात होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी का बयान और उसी से मिलता जुलता बिल भी चल रहा है इस पर दोनों तरह से तालेबन्दी करना यानी समय भी बांधना और सदस्यों के भाषण के लिये भी समय बांधना बिल्कुल अनुचित है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। हम लोग तो कल और परसों और जब तक यह बिल चले तब तक के लिये बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रस्ताव बिलकुल अनुचित है।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी प्रार्थना मैं भी आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं कि इतना तो वे मानेंगे ही कि यह बिल भी और उनका बयान भी, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश की समूची जनता, ६ करोड़ और जितने लाख हो उससे इस विधेयक और बयान का सीधा सम्बन्ध है क्योंकि हर एक उपभोक्ता इसमें आ जाता है और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यह दोनों ही चीजें विवादग्रस्त हैं और यह समूची जनता से सम्बन्ध रखता है। इसलिये उनके सम्बन्ध में विवाद और विचार को इस तरह से नियंत्रित कर देना इस सदन के साथ, सदन के विरोधी दल के साथ और जनता के साथ अन्याय होगा और हमारा यह कर्त्तव्य हो जायगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हम इस अन्याय का विरोध करें। यह विवाद को हास्यास्पद बना देना है और अगर सरकार का यही मंशा है कि कोई विवाद और विचार न हो और वह अपनी संख्या के बल पर जिस समय चाहे जो उचित समझे वह कर ले तो फिर वह जो चाहे करे। फिर वह जैसा चाहें वैसा करें, हमारा सहयोग उसमें न होगा। हम उस से अपना नैतिक असहयोग करेंगे।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय गेंदा सिंह जी साहब की तकरीर सुनकर यह समझा था कि यह बिल और बयान जो इस सदन में दिया गया एक निहायत ही फिजूल और एक ऐसी चीज है कि जिस को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये था। मैं यह नहीं समझता था कि इसके साथ इतनी दिलचस्पी है इस हाउस के मेम्बरान को कि इसको वह अपनी बहस में ज्यादा लाना चाहते हैं। खैर, तो इसके मुताल्लिक एक बात खास है जो आपके द्वारा में इस सदन के बयान में ला देना चाहता हूं और वह यह है कि किसी टैक्स की मौकूफी और किसी टैक्स में कमी यह हर वक्त नहीं हो सकती। जैसे यह सेल्स टैक्स है इसके वक्त हैं सेमाही और शशमाही। तो मैंने जैसा अर्ज किया कि पहली अक्तूबर तक यह तब्दीली कर देनी चाहिये। पहली अक्तूबर से करना है वह इसलिये कि वह तारीख ऐसी है कि जिस दिन ६ महीने पूरे होंगे और उससे आगे हिसाब ठीक चलेगा। तो गवर्नमेंट को जो कुछ इस मामले में करना है वह १ अक्तूबर से पहले पहले कर देना है उसके बाद फिर अगर होगा तो अगली अप्रैल जो आयेगी १९५७ की, उसके बाद होगा।

इस बात को सब मेम्बरान सोच लें कि आया हम इस काम को करें या न करें और यह बात ऐसी है कि इससे गवर्नमेंट हट नहीं सकती है। गवर्नमेंट के पास उसके करने के लिय और कोई वक्त नहीं है, मौका नहीं है। बाकी यह कि अब क्या हो, कब तक इसके ऊपर बहस हो, यह बजाय मेरे इस सदन की राय पर मुनहसिर है। मैं उसको खुद इस सदन की राय पर छोड़ूंगा। सदन चाहे तो यह फैसला करे कि आज इसको खत्म किया जाय, चाहे तो यह फैसला करे कि और ज्यादा वक्त बैठ कर इसको खत्म किया जाय, सदन चाहे तो यह फैसला करे कि कल इस पर बहस हो। मुझे इससे मतलब नहीं। मैं इसको बिलकुल हाउस पर छोड़ देता हूं। मैं यह साफ कर दूं कि इसके बाद गवर्नमेंट को इस काम को रोक रखने के लिये गुंजाइश नहीं है और एक अक्तूबर से हमको इस काम को करना है और इसलिये इस बिल को पास होना है और यह जो बहस है मेरे बयान की वह तो ऐसी थी कि उसके ऊपर इसका कुछ असर नहीं पड़ता है। तो सब मेम्बरान इसको सोच कर विचार करें और अगर यह ठहरायें कि इसको आज खत्म करना है तो उसके लिये जो वक्त मुकर्रर करना चाहें वह कर लें और यह बात हाउस पर है।

*श्रीगेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता था। इस सिलसिले में। माननीय मंत्री जी ने जो फर्माया कि वह इसको हाउस पर छोड़ देना चाहते हैं तो मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आखिर वह हाउस के लीडर हैं। अगर हाउस उनकी तरफ किसी भी तरह देखे तो यह अनुचित न होगा। इस वक्त एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि जिसमें उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने मत व्यक्त किये और सही बात यह है कि माननीय सदस्य अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं इस विधेयक पर तो उनको अवसर मिलना चाहिये और मैं भी समझता हूं कि उनको मौका मिलना चाहिये। उससे सरकार का अहित नहीं होगा। उससे सरकार को रोशनी मिलेगी और उस रोशनी में सरकार को परिणाम पर पहुंचने में मदद मिलेगी। तो ऐसी हालत में मैं उनसे नेतृत्व की आशा करता हूं कि लीडर आफ दि हाउस ऐसे मौके पर अपने को इससे अलग न करें बल्कि हाउस का नतृत्व करें और उसको यह सलाह दें कि जो विरोधी दल के सदस्यों ने मांग की है उस मांग के बारे में शांतिपूर्वक हाउस विचार करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक बैठने की आवश्यकता हो तब तक इस सदन को बिठाया जाय। इसमें पहली अक्तूबर का झगड़ा नहीं है। इस बीच में हम लोग यहां बैठने के लिये तैयार हैं और बैठकर इस विधेयक में जो कुछ भी निश्चय करना है उसको निश्चय करने के बाद ही उठें। हम लोग तैयार हैं और वित्त मंत्री जी से आशा करते हैं कि वह अपनी तरफ के लोगों को तैयार करेंगे कि वह भी बैठें। इसमें रजामन्दी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर अपना मत व्यक्त करने के लिये बहुत से सदस्य उपस्थित रहेंगे। जैसा पालीवाल जी ने कहा कि इससे सारी जनता और करोड़ों लोगों का सम्बन्ध है। इतनी बात कहकर मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री जी अपने को अलग न करें और हाउस का नेतृत्व करें जिससे यह जो कटुता हाउस में कुछ उत्पन्न हो गयी है वह नहीं रहेगी।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—जैसा कि विरोधीदल की ओर से, राजनारायण जी की ओर से और श्री गेंदा सिंह जी की ओर से कहा गया है कि हम लोगों को कल बैठने में कोई ऐतराज नहीं है और वे चाहते हैं कि इस पर कुछ और समय दिया जाय तो मेरा प्रस्ताव यह है कि कल भी इस सदन की कार्यवाही जारी रहे, लेकिन हम लोग ५ बजे इस विधेयक को स्वीकृत करके ही उठें।

श्री जगन्नाथमल्ल—यह जो शर्त लगायी गयी है श्रीमन्, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। उसको आप कृपया सुन लें।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं भी आपको नेक मशविरा दे रहा हूं। नारायणदत्त जी तिवारी अभी मेरे पास मेरे दफ्तर में गये थे और उन्होंने मुझसे यह फर्माया कि मुझको श्री गेंदा सिंह जी ने भेजा है और वह यह कहते हैं कि हाउस कल और बैठा लिया जाय इस बिल पर बहस करने के वास्ते, तो मैंने उस पर उनसे यह कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास इसकी खबर भेज दूंगा और मैं उनसे जवाब मंगा लूंगा कि क्या हो। अब टंडन जी ने जो यह सजेशन दिया तो वह इत्तफाक से ऐसी बात निकली जो इधर से भी कही गयी और उधर से भी कही गयी। वह ऐसी बात नहीं है कि इनके ही दिमाग से निकली है वह तो दोनों तरफ से कही गयी है। वह ऐसी बात नहीं है कि जो किसी एक तरफ की हो। इधर की भी राय है और उधर की भी राय है। लिहाजा मुझको तो मंजूर है कि कल शाम तक बैठा जाय और कल इसको खत्म कर दिया जाय।

*श्री राजनारायण—मेरा अपना प्वाइंट आफ़ आर्डर यह है कि यहां पर परामर्शदात्री समिति बनी हुई है। परामर्शदात्री समिति का एकमात्र कर्तव्य यह है कि सरकार जिस कार्यक्रम को घोषित कर दे उसका बन्टन करे। सदन यदि उस समिति की राय से सहमत नहीं होता। केवल समिति को सिफ़ारिश कर सकता है लेकिन उसके फ़ैसले को बदल नहीं सकता। जिन माननीय सदस्य ने मुझे टोका है वे ज़रा समझ लें। सदन केवल इतनी सिफारिश करता है कि समिति इस पर पुनः विचार कर ले। हमने परसों भी यह सवाल उठाया था। यह ठीक है कि कार्यक्रम का देना सरकार का कार्य है, मगर किसी प्रस्ताव या विधेयक पर कितना समय लगेगा, यह परामर्शदात्री समिति का काम है। माननीय अध्यक्ष ने इसका संकेत भी कर दिया था और उस पर भी यह सरकार नाकामयाब रही। सरकार ने परामर्शदात्री समिति को एप्रोच नहीं किया। तो क्या वह परामर्शदात्री समिति के अधिकार का अपहरण नहीं होगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा और जो शायद उसके सदस्य भी हैं? मेरा सुझाव है कि पहले यह परामर्शदात्री समिति में जाय और वह इसके समय पर विचार करे।

एक बात का माननीय हाफ़िज जी को भी जवाब दे दूं क्योंकि बार-बार उठने का सवाल नहीं आता। उनके पास, उन्होंने कहा, माननीय नारायणदत्त जी गये। उनसे क्या कहा.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर तो दो सन्टैन्स का होता है। इतना लम्बा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आप ने बहुत देर में उठाया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जब कोई सदस्य अपना प्वाइंट आफ़ आर्डर खत्म नहीं कर पाया है तो क्या कोई दूसरा सदस्य उसके बीच में अपना प्वाइंट आफ आर्डर उठा सकता है? और चेयर क्या इसकी इजाजत देगी? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने जो कुछ व्यवस्था देनी थी, वह दे दी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सुझाव दिया उसमें यह भी सूचना दी कि हमारे साथी माननीय नारायणदत्त जी उनके पास गये थे कि कल सदन के बैठने की इजाजत दे दें, तो कल के लिये कोई समय तो निर्धारित नहीं हुआ। जैसा कि ५ बजे तक का सदन होता है, अगर उसके बाद भी बोलने वाले सदस्य होंगे तो यह जरूरी नहीं होगा कि ५ बजे तक ही सदन रहे। उसके बाद भी बैठ सकते हैं। तो कल का दिन रखा जाय और रात तक भी हम बैठ सकते हैं जब तक यह बिल पास हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो श्री राजनारायण जी ने कहा कि परामर्श-दात्री समिति को ही अधिकार है समय वगैरह नियुक्त करने का, यह अधिकार इस समिति को अकेला नहीं है। वह इस सदन के मातहत है और इसकी छोटी हुई है और इसकी हिदायत के अनुसार वह काम करती है। यह सदन अगर चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। जिस तरह से सदन चाहे, उसी तरह से कार्यवाही की जा सकती है। दो बातें इसमें आई हैं। एक तो यह कि आज या कल सदन इसे समाप्त करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात यह थी कि प्रत्येक वक्ता को कितना समय दिया जाय, शायद १० मिनट के समय का प्रस्ताव आया था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्रस्ताव तो केवल यह आया था कि हाउस कल बैठे और इसी के लिये सब लोग सहमत हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—श्रीमन्, मैं अब समय के लिये भी प्रस्ताव लाना चाहता हूं, उसकी मुझे इजाजत दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि हम कल भी बैठें और इसके लिये समय भी नियुक्त किया जाय लेकिन अभी समय निर्धारण का प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—श्रीमन्, समय निर्धारण के लिये मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट का समय दिया जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, समय के बारे में तो कल भी किसी समय प्रस्ताव आ सकता है। अभी तो इतना ही कर दिया जाय कि कल सदन बैठे लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो समय का निर्धारण कल कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—कल के लिये इस समय वाले प्रस्ताव को रख दिया जाय तो अनुचित न होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—श्रीमन्, भाषण तो अभी से होने लगेंगे और अगर वक्ता लोग १–१ घंटे बोलें तो और लोगों को समय नहीं मिल पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित मंत्री के वक्तव्य पर विवाद करने और विचाराधीन विधेयक को पारित करने के लिये सदन की बैठक कल शनिवार को भी नियत समय पर हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रत्येक वक्ता को भाषण के लिये १५ मिनट का समय दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में —७७,
विपक्ष में — १८।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारा एक प्वाइंट आफ़ आर्डर है। यहां जो प्रस्ताव पेश हुआ है और हाउस द्वारा पास किया गया है वह बिना ग्रामवासी जी के प्रस्ताव पर, संशोधन का मौका दिये बिना, वोट ले लिया गया। इसलिये यह अवैध है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं निर्णय देता हूं कि यह बिलकुल वैध है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि यदि आप मुनासिब समझें तो जिसको आप चाहें ५ मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह अधिकार तो चेयर को सदैव रहता ही है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार तथा बिक्री-कर व्यवस्था में प्रस्तावित परिवर्तनों पर वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विवाद

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६ इस अधिकार के साथ एक प्रवर समिति को भेजा जाय कि वह मूल अधिनियम के दूसरे खंडों में भी संशोधन कर सकता है।

यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है और कल का माननीय वित्त मंत्री जी का बयान जो हमारे सामने है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने अपने संशोधन में यह बात इसलिये रखी है कि बिक्रीकर का यह प्रश्न इतना विवादग्रस्त और महत्व-पूर्ण है कि इस पर कोई जल्दी राय नहीं कायम करनी चाहिये बल्कि इसको फिर से एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द इसलिये कर देना चाहिये कि इस पर पूरी तरह से विचार कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। श्रीमन्, यह जो संशोधन है श्री तेज प्रताप सिंह का, यह तभी आ सकता है जब माननीय वित्त मंत्री जी यह प्रस्ताव पेश करें कि बिक्री-कर तृतीय संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रस्ताव तो वे पहले ही पेश कर चुके हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—तो मेरा मतलब इस संशोधन से सिर्फ इतना था कि यह इतना महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त प्रश्न है कि इस पर काफी समय देना चाहिये और इस पर सेलेक्ट कमेटी में ही अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी

अपने इस बयान में खुद मानते हैं कि उनसे करीब-करीब सौ या सौ से अधिक शिष्ट मंडल मिल चुके हैं और १,२०० से अधिक उनके रिप्रेजेंटेशन्स भी मिल चुके हैं। इससे ही सिद्ध होता है कि कितना है जबरदस्त आन्दोलन इस बिक्री-कर के मसले को ले कर इस प्रदेश में है। इसलिये मेरी पहली अपील तो इस संशोधन द्वारा यह है कि इस विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें और इसमें कोई जल्दीबाजी न करें। अब प्रश्न यह उठता है इस कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्ज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से मिले उन्होंने क्या क्या बातें उनके सामने रखीं और उन पर उन्होंने क्या निर्णय किया। उन्होंने इस बयान में कहा है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस मसले को लेकर सरकार ने एक सेल्स टैक्स कमेटी एप्वायंट की जिसकी रिपोर्ट आज तक सरकार को प्रस्तुत नहीं हुई है, न उन्हें मिली है। मैं समझता हूं कि यह बयान नितान्त भ्रमात्मक है, यह भ्रम पैदा करने वाला है।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि जब इस सदन के सामने द्वितीय संशोधन विधेयक उपस्थित था तो उसके उद्देश्य और कारण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बात मानी थी कि सेल्स टैक्स कमेटी की सिफारिश पर यह विधेयक लाये हैं। जब एक कमेटी कोई सिफारिश करती है तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस कमेटी ने कोई कार्यवाही की है, उस पर विचार किया है और सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं। मैं समझता हूं कि यह किसी ग़लती से या किसी भ्रम में पड़ जाने की वजह से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बयान में ऐसा कहा है कि अभी तक उन्हें कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि जो महत्वपूर्ण सिफारिशें उन्हें इस कमेटी के द्वारा मिली हैं उनको वे छिपा रहे हैं। मुझे जहां तक ख्याल है कुछ महीने पहले सेल्स टैक्स कमेटी की एक सिफारिश अखबारों में निकली थी कि उसने खाद्यान्नों के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र इस बयान में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सारा बयान जो है वह भ्रम फैलाने वाला है और हम उससे कोई भी नतीजा निकालने में असमर्थ हैं और न इससे कोई लाभ ही प्रदेश को होने वाला है क्योंकि जब तक कि हम ठंडे दिमाग़ से इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार नहीं करते तब तक कोई भी निर्णय हमारा सही नहीं हो सकता।

अब आप देखें कि हमारे सामने जब यह बिक्री कर का मसला आता है तो हम देखते हैं कि इसका असर केवल २ ही वर्ग पर पड़ता है। एक तो व्यापारी वर्ग पर और दूसरे उपभोक्ताओं पर, जिसमें कि सभी वर्ग आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें से हरएक दृष्टिकोण से हम इस पर विचार करें। जब हमने इस बयान को पूरे तौर से पढ़ा तो मेरा खयाल यह हुआ कि प्रदेश के इतने ज्यादा जो रिप्रिजेन्टेटिव आये उसी से प्रभावित हो कर वित्त मंत्री जी ने अपना यह बयान पेश किया है और उन्हीं डेपुटेशन्स के मिलने के बाद और उन तमाम समस्याओं को सामने रखने के बाद उन्होंने यह बयान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि कहीं भी इस बयान से यह प्रकट नहीं होता कि इससे उपभोक्ताओं का क्या लाभ होने वाला है और किस तरह से उससे लोगों को राहत मिलेगी, उससे न यह सिद्ध होता है और न ऐसी मालूमात होती है। उन के बयान से जो उनकी नीति के विषय में तथ्य प्रकट होता है वह यह है कि उन्होंने इस मसले को केवल व्यापारियों के दृष्टिकोण से ही देखा है, इसलिये इस पर उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाय और इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

अब मैं बताऊंगा कि उपभोक्ताओं की दृष्टि से जो दिक्क़तें हैं उनको मद्देनजर रखते हुये हमें क्या कदम उठाने चाहिये। श्री गेंदा सिंह जी ने विस्तृत रूप से इस प्रश्न पर प्रकाश डाल दिया है, आप देखें कि आखिर सारा बोझ हमारे कन्ज्यूमर पर ही तो पड़ने वाला है। आप खाद्यान्नों की ही ले लें। आप खाद्यान्नों को उनके व्यापारियों से एग्जेम्पशन फी लेने के बाद बिक्रीकर से मुक्त करना चाहते हैं और आप ने घोषणा की है कि यह नीति १ अक्तूबर से लागू होगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस कदम से उपभोक्ताओं को भी कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? यह मैं मानता हूं कि डीलर्स को जो खाद्यान्न में व्यापार

[श्री तेजप्रतापसिंह]

करते हैं, कुछ राहत अवश्य मिलेगी, उनको हिसाब किताब के रखने में जो दिक्कत थी वह बच जायगी और एक डेफिनिट फी देकर उनको एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट मिल जायगा और वह सेल्स टैक्स से बरी हो जायं लेकिन मूल प्रश्न तो यह है कि उपभोक्ता को भी इससे कोई राहत मिलेगी या नहीं। जब वह एगजेम्शन फी देंगे तो कौन सा ऐसा व्यापारी हो सकता है जो गल्ले की प्राइस को न बढ़ावे, इस तरह से गल्ले के दामों में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी, कोई भी व्यापारी वह फीस अपनी गांठ से देने वाला नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई व्यापारी फीस देकर कर-मुक्ति का सर्टिफिकेट ले ले, बिक्री कर से बच जाय और उसके बाद उपभोक्ता से उस फीस को वसूल न करे। वह उसको वसूल करने का कोई न कोई प्रबन्ध जरूर करेगा और इस तरह से निश्चित है कि फूड ग्रेन्स की दरें बढ़ेंगी।

भाव बढ़ने से यह निश्चित है कि उपभोक्ता पर उसका असर पड़ेगा चाहे वह किसान हो, चाहे शहर में रहने वाला उपभोक्ता हो, दोनों पर ही इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इसलिये मैं समझता हूं कि खाद्यान्न के बारे में जो नीति निर्धारित की है उससे करोड़ों व्यक्तियों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ हजार व्यापारियों को कुछ राहत मिल जाय। तो मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि यदि जनसमुदाय को आपको साथ लेना है तो उनको राहत देनी ही पड़ेगी तभी आप उनसे कोई सार्थक अपील कर सकते हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण का उसमें वे सहयोग दें लेकिन अगर उनका बोझा बढ़ता ही जाता है तो यह हो नहीं सकता कि वे पूरे दिल से आपका साथ दें। इस बड़े दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये आपको इस बात को एक न एक दिन ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि जो बोझा किसानों और उपभोक्ताओं पर बढ़ता जाता है उसे कम करें लेकिन आपके इस बयान से सिद्ध होता है कि वह बोझा कतई कम नहीं होगा।

दूसरे खाद्यान्नों के बारे में इतना कह देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी जब यह घोषणा करते हैं कि मैंने फलां-फलां मोटे-मोटे अनाजों से बिक्री कर हटा लिया है तो वे अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़ी इज्जत के साथ कि मोटे अनाजों में उन्होंने किस-किस अनाज पर छूट दी है। एक ५० नाम उन्होंने दिये जिसमें मैं समझता हूं कि ज्यादातर घासफूस ही था और कोई अनाज ऐसा नहीं था जिसको जनसमुदाय खाता हो। एक विचित्र तालिका थी जिसको मैं नहीं समझ सका और न जिसको इस माननीय सदन के माननीय सदस्य ही समझ सके। चना, गेहूं, बाजरा, जौ पर, जिसको बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है उस पर, आपने कोई छूट नहीं दी।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---ज्वार पर दी है।

श्री तेजप्रतापसिंह---केवल ज्वार को बिक्रीकर से मुक्त किया है। बाकी सब घासफूस है जिसको मवेशी खा सकते हैं, आदमी तो कोई खाता नहीं, न इससे कोई राहत व्यापारी को मिल सकती है, न प्रदेश में इसका कोई व्यापार ही होता है। तो उसकी एक लम्बी-चौड़ी तालिका बनाकर आप क्या समझते हैं कि लोगों को धोखा दिया जा सकता है कि इतनी बड़ी तालिका बनाई है बिक्रीकर से मुक्त करने के लिये। अगर अकेले चने पर वह छूट दी होती तो ज्यादा सार्थक होती, ज्यादा लोग प्रभावित होते और ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करते, लेकिन लम्बी तालिका होना कोई कारण नहीं है कि आपसे लोग खुश हों। जिस चीज को आम लोग इस्तेमाल नहीं करते उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं इतनी अपील करना चाहता हूं खाद्यान्नों के बारे में कि उस पर सम्पूर्णतया छूट देना चाहिये। धारा ४ ओरिजनल ऐक्ट, १९४८ में जैसा प्राविजन था उसको उसी

तरह से इसमें कहना चाहिये, न कि यह, कि जिससे आप ८ हजार तक फीस ले लेंगे उसको पार्शियली एग्जेम्पशन देंगे। अपील तो मेरी यह है कि कम्प्लीटली इसको एग्जेम्ट किया जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके।

दूसरी चीज कपड़े की निस्बत मैं कहना चाहता हूं जो कि जन साधारण के उपयोग में आने वाली दूसरी अत्यावश्यक चीज है, उपाध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि वह थोड़ा मेरा समय बढ़ाने की कृपा करेंगे। प्वाइन्ट आफ आर्डर उठे और भूवर भी में हूं। इसलिये लालबत्ती बन्द करके मुझे थोड़ा समय और देने का कृपा की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—तीन मिनट मैंने आपको दिये हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह—वित्त मंत्री कहते हैं कि कपड़े के व्यापारी भिन्न-भिन्न वर्ग के मुझ से मिले। उन्होंने भिन्न-भिन्न बातें अलग-अलग प्वाइंट आफ व्यू से रखीं और नतीजा उससे आप यह निकालते हैं कि जब उनमें भेद था, उनकी राय एक नहीं थी इसलिये सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकी। आपको खुद अपना निर्णय करना चाहिये। लोगों को तकलीफ है। कपड़े की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ा रखी है। तो आपको आखिर कुछ उपभोक्ताओं का ख्याल करना चाहिये या नहीं? उसके लिये तो कीमत बराबर बढ़ती जा रही है। उधर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ऐक्साइज ड्यूटी से बढ़ी और इधर आपने भी दो पैसे से १ आना फी रुपया बिक्री कर बढ़ा करके कपड़े की कीमत बढ़ा रखी है तो उप भोक्ता तो पिसता चला जा रहा है। उसका आपको ख्याल नहीं। आपने कदम क्या उठाया है कि जो लाइसेंसीज थे क्लाथ के उनकी फीसों में कमी की। उससे भी मुझे खिलाफत है। मैं इसको महसूस कर सकता था और मान सकता था कि जो रिटेलर्स हैं, हाकर्स है उनकी फीस की दरों में कमी की जाती। लेकिन जो होलसेलर्स हैं, इम्पोरटर्स हैं, दो सौ रु० आपको देते थे उसकी फीस को क्यों कम किया गया। जिनके व्यापार बड़े हैं उनके फायदे भी बड़े हैं। उनकी लाइसेंस फीस को क्यों कम किया गया। आप अमीरों की और बड़े आदमियों की तरफदारी करते जा रहे हैं लेकिन जो रिटेलर हैं जो १५ या २० हजार तक व्यापार करते हैं उसकी ओर आपका कोई ध्यान नहीं। वह ५० रु० फीस पहले देता था तो केवल उसकी १५, २० रुपया आप करते, उस कदम की सराहना हम कर सकते थे। लेकिन होलसेलर्स हैं, इमपोर्टर्स है उनकी फीस कम क्यों की? एक ओर आप धन बढ़ाना चाहते हैं राष्ट्रीय निर्माण कार्य के लिये और उधर बड़े आदमियों को राहत पहुंचाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह आपका कदम कतई न्याय संगत नहीं कहा जा सकता।

दूसरे कपड़े के बारे में इतना इवेजन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आपको करीब-करीब कपड़े के बिक्री कर से २ करोड़ रु० मिलना चाहिये। लेकिन आधा भी आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, कैसा आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन है? आप उधार रुपये को ठीक से वसूल भी नहीं कर पाते हैं, कानून की अवहेलना भी समाज में होती है। तो उस भ्रष्टाचार को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं और नया कर लगाते चले जा रहे हैं। तो यह न्याय-संगत नहीं है। इसका प्रभाव भी समाज पर अच्छा नहीं पड़ता है।

इसके अलावा आपके बार्डर से लगे हुये जो प्रदेश हैं उनमें भिन्न-भिन्न दरें हैं बिक्री कर की। और आपके प्रदेश में कर कुछ अधिक है। मसलन कपड़े में बिहार और देहली में बिक्री कर दो पैसा और एक पैसा फी रुपया है लेकिन आपके यहां १ आना फी रुपया कर रखा है। इसका नतीजा यह होता है कि बाहर के लोग कपड़ा लाते हैं और इस प्रदेश में बेचते हैं। कपड़े के व्यापारियों ने बराबर यह रिप्रजेंटेशन किया कि यह जो कपड़ा बाहर के प्रदेशों से आ रहा है वह हमारे यहां की टैक्सटाइल इंडस्ट्री को पैरेलाइज कर रहा है। लेकिन इधर आपका कोई ध्यान नहीं। आप कहते हैं कि जो चेक पोस्ट्स हैं उनको

[श्री तेजप्रतापसिंह]

आइन्दा कायम करेंगे। आपने अप्रैल में भी यह घोषणा की थी कि हम चेक पोस्ट्स कायम कर रहे हैं जिससे स्मगलिंग नहीं होगी और उससे टैक्सटाइल इंडस्ट्री पैरेलाइज्ड नहीं होगी। लेकिन यह काम बराबर होता जा रहा है? आप खुद मानते हैं इस बयान के द्वारा कि हम चेक पोस्ट्स अभी तक कायम नहीं कर पाये। तो उधर भी ध्यान जाना चाहिये।

रजिस्ट्रेशन की बाबत मंत्री जी ने कहा कि वह होना चाहिये। लेकिन कहते हैं कि हम पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाये। आपने कदम उठाया कि डीलर्स को रजिस्टर्ड किया जाय लेकिन नहीं कर पाये। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ लेकिन छोटे-छोटे व्यापारियों की खूब लूटपाट हुई। आपके सेल्स टैक्स के अफसरान बराबर गल्ला मंडियों में जा रहे हैं और हैरेस कर रहे हैं छोटे-छोटे व्यापारियों को कि वे रजिस्टर्ड हो जायं। उनका दस हजार, बारह हजार भी टर्नओवर नहीं है लेकिन उनको हैरेस किया जा रहा है। उनकी तो लूटपाट हो चुकी और आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो आप ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर भी तो ध्यान रक्खें कि यह जो तमाम इवेजन होता है जिससे कि आपके इस कोष में कुछ कमी हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस बयान का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक पर जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय इसके स्कोप को बढ़ाते हुए, इसको माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, अपने बयान के छठे पृष्ठ पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि सुख प्राप्त करने के लिये दुख सहना प्राकृतिक नियम है। इस नियम को मानते हुये मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हालांकि सुख प्राप्त करने के लिये दुख का सहना आवश्यक है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति या जो समाज दुख सहे उसको भविष्य में सुख अवश्यमेव प्राप्त होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जिस प्रकार इस एक महत्वपूर्ण विषय पर और विषय के साथ हमारे मंत्री महोदय और सरकार एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर रही है वह ठीक नहीं है। पहली अप्रैल को कुछ कर लगाया जाता है जनता के सदस्यों की राय के विरोध में और अक्टूबर में उसको उठाने की बातें होती हैं। इसी प्रकार एक-एक दो-दो पन्ने के संशोधन विधेयक हमारे सामने लाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में केवल यही कहूंगा कि यह एक बहुत गलत सी भावना है कि टैक्स के संबंध में पहले तो जल्दबाजी के साथ कुछ विधेयक पारित किया जाये और फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिये एक-एक दो-दो पन्ने का समय-समय पर संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख लाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को इस विषय के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपके वक्तव्य देने से उसके फलस्वरूप हमको इस सेल्स टैक्स के विषय के संबंध में विस्तृत रूप से कुछ बातें कहने का अवसर प्राप्त हुआ। सदैव सेल्स टैक्स के जस्टिफिकेशन के लिये यही एक बात कही जाती है जो बहुत हद तक मैं समझता हूं पूर्ण रूप से सही है कि यदि सरकार को अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो अब लागू हो गई, उसको पूरा करना है तो उसके लिये कहीं न कहीं से पैसा उत्पन्न करना है। इस संबंध में श्री गेंदा सिंह जी ने उस योजना की चर्चा की और बताने की कोशिश की कि संभवतः योजना उचित है या अनुचित है। यह भी बताने की कोशिश की कि यदि योजना के लिये पैसा चाहिये तो था कि जो बचत हो सकती है खर्चे में उसको किया जाता। उसके ऊपर यदि ध्यान दिया जाय तो इतनी कमी आमदनी में शायद न हो। यह सब विषय महत्वपूर्ण हैं और इसके साथ संबंधित हैं किन्तु इस पर न जाकर अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम यह मानने के के लिये तैयार हैं कि पैसे की आवश्यकता है और दो ही इसके लिये केवल मात्र सूरत है। या तो कर्जा लिया जाय या फिर टैक्स लगाये जायं। करजे के संबंध में पीछे कहूंगा किन्तु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हालांकि श्री गेंदा सिंह जी ने यह सुझाव पेश किया किन्तु मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही खतरनाक उपाय है। इसके जो फ्यूचर में रिपरकशंस होते हैं उसका अन्दाज इस समय करना बहुत कठिन है और बड़ी सावधानी क साथ इस ओर कदम उठाना चाहिये।

अब रहा कर लगाने का प्रश्न। कर लगायें अध्यक्ष महोदय, तो उससे पहले सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने दिमाग में इस बात का फैसला कर ले कि वह किस पर कर लगाना चाहती है। कर लगाया जा रहा ह सेल्स टैक्स के द्वारा। क्यों सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है? इसका उत्तर यह देते हैं कि केंद्रीय सरकार ने स्पष्टतया कह दिया है कि केंद्रीय सरकार से जो विभिन्न राज्य सरकार हैं वह कोई सहायता की आशा न रखें। फलस्वरूप यह हुआ कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार तथा अन्य प्रदेशों का यह कर्त्तव्य बन गया कि किसी तरीके से वह अपनी आमदनी बढ़ावें। मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास कोई भी और इलास्टिक और शब्द "लचक" का उन्होंने प्रयोग किया है, सेल्स टैक्स के अलावा कोई और चीज नहीं है जिससे हम अपने राज्य की आमदनी बढ़ा सकें। ठीक है अध्यक्ष महोदय, यदि इससे मंत्री महोदय का जो मकसद है वह पूरा होता है तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है। जो प्रश्न मैंने उठाया था कि मंत्री महोदय ने क्या यह निश्चय कर लिया है कि सेल्स टैक्स में जो वृद्धि करेंगे उस टैक्स का बरडेन किस पर पड़ रहा है? क्या उन्होंने इस संबंध में भी अपना विचार स्पष्ट किया है और क्या जो उनका विचार है उसका पालन इस विधेयक द्वारा पूरा हो रहा है या नहीं, इसपर मंत्री महोदय का क्या विचार है? अध्यक्ष महोदय, इंडायरेक्ट और डायइरेक्ट टैक्सेशन का जो सिद्धांत है उस पर न जाकर, क्योंकि सबको मालूम है, यह सब स्वीकार करेंगे कि जो भी डायरेक्ट टैक्सेशन सरकार अपनाये उसका अंतिम नतीजा यही होगा कि उसका बरडेन कंज्यूमर पर पड़ेगा।

बहुत से वातावरण ऐसे हो सकते हैं जहां पर कंज्यूमर को टैक्स करने पर कोई आपत्ति न हो। प्रोडक्शन द्वारा माल का उत्पादन इतना बढ़ सकता है कि उनके दाम गिर जावें, फलस्वरूप यदि कंज्यूमर को पहले एक चीज खरीदने के लिये एक रुपया लगता था तो उसको वह ८ आने में खरीद लेता है। इसलिये उसके पास सरप्लस हो गया, उसको सरकार ले ले, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम जब कंज्यूमर की बढ़ गयी हो तो सरकार कुछ लेना चाहे तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं। किन्तु अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जहां कंज्यूमर की पर कैपिटा इनकम भी न बढ़ी हो, साथ ही साथ प्रोडक्शन उस लेविल तक इतना भी न बढ़ा हो कि चीजों के दाम घटे हों तो क्या यह न्यायोचित होगा कि उस पर एक और बोझा डाला जाय सेल्स टैक्स के रूप में? अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि सेल्स टैक्स के लिये उचित वातावरण अभी नहीं है। सरकार की जो भी उद्योग और उन्नति की योजनायें हैं, जब वे नतीजा देने लगेंगी, जब वास्तव में जनता की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जब वास्तव में प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुका होगा और चीजों और वस्तुओं के दाम गिर चुके होंगे तब मैं समझता हूं कि उचित अवसर होगा कि सरकार जनता से और कंज्यूमर से, जो स्ट्रीट का आदमी है उससे कर ले। जबतक ऐसा वातावरण नहीं पाया जाता, किसी भी रूप से मैं समझता हूं कि सेल्स टैक्स का सिद्धांत जस्टीफाई नहीं किया जा सकता।

अभी तक बहस जो हुई है वह उसके डिटेल्स के संबंध में हुई है। अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स का विधान बना लिया गया, स्वीकृत और पारित कर दिया गया, अब उसको कार्यान्वित किस तरीके से किया जाय। चेक पोस्ट्स लगाये जायं और इन्टर

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

स्टेट किस तरह से उसकी व्यवस्था की जाय। इस अवसर पर उस व्यवस्था से मैं कोई वास्ता नहीं रखता। मैं सरकार से यह पूछता हूं कि आप कहते हैं कि योजना को भलीभांति पूरा करने के लिये हमें पैसा चाहिये, इसलिये हम सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं, मैं पूछता हूं कि आपका यह कहना सही होते हुये भी यदि आप पैसा चाहते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं जिसमें आपको पैसा देने की सामर्थ्य है और जिसको आपके कार्यों से कोई लाभ पहुंच चुका है, जिसके फलस्वरूप आप आज यह उम्मीद करते हैं कि क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा जो तुम को यह लाभ हुआ इसलिये अब सेल्स टैक्स द्वारा हमें तुम उस लाभ का एक अंश दे दो? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मंत्री महोदय की ओर से कुछ कहा जायगा और मैं उसको ध्यान पूर्वक सुनूंगा, किन्तु मुझे दुख है कि जितना मैं देख पाया हूं और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा तो स्पष्ट रूप से यह विचार है और यह मानी हुई बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अधिकांश ऐग्रीकल्चरल बायस वाली थी और उसके अनुसार खाद्यान्न की कमी पूरी नहीं हो सकी तो यह मानना पड़ेगा कि खाद्यान्नों में उन्नति और बढ़ोत्तरी हुई। उसके फलस्वरूप यह कहना लौजिक के साथ है कि हमने अनाजों का उत्पादन बढ़ाया है इसलिये अब हम यदि अनाजों पर सेल्स टैक्स लगायें तो कोई अन्याय नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिये कि यदि अन्न के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई तो उससे किसे लाभ हुआ। काश्तकार है उसके यहां यदि दस मन के बजाय १२ मन पैदा हुआ तो उसे क्या लाभ हुआ, क्योंकि मंडी में बैठा हुआ है मिडिल मैन जिसको सरकार को दूर करना है, वह उसे स्क्वीज करता है और उसे अपने अनाज का यही रेट मिलता है और उसे कोई लाभ नहीं होता है।

इसके साथ ही साथ सेल्स टैक्स का बहाना हो गया और इस मिडिल मैन ने कंज्यूमर को पीस दिया। सरकार को इस बात का फैसला करना है कि आया वह किस व्यक्ति से और किस स्टेज पर पैसा चाहती है? यदि सरकार का यह निश्चित मत है कि कंज्यूमर ही पैसा दे तो सरकार जो चाहे कर ले। लेकिन इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और वास्तव में जो इन ट्रांजेक्शन्स के बीच में आदमी पड़ता है उससे सरकार को टैक्स वसूल करना चाहिये। लेकिन सेल्स टैक्स की प्रणाली से यह करना असंभव है, ऐंटरटेनमेंट टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, अन्त में कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को पैसा प्राप्त करना है और आमदनी का कोई जरिया निकालना है तो सरकार को इन्कमटैक्स के संबंध में ध्यान देना चाहिये और ऐक्साइज रेवेन्यू के बढ़ाने के साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल होना भी आवश्यक है। मैक्जीमम प्राइस कंट्रोल रखना आवश्यक है नहीं तो इसका दुष्परिणाम होगा कि उसी आदमी को टैक्स देना पड़ेगा जिसकी आवश्यकता अधिक से अधिक होगी।

इंटरटेनमेंट टैक्स की बात दूसरी है, यदि प्रोहीबीशन हो जाय तो हम छोड़ दें, लेकिन सेल्स टैक्स का यह सवाल नहीं है क्योंकि यह तो एसेंशियल गुड्स,पर, फूड ग्रेन्स पर और रा मैटीरियल्स पर भी लगा है और होते-होते अन्त में कंज्यूमर्स को ही देना पड़ेगा। मैं इसको मान सकता हूं कि रकम थोड़ी है लेकिन जब उसकी आमदनी कम होगी तो यह थोड़ी सी रकम भी उसके लिये आपत्तिजनक साबित होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि सेल्स टैक्स सरकार ने केंद्रीय सरकार के इस हुक्म पर लगाया है कि तुम अपनी आमदनी बढ़ाओ, उसकी आड़ में यह कर रही है। मैं समझता हूं कि यह गलत है और अन्त में इसका परिणाम यह होगा कि यह केंद्र का विषय बन जायगा और यह होकर रहेगा और हम सब विधान सभा के सदस्य तो यही चाहेंगे कि हमारे अधिकार बढ़ते रहें, घटें नहीं। हमें स्थिति को देखते हुये इसी परिणाम पर पहुंचना पड़ेगा। अभी जो माननीय मंत्री महोदय और अगल-बगल के जो राज्य हैं उनके अधिकारियों के साथ एक कांफ्रेंस हुई थी लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं हुआ। क्यों? आखिर

पैसे का मामला है। यदि बिहार की सरकार उत्तर प्रदेश की सेल्स टैक्स की दरों से फायदा उठा सकती थी तो वह उठाती जब तक कि वह केंद्रीय विषय नहीं बन जाता। मैं इसीलिये समझता हूं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिये और जल्दबाजी में यह काम तो होना ही नहीं चाहिये। मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी क सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस पर शांति-पूर्वक जो भी कदम उठाने हों वह उठाये जायं।

*श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि प्रस्तुत विधेयक मेरी आशाओं की पूरी तरह से पूर्ति नहीं करता है फिर भी मैं माननीय मंत्री जी को उसके प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में और इस विधेयक में जो कदम उठाया, है जो साहस किया है वह एक जनत्रंतात्मक सरकार के वित्त मंत्री के लिये शोभा की बात है। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने मूल विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया था तब उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला था। उन्होंने बतलाया था कि आज राष्ट्र के निर्माण के लिये राष्ट्र आवाहन करता है कि प्रदेश की जनता इस महायज्ञ में सम्मिलित हो और अपनी यथाशक्ति आहुति देकर राष्ट्र के निर्माण में भाग ले और हाथ बटावे। प्रदेश में इस विधेयक के विरुद्ध और उसके संबंध में तरह-तरह की विचारधारायें सामने आईं। यह स्वाभाविक था चूंकि विधेयक का संबंध एक झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से लेकर महलों में रहने वाले व्यक्ति से था। मुझे तो शिकायत यह है कि विरोधी दल के नेताओं ने इस विधेयक का अनुचित लाभ उठाया। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि किसी भी जनतंत्रात्मक राज्य के सुचारु संचालन का भार केवल सरकार पर ही नहीं है बल्कि उसका दायित्व विरोधी दल के ऊपर भी होता है। वे किसी भी नीति का विरोध कर सकते हैं वह उचित हो सकती है लेकिन मूलभूत सिद्धांत सेल्स टैक्स का ही विरोध करना मैं नहीं जानता कि कहां तक संगत हो सकता है, आज भी माननीय विरोधी दल के नेता जी ने जो भाषण दिया उसमें एक भी प्रस्ताव ऐसा सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने बतलाया हो कि किसी भी वस्तु पर सेल्स टैक्स लगाना उचित हो सकता है। उसका कारण तो मान्यवर, केवल यह है कि इस सेल्स टैक्स विधेयक के प्रस्तुत होने से जो उनके नये साथी उनके पास आये हैं वे नाराज हो सकते हैं। उसमें खाद्यान्न के व्यापारी हैं, उसमें हीरे और जवाहरात वाले व्यापारी भी हैं, कपड़े वाले व्यापारी भी है और अगर आज वे कहने लग जायं कि किसी अमुक वस्तु पर सेल्स टैक्स लगे तो कदाचित् उनकी नाराजगी हो जाय और जो नया गठबंधन हुआ है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है।

आज एक बात यह कही गई कि किस पत्र ने वित्त मंत्री जी के इस विधेयक का समर्थन किया है। माननीय विरोधी दल के नेता जी ने यह भी कहा कि वे सरकार के बड़े विश्वासपात्र पत्र भी हैं। मैं यह मानता हूं कि किसी देश के पत्र जनता की भावनाओं के सच्चे प्रतीक होते हैं लेकिन मैं विरोधी दल के नेता जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह की शिकायत उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी से की है क्या वे कोई ऐसा पत्र बतायेंगे जिसने विरोधी दल की शून्य नीति का प्रतिपादन किया है? क्या एक भी ऐसा पत्र है जिसने सिद्धांततः सेल्स टैक्स का शुरू से लेकर आखिर तक विरोध किया हो? मेरा उत्तर आदरपूर्वक होगा कि एक भी पत्र ऐसा नहीं है।

अब इस सेल्स टैक्स के प्रस्तुत विधेयक पर आते हुए मैं सब से पहले श्रीमन्, आप की आज्ञा से इस माननीय सदन का ध्यान धारा ४ में किये हुये संशोधन और उससे सम्बन्धित वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। इस संशोधन और इस वक्तव्य में जिस सहूलियत को देने का संकेत किया है, उससे हमें एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। इसका सही अन्दाजा हम जभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश सरन]

कर सकते हैं जब जरा उसके आंकड़े देखने का कष्ट करें। इस माननीय वित्त मंन्त्री जी के वक्तव्य में हमें बताया गया कि बारह हजार की बिक्री वाले को जब कर के रूप में ३७५ रुपया देना पड़ता था, प्रस्तुत विधेयक के अनुसार या जो वक्तव्य में संकेत की हुई रियायत है उसके अनुसार १५० रुपया देना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा कि जब २५,००० की लिमिट होगी, तब ७८१ रुपया ४ आने के एवज में हमको १५० रुपया देना पड़ेगा। मतलब यह हुआ सीधा सा कि ७८१ रुपया ४ आना, २५,००० पर ६ पाई की दर से होता था जब कि हमें इस संशोधन के बाद केवल १५० रुपया लग सकेगा। इसके माने यह होंगे कि डेढ़ पाई फी रुपये के करीब वहां टैक्स रह जाता है और अगर १२,००० की दर पर देखा जाय तो वह ३ पाई से कम रहता है। किसी भी तरह से इसको देखें, तो तीन पाई से ऊपर सेल्स टैक्स कहीं भी नहीं रहता। इसका सीधा-सा मतलब यह हुआ कि जो सरकार ने सेल्स टैक्स लिया था, उसमें आधे से ज्यादा रियायत कर दी गयी।

अब सवाल यह है कि जो तरीका उस रियायत को देने का रखा गया क्या वह तरीका सबसे अच्छा है या और कोई तरीका इससे अच्छा हो सकता है। इसकी केवल एक ही कसौटी हो सकती है। जिन १,२०० डेपुटेशन्स और रिप्रेजेन्टेशन्स का माननीय मन्त्री जी ने संकेत किया, उनमें अधिकांश डेपुटेशनिस्ट्स और रिप्रेजेन्टेशन करने वाले व्यक्तियों ने इसी तरीके की मांग की थी। अगर आप देखें, तो इस तरीके में बहुत सी सुविधाएं हैं और वह यह कि देने वाला आदमी बहुत हद तक तमाम झंझटों से बचता है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि यह वह सिद्धांत सरकार ने हमारे सामने रखा है कि जिस से बहुत हद तक लोगों को सुविधा हो जायगी। इसमें एक आपत्ति यह की गयी कि इस सिद्धांत को रखते समय केवल व्यापारी वर्ग का ही ध्यान रखा गया, उपभोक्ता को कैसे रिलीफ मिलेगी? मैं नहीं समझता कि एक इतनी साधारण और इतनी प्रत्यक्ष बात क्यों नहीं दिखायी पड़ती? जब एक बेचने वाले का बोझ हल्का हो जायगा, जब उसको ६ पाई के बजाय ३ पाई या दो पाई और किसी दशा में डेढ़ पाई या सवा पाई तक देना पड़ेगा, तो यह स्वाभाविक बात है कि जब उसको कम कास्ट लगेगी तो वह कंज्यूमर्स से भी कम लेगा। कंज्यूमर की यह शिकायत तो आज है कि इस का बोझ सारा उसी पर पड़ेगा। लेकिन अगर दूकानदार के उपर ही हम वह बोझ कम कर देंगे तो अल्टीमेटली अन्तिम स्टेज में उपभोक्ता को उसका फायदा पहुंचेगा। हां, मैं एक बात की तरफ जरूर माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सब से नीचे वाली लिमिट है, २५,००० वाली—वक्तव्य में तो यह कहा गया है संकेत के रूप में कि १५० से अधिक २५,००० पर नहीं लिया जायगा—लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में वे यदि इस सब से नीची लिमिट को १५० रुपये से घटा कर १०० रुपया कर सकें तो महान् कृपा होगी। उसके माने यह होंगे कि वह छोटा व्यापारी जिसको थोड़ा सा लाभ होता है, जिनके पास बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, जिनका थोड़ा सा व्यवसाय है उनको थोड़ी सी रिलीफ इस से मिल सकेगी।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा कर इस बात पर भी विचार करें कि एक और लिमिट हो जो २५ हजार से नीची हो यानी १५ हजार की। उसमें केवल ५० रुपया एक्जेम्प्ट फी रखी जाय। अगर १५ हजार रुपया लिमिट रख दी जाय और ५० रुपये उसके लिए रख दें, तो उसका परिणाम यह होगा कि जो छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, जिनके पास थोड़ी पूंजी है, लाभ होगा। यदि आप विवेचना करें, तो मालूम होगा कि १५ हजार के मायने यह होंगे कि सवा हजार महीना का वह आदमी काम करता है यानी वह व्यक्ति ४० रुपया रोज खाद्यान्न बेचता है। ऐसे व्यक्ति को मुश्किल से लाभ ४० रुपया मासिक हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को १५० रुपया देना पड़ेगा, तो उसके लिए १०० रुपये और ज्यादा देना पड़ेगा और जो उसका मुनाफा है, उससे ज्यादा उसको देना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि ऊपर के स्टेज में तो रिलीफ मिल जायेगी, लेकिन नीचे की स्टेज को दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मैं माननीय वित्त मन्त्री

जी से प्रार्थना करूंगा कि स्लैब निश्चित करते समय इस तरफ भी विचार करने की कृपा करें कि १५ हजार की सबसे कम लिमिट हो और उसकी ५० रुपया एक्जेम्प्ट फी हो।

इस धारा में मुझे एक वैधानिक आपत्ति भी दिखायी पड़ती है और मैंने इसका अभी माननीय वित्त मन्त्री के कमरे में जाकर भी जिक्र किया था, लेकिन समय इतना थोड़ा था कि न मैं अपनी बात कह सका और न वह ज्यादा समय दे सके। अब सौभाग्य की बात है कि इस पर कल भी विवाद जारी रहेगा। मैं अपनी बात इसलिए कह देना चाहता हूं कि यदि वह उचित समझें, तो इस पर विचार कर लें, और अपने विशेषज्ञों से भी राय ले सकते हैं। यह संशोधन जो धारा ४ में प्रस्तुत किया गया है, वह धारा इस तरह से है कि :

"No tax shall be payable on the sale of any goods by the All India Spinners' Association or Gandhi Ashram, Meerut, and their branches or such other persons, or classes of persons as the State Government may from time to time exempt on such conditions".

तो इसमें चार हजार के बजाय ८ हजार किया जा रहा है। पहले यह ५०० था। उसके बाद १ हजार हुआ, फिर २ हजार हुआ और फिर ४ हजार हुआ, अब वह ८ हजार किया जा रहा है। अब इससे दिक्कत यह हो जायेगी कि जो व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है, जो खाद्यान्न बेचता है चाहे वह शुगर हो, गेहूं हो या दूसरा कोई खाद्यान्न हो, जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है वह सब कर मुक्त हो जायेंगे। इसकी ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दे सकते हैं।

कुछ बातें मैं कपड़े के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरी कपड़े के व्यापारियों से बातचीत हुई, उनका यह मत है कि उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के रूप में टैक्स लगाया जाय और उनको सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया जाय। इनमें कौन सी बात सही है यह मन्त्री जी विचार करें, लेकिन वह लोग यह चाहते हैं। इस बात को वह बहुत अच्छा समझते हैं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो काटेज इन्डस्ट्री है उनमें कुछ खाद्यान्न की चीजें आती हैं और उनके लिए भी कुछ रा मैटीरियल को कर मुक्त करने के लिए सरकार ने कहा है, लेकिन राब इन्डस्ट्री के लिए कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है कि शायद उस पर भी सेल्स टैक्स लगे। अगर उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया तो यह उसके साथ एक ज्यादती होगी। यह राब गांवों में बनती है उसके साथ ऐसा करना ज्यादती है। मुलासेस भी कुछ खांडसारी वाले बनाते हैं उसको भी कर मुक्त किया जा सकता है। उसकी ओर भी माननीय मन्त्री जी ध्यान देने की कृपा करें। उसके लिए अभी गुड़ और खांडसारी कान्फ्रेंस हुई थी। उसमें मेहता जी ने बतलाया था कि उसकी फूड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और उसको गरीब आदमी ज्यादा खाते हैं। ऐसे खाद्य-पदार्थों को कर-मुक्त करना सर्वथा उचित होगा। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में खांडसारी का विशेष धंधा है। उसका मसला सरकार के सामने कई वर्षों से पड़ा हुआ है जब से पन्डित पन्त जी मुख्य मन्त्री थे उस समय विशेष आवश्यकता को मानते हुए एक्जम्प्शन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो आज तो सरकार विस्तारपूर्वक इस सिद्धांत को मान रही है। इसलिए मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसका भी स्पष्टीकरण कर दें।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी को उनके वक्तव्य के लिए बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बिक्री कर को लेकर हमारे प्रदेश में जो वातावरण फैला उससे हम सभी भली-भांति परिचित हैं। राजनैतिक दल इसे आन्दोलन का रूप देकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। जिन

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ने वाला है उनके दिल में इतनी आह नहीं थी जितना कि व्यापारी वर्ग को सुझा कर उत्तेजित कर दिया गया था। हम लोग प्रत्येक देहात के कोने-कोने से सम्बन्ध रखने वाले हैं। शिष्ट मण्डल और डेपुटेशन भी सरकार से मिले और जिन चीजों को लेकर ज्यादा असन्तोष फैला था, जैसे किताबें, खाद्यान्न और कागज हैं, इनके सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी का भाषण पढ़कर और सुनकर बड़ा सन्तोष हुआ। मैं समझता हूं कि इससे जनता में काफी सन्तोष की लहर फैलेगी। यह कहा गया कि बड़े-बड़े व्यापारियों को खाद्यान्न के मामले में छूट दी गयी है। उससे कुछ भुलावा दे दिया गया है। एक्जेम्पशन फी से छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा और कपड़े के व्यापारियों के लिए लाइसेंस फी से छोटे व्यापारियों को फायदा न पहुंच कर बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं समझता हूं कि लाइसेंस की फीस कम करने में छोटे व्यापारियों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। इसमें उनको ज्यादा फायदा पहुंचेगा, बड़ों की संख्या कम है, तो उन्हें कम फायदा पहुंचेगा। यह कहा गया कि जो व्यापारी ४ हजार से ८ हजार तक देगा वह भावों में तेजी लावेगा। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारी केन्द्रीय सरकार की इन्कम टैक्स की व्यवस्था है। इन्कम टैक्स सभी व्यापारी देते हैं, लेकिन कहीं यह देखने में नहीं आता कि इन्कम टैक्स की वजह से भावों में कोई महंगाई हो। इस तरह यह भी विरोधी भाइयों की ओर से कहा जाता है कि यह सरकार बड़े लोगों से और पूंजीपतियों से कर लेना नहीं चाहती है बल्कि साधारण गरीब आदमियों से कर लेना अधिक पसन्द करती है। लेकिन अगर बड़े लोगों से कर लिया जाता है तो कहा जाता है कि उस कर की वजह से उनको ऐसा मौका दिया जाता है कि वे भावों में वृद्धि कर सकें।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाय जिससे बड़ों की टेंट से रुपया निकाल लिया जाय। मैं तो समझता हूं कि यह उनकी बिक्री की संख्या पर उनके खातों से ही निकल सकता है न कि उपभोक्ताओं से। वे लेते रहे तब जहां तक भावों के बढ़ने का सम्बन्ध है, दूकानदारों में बहुत कम्पिटीशन चलता है और जब खाद्यान्नों पर बिक्री कर रहेगा, तो भी किसी प्रकार से भी भावों में कम्पिटीशन की वजह से तेजी नहीं आयेगी।

इसके अतिरिक्त साइकिलों और खेती के औजार आदि पर से जो टैक्स हटा दिया गया है उससे किसानों और गरीब लोगों को राहत मिलेगी। मैं सरकार से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए जो १०–१२ हजार बिक्री करने वाले हैं उनकी बिक्री होने की संख्या को बढ़ा दिया गया है। १२ हजार से १५ तक बढ़ा दी है। इससे छोटे व्यापारियों को अधिक लाभ पहुंचेगा, लेकिन जैसा मेरे पूर्व वक्ता श्री जगदीश सरन जी ने कहा कि जिनकी २५ हजार से कम बिक्री होती है यदि उनके लिए १५० रुपया के बजाय कुछ कम कर दिया जाय, तो यह चीज उचित ही होगी और इससे छोटे व्यापारियों को और भी लाभ पहुंच सकेगा। तथा बड़े-बड़े व्यापारियों से जो कर मिलेगा उससे उसकी पूर्ति हो जायगी।

इसके अलावा जो कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में बताया गया कि उसके अनुसार प्रत्येक बिक्री करने वाले से ८ आना प्रतिशत लिया जायगा, वह एक अच्छी चीज होगी। इससे से सभी व्यापारियों से बिक्री कर मिलने में सुविधा होगी। वर्तमान व्यवस्था में सब दूकानदारों से कर वसूल नहीं हो पाता है। बावजूद इसके कि बिक्री-कर विभाग के लोग काफी कोशिश भी करते हैं, व्यापारी लोग कर से बचने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब बातों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कर लगाने में २–३ सिद्धान्तों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे मत से जो कर अधिक फैला कर लगाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है, उसका स्वागत होना चाहिए और जो कर कुछ लोगों पर लगे उससे बचना चाहिए। इस सेल्स टैक्स की बाबत जो १ अप्रैल से लगाया गया था, उसके सिलसिले में जो आन्दोलन हमारे प्रदेश में चलाया गया व उससे जो जनता में मत-विभ्रम पैदा हुआ, वह सरकार की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से भी हानिकर हो रहा है। उससे दो तीन चीजें बड़ी खतरनाक पैदा हो रही हैं, एक तो जनता के मन में करों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो रही है, दूसरे करों के देने की ओर से हटा देने वाली भावना पैदा हो रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार आदमी इस प्रकार की खिलवाड़ करना पसन्द नहीं करेगा। छोटी-छोटी बातों पर हड़तालें या सत्याग्रह कराना, किसी पार्टी विशेष को उस आन्दोलन से बल मिलने की वजह से वह भले ही किसी हद तक ठीक हो सकता हो, लेकिन अन्त में देश का जहां तक ख्याल है वह हमारे मत से खतरनाक बात होती है। और हमने देखा कि यहां पर जितने आन्दोलन उठाये गये, अभी माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि इससे सारे प्रदेश की जनता को क्षोभ है और सारे प्रदेश की जनता ने इसके लिए आन्दोलन किया है। इस प्रसंग में मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि उनका यह ख्याल गलत है। मैं जिस जिले से आता हूं वह एक बहुत ही गरीब जिला है, मिर्जापुर का जिला। वहां की देहाती जनता यह चाहती है कि शहर वालों ने अपनी सड़कें बनवा लीं, अपने यहां बिजली लगवा ली, अपने यहां स्कूल कालेज खोलवा लिये, सारी तरक्की करवा ली और अब जब हम गांव वालों की बारी आयी, कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए टक्स दें, जिससे गांवों की उन्नति हो तो ये शहर वाले टैक्स देने से इन्कार कर रहे हैं और उसमें तरह-तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरी रीडिंग दूसरी है और आपकी रीडिंग दूसरी है। मैं समझता हूं कि जितना आन्दोलन हुआ है, उसमें शहराती जनता ही अधिक है और उसमें भी शहराती जनता का एक ऐसा अंग है जो गांवों को पीछे ले जाना चाहता है।

माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि इस इश्यू पर रेफ़्रेंडम करा लिया जाय। यह तो एक हंसी की बात है। भला किसी मुल्क में टैक्स के मसले पर ऐसा हुआ है? अगर सरकार किसी से पूछे कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगे या न लगे, तो वह कभी कह सकता है कि मेरे ऊपर टैक्स लगे? वह तो यही कहेगा कि मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऐसे मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा-लिखा न हूं और न वैसा आदमी हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता की तरह से दूसरे देशों की किताबों की स्टडी ही किये हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं किसी भी देश में या किसी भी डेमोक्रैसी में इस इश्यू को लेकर कभी रेफ़्रेंडम नहीं हुआ है कि टैक्स लगे या न लगे। यह मोटी सी बात है कि किसी से पूछा जाय कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया जाय, तो वह कभी नहीं कहेगा कि मेरे ऊपर टैक्स लगाया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि रेफ़्रेंडम की बात कहना बिलकुल गलत और लगो है। उनका यह कहना सही नहीं है। रेफ़्रेंडम के लिए जो उन्होंने चुनौती दी है, मैं कहूंगा कि एलेक्शन आ रहा है, ऐसे में उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह वोट लेने के लिए एक पोलिटिकल स्टंट का एक नारा हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर न कोई डिप्लोमेसी है, न कोई राजनीतिज्ञता है। जिस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति माननीय गेंदा सिंह हैं, उसका उन्होंने निर्वाह नहीं किया जो इस बात को उन्होंने कहा।

एक बात उन्होंने रियायत के सम्बन्ध में कही जिसका माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बयान में जिक्र किया है कि इसको पहली अप्रैल से क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, पहली अक्तूबर से क्यों लागू किया जा रहा है? इस सम्बन्ध में जहां तक मैं समझता हूं, जैसा कि मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह ने बतलाया वह व्यावहारिक नहीं हो सकता है। उनकी चाहे यह भावना ठीक हो कि यह रुपया उनको वापस दिया जाय, लेकिन तब से गंगा, यमुना का बहुत सा पानी बह गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सा रुपया वसूल भी हो गया, बहुत से रोजगारियों ने रुपया ग्राहकों से वसूल कर लिया और वसूल करके रुपये को सरकार के पास जमा भी कर दिया। तो क्या अगर यह रुपया वापस किया जाय तो ये व्यापारी लोग ग्राहकों

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

को वह रुपया वापस करने जायेंगे ? इस तरह से तो वे व्यापारी जो मुनाफाखोरी करते हैं और भी मुनाफे में रहेंगे। इसलिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब लागू होगा, तो पहली अक्तूबर से ही लागू होगा, और जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि सरकार का काम समय से होता है और ६, ६ महीने का समय बतलाया तो पहली अप्रैल से ३० सितम्बर तक ६ महीने होते हैं, तो पहली अक्तूबर से ही दूसरा समय शुरू होता है। इसी तरह से तीन-तीन महीने के टर्म होते हैं, तो अब तक दो टर्म्स हो गये हैं, तीसरा टर्म जब शुरू होगा तब से यह लागू किया जायगा। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं कि यह कह देना कि इसे पहली अप्रैल से लागू कर दिया जाय, यह बात व्यावहारिक नहीं है। और वही बात मैं फिर कहता हूं कि यह जनता को और लोगों को प्रसन्न करने के लिए और अपनी . . .

श्री अध्यक्ष—बार-बार यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस विषय पर काफी कह लिया।

श्री व्रजभूषण मिश्र—आपने एक बात कही कि जो सुधार आज किया गया अगर यह सुधार पहले कर दिया गया होता तो ठीक होता, लेकिन सरकार को यह अक्ल बाद में आयी। तो उस सम्बन्ध में मैं आपसे पूछ सकता हूं माननीय अध्यक्ष के जरिये कि आज जिस रूप में यह रखा गया है उसी रूप में पहली अप्रैल के पहले लाये होते, तो क्या आपके द्वारा इसका स्वागत होता? मैं समझता हूं आपने तब भी स्वागत नहीं किया होता और आज भी आप नहीं कर रहे हैं। क्या आपने इस बयान को मान लिया है ? आप आज भी उसको नहीं मान रहे हैं और तब भी आपने नहीं माना था तो यह कहना कि सरकार को अक्ल बाद में आई कहां तक ठीक है ? यह तो जनतंत्रीय सरकार है और सरकार जनमत की और जनतंत्र की परवाह करती है और वहां तक वह करती जा रही है जहां तक मुनासिब और मुमकिन होता जाता है, और सरकार की यही नियत है कि कम से कम बोझ जनता पर टैक्सेज का पड़े। इसलिए एक अप्रैल से इसको लगाने की बात गलत है, इस तरह से तो सरकार को दोनों ओर से धक्का लगता है। पहली अप्रैल से करते या १ अक्तूबर से फिर भी आपका अभिशाप तो रहता ही, क्योंकि बदकिस्मती से हम इधर बैठते हैं और खुशकिस्मती से आप उधर बैठते हैं, तो उनके जो भी वाक्यवाण हों उनका लक्ष्य तो हमको बनना ही है।

एक बात यह भी कही गई कि कांग्रेस पार्टी ने शुगर इंडस्ट्री से १ करोड़ रुपए के चन्दे का बार्गेन किया है या सौदा कर लिया है। मैं नहीं समझता कि श्री गेंदा सिंह जैसे जिम्मेदार आदमी ने किस आधार पर यह बात कही, उनको इसके साथ अपना वह आधार भी बताना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहां कोई चीज गुप्त नहीं होती हर चीज यहां प्रकट होती है, इसलिए उनको अपने भाषण में अपनी जानकारी का आधार भी बताना चाहिए था। न मालूम किस धारणा से उन्होंने यह बात कह डाली। मैं समझता हूं यह चीज गलत है और ऐसा कोई बार्गेन नहीं हुआ है। एक बात और है कि चाहे वह अन्य पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी चुनाव के लिये चन्दा करती हैं। क्या वह कसम खा सकते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए चन्दा नहीं करेगी ? आप फिर कैसे एलेक्शन लड़ेंगे ? मैं नहीं कहता कि आप नाजायज तरीके से करेंगे लेकिन जायज तरीके से ही सही, आप भी चन्दा करेंगे हम भी करेंगे और चुनाव लड़ा जायगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जरा बता दें कि आप चुनाव के लिए पैसा कहां से लायेंगे ? आप भी तो कहीं से लायेंगे, आपकी कम्यूनिस्ट पार्टी तो है नहीं कि रूस से पा जायं या अमेरीका से पा जायं। आप भी यहीं की जनता से लायेंगे और हम भी लायेंगे अगर चुनाव लड़ना है। इसलिए आपका जो यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने को पूंजीपतियों को बेच दिया है और सरकार अपने पदों का नाजायज फायदा उठा कर पूंजीपतियों से नाजायज फायदा उठा रही है और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लिए चन्दा जमा करके चुनाव

का इन्तजाम कर रही है या बार्गेन कर रही है अगर ऐसा है या हो तो मैं कह सकता हूं वह सरकार के लिए भर्त्सना की बात है और अगर दूसरे सदस्य ऐसा कहते हैं या करते हैं तो उनके लिए मैं 'भर्त्सना' शब्द का प्रयोग तो नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी यह बात ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने यह बधाई दी कि जो लोग जेल गए इस सम्बन्ध में वह बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार यह सब आन्दोलन से या जेलखाने जाने वालों से भयभीत होकर नहीं करती, जो चीज वह आवश्यक और ठीक समझती है वह करती है और यह तो अपने मुंह से ही अपने को बधाई देना है। मैं समझता हूं कि इस तरह की अपने को ही बधाई देना उनके लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि इस विरोध और आन्दोलन के वही स्वयं प्रवर्तक हैं और खुद अपने को ही वह बधाई दे रहे थे। यह मुनासिब नहीं था। अगर हम बधाई किसी बात पर उनको दें तो वह शोभनीय हो सकता है लेकिन अपने को ही बधाई दे लेना कोई स्टैंडर्ड की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जितनी इर्रेलेवेंट बातें कही गई हैं क्या आप उन सभी का जवाब दे डालेंगे?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—एक बात मुझे सेल्स टैक्स के बारे में और कहना है कि सरकार ने एक सिद्धान्त मान रखा है कि हमारी जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं या जिसको कुटिया उद्योग कहते हैं उस पर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बर्तन का व्यवसाय है और यह भी काटेज इंडस्ट्री है। उसमें टूटे बर्तन भट्ठियों में जलाये जाते हैं और निहायत गरीब मजदूर काम करते हैं उस पर टैक्स लगाया गया है। इसमें एक जगह एक पुर्जा बनता है और दूसरी जगह दूसरा पुर्जा बनता है और इस पर टैक्स लगाने से काटेज इंडस्ट्री का जो सिद्धान्त है, उसे प्रोत्साहन और संरक्षण देने का, वह सरकार की नीति के विरुद्ध जाता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो रियायत की गई है उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं लेकिन अगर बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो जाय और इस पर टैक्स न हो तो बहुत अच्छा है। इतना कह कर मैं अपने मित्र महोदय से अनुरोध करूंगा कि कोई आन्दोलन वे लोग ऐसा खड़ा नहीं करेंगे। सरकार हमारी सही ढंग से जा रही है और वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया है उससे बोझ हल्का हो गया है। पंचवर्षीय योजना को सफल बनाइये। तू तू मैं मैं करके जनता के दिमाग में भ्रम पैदा करके जीत नहीं हो सकती, जीत होती है सही बात करने से।

***श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तक जितनी बहस सेल्स टैक्स के मुताल्लिक हुई और यह छोटा सा तरमीमी बिल आया उस पर जो बहस हुई उसको मैंने गौर से सुना। मैंने देखा कि अपोजीशन के भाई या इधर के भाइयों ने सपोर्ट करते हुए या अपोज करते हुए उस स्टेटमेंट को जो हमारे हाफिज साहब ने दिया है उसमें गवर्नमेंट को चैलेंज करते हुए यह जरूर कहा है कि इस टैक्स की वजह से इसके खिलाफ अवाम का एक बड़ा जज्बा था और लाखों आदमियों, करोड़ों आदमियों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, दूकानें बन्द कीं, शहर में हड़ताल की, डेपुटेशन लेकर आये और फिर हमारे अपोजीशन के मेम्बरों ने ताज्जुब किया गवर्नमेंट ने उससे असर क्यों नहीं कबूल किया। मैं जहां तक समझता हूं कि कुछ इस तरह की गवर्नमेंट मशीनरी की जहनियत हो जाती है, चाहे अपने को अवाम की गवर्नमेंट कहती है उसकी भी जहनियत हो जाती है। एक चीज चाहे वह सही किस्म की उठाई जाय या गलत और अगर गलत भी उठाई जाय, वह समझती है कि गलत है और अवाम चाहे जितना चिल्लाती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

रहे लेकिन मैंने यू० पी० की सरकार को देखा कि उस पर कभी कोई असर नहीं पड़ता। मैं साफ चीज अर्ज करूं, जहां तक अपोजीशन का ताल्लुक है, जहां तक अवाम की राय का ताल्लुक है, बार-बार इस हाउस के अन्दर और बाहर भी एक दुहाई दी गई, लेकिन मैंने गौर से देखा कि सरकार के ऊपर इसका कतअन असर नहीं पड़ा। मैं खुद आज भी देख रहा हूं कि इसी मामले में नहीं, जिस मामले में भी आप देखें, जिसमें लाखों आदमियों का ताल्लुक हो, बड़ी से बड़ी भीड़ हो और मामूली से मामूली डिमान्ड हो, लेकिन सरकार ने तय कर लिया अपनी जगह से वह हिलने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज को प्रेस्टिज का सवाल बना देती है।

जहां तक टैक्स का ताल्लुक है एक हकीकत हमारे सामने है। हमारे जो मोहतरिम और मोअजिज मिनिस्टर हैं उनकी जबान से यह चीज निकली है और कम से कम उन्होंने इसका एतराफ किया है कि लोगों पर एक पैसा भी टैक्स और ज्यादा बढ़ाना, उसका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि बोझ उन पर मजीदी है और इतना मानते हुए भी अफसोस यह है कि गवर्नमेंट ने कोई इस्लाह नहीं पहुंचाई। बार-बार उसी चीज को कहा गया लेकिन वह यों नहीं मानेंगे, एक बार सोचगे, फिर गौर करने के लिए बैठेंगे और फिर टैक्स माफ भी किया तो बटेरों के खाने के आशिया पर। गवर्नमेंट का यह जनता के साथ और अवाम के साथ मजाक सा है। हमारी सरकार किस तरीके से अवाम की मर्जी के खिलाफ टैक्स लगाती है जब कि अवाम के नुमाइन्दे यहां बैठे हैं। तो पार्टी पालिटिक्स छोड़कर हमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा और अगर हम खयाल नहीं रखेंगे तो काफी नुकसान उठायेंगे, ऐसा नुकसान उठायेंगे कि शायद उसकी तलाफी न हो सके। अगर अवाम के जज्बात हैं, सूबे की बड़ी से बड़ी अक्सरियत आपसे कुछ मुतालबा करती है तो आपको अपने प्रोपोजल को प्रेस्टिज का प्रोपोजल नहीं बनाना चाहिये। मगर मैं अपनी जगह इससे नाउम्मीद हूं। कपड़े की कीमत बढ़ गई, गल्ले की गिरानी बढ़ गई। मैंने यह देखा कि जरा गल्ले का भाव थोड़ा कम हुआ तो शहर वालों ने थोड़ी सी इत्मीनान की सांस ली तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी परेशानी हुई और गल्ला खरीदना शुरू कर दिया जिसकी वजह से गल्ला फिर महंगा हो गया। कपड़े पर, खाने पर, कम से कम कोई चीज तो हमारे लिये रहने दीजिये, हम इत्मीनान की सांस लें। क्या आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही हम खत्म हो जायं? मैं जानता हूं यहां बैठ कर हम आसानी से जो अवाम कहना चाहता है उसको नजरअन्दाज कर सकते हैं; लेकिन आज नहीं दो, तीन महीने के बाद आपको अवाम के सामने जाना है। उससे सेल्स टैक्स के बारे में पूछा जाय कि तुम्हारी क्या राय है, और जो अवाम की राय हो उसी राय को गवर्नमेंट को अपनी राय बनाना चाहिये। मेरे ख्याल में ऐसा करना चाहिये।

जनाबवाला, मैं एक बात अर्ज करूं, मिसाल के तरीके से आपको बताऊं, जाहिर है कि मेरी गवर्नमेंट है, मेरे मोहतरिम उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी का सवाल है। मैंने अभी देखा हमारे जितने भी मामलात चल रहे हैं, मिसाल के तरीके से अर्ज करता हूं, उसमें गवर्नमेंट का ऐटीटचूड मैंने यही देखा है कि वह कोई परवाह करने के लिये तैयार नहीं है। चाहे सूबे के अन्दर बुरी से बुरी हालत पैदा हो जाय और यहां कहा भी गया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने जुर्रत से कदम उठाया है सेल्स टैक्स लगा कर और उस वक्त जब कि इलेक्शन करीब है। यह भी लोगों ने कहा कि इलेक्शन चूंकि नजदीक है इसलिये गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वोट पाने के लिये, यह मैंने माना। लेकिन उसी के साथ जो गलती कर रही है वह यह कर रही है, चाहे आज जाना हो, चाहे साल भर के बाद जाना हो, अवाम के सामने चाहे दो साल के बाद जाना हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकती इस बात का कि आखिर वह कौन सी

चीज है जिसने आपको अवाम के बढ़ते हुए जजबे से बेखबर कर रखा है। आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर साहब ने किताब के मामले में अवाम से कुछ भी कहा हो...

श्री अध्यक्ष--मैं कहता हूं कि आप दूसरी चीज उसमें मिलायें नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--जनाबवाला, मैं कहता हूं कि आप मखसूस तरीके से देखें कि जिस चीज का अवाम ने मतालबा किया हो वह मतालबा हमारा नहीं सुना गया। जिस पैमाने पर अवाम चाहता था, छोड़ दीजिये थोड़े से पूंजीपतियों को, उनकी बात मैं नहीं कहता। अभी एक मेम्बर ने फर्माया कि जो टैक्स ज्यादा मिकदार में लगाया जाय तो वह नुकसान की चीज नहीं होती। मैं समझता हूं और ज्यादा नुकसान की चीज होती है। अगर चन्द बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर ऐसे टैक्स लग जायं तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिसकी १० रु० आमदनी है अगर तीन-चार रुपया आप छीन लें, पावर आपके पास है, आप छीन सकते हैं, लेकिन कल क्या करेंगे आप? आप इस चीज को ईमानदारी से देखें कि जो आपका अवाम है ९०, ९५ फीसदी वह टैक्स के बोझ को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं? उसके अन्दर सलाहियत है या नहीं?

मैं उन मेम्बरों की राय से ऐग्री करता हूं जिन्होंने टैक्स की मुखालिफत की और गवर्नमेंट ने यह महसूस किया है रोजाना तरमीम करके और किसी न किसी हैसियत से कम करके बोझ को, यह इस बात की दलील है कि आपने उनकी बढ़ती हुई मुश्किलात को समझा है और समझकर आज मजबूर हैं आप कि कुछ न कुछ रियायत करें। मैं कहता हूं कि और खर्चों को कम किया जाय और चीजों में बचत की जाय। जो फिजूल रुपया खर्च होता है इधर-उधर की फिजूल की स्कीमों में उसको काटा जाय। मेरी यही अपील है, माफी मांगते हुए अपनी गवर्नमेंट से यह मैं जरूर अर्ज करूंगा कि आप पावर जो कुदरत की तरफ से अवाम के हाथों आपको पहुंच चुकी है उसका इस्तेमाल सही करें और उस पर बेपरवाही से नजर न डालें। यह पावर इसलिए है कि आप अवाम के दुःख का सही एहसास करें। अगर सही एहसास नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। हमें अवाम के सामने जवाब देना है, अपने खुदा के सामने भी जवाब देना है और उन उसूलों के सामने जवाब देना है कि जिन उसूलों का नाम लेकर हम इस हाउस के सामने आये और उनके सामने जवाब देना है जिनकी तस्वीर हमने टांग रखी है। उस हिन्दुस्तान के शहंशाह फकीर ने जो सब से पहली चीज की, वह हमारे सामने होनी चाहिए। उसने गरीबों के मर्ज को देखा, उनकी बीमारियों को देखा और हकीकत को सामने रखा। बिला प्रेस्टिज को जरिया बनाये हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, कहीं पर जरा भी गलती महसूस हुई तो हिन्दुस्तान के उस बहुत बड़े आदमी ने पुकार कर कह दिया कि यह कदम उठाया था गलती हो गई, फौरन कदम पीछे किया। अगर यह चीज आप अपने आगे रखें तो शायद आप अपने लिए एक सुनहरी तवारीख हासिल कर सकगे। मगर मुझे अफसोस है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि उन उसूलों के खिलाफ कर रहे हैं जिन उसूलों के आधार पर उन्होंने आपको छः करोड़ इन्सानों का मालिक बना दिया। मगर मालिक बनकर अगर आप अपने अखराजात बराबर बढ़ाते रहे, जैसा कि हर साल दिखाई देता है, हर साल आपका बजट बढ़ता जाता है, ठीक है, जरूर बढ़ेगा, थोड़ा बहुत उसके लिए टैक्स भी लगाते तो लोग न चीखते। लेकिन बार-बार मैंने कहा कि अवाम की हालत यह हो गई है कि वह एक भीगा हुआ कपड़ा है जिसको आखिरी कतरे तक आपने निचोड़ लिया है और अब उनके पास एक कतरा भी नहीं है जिससे वह आपको टैक्स दे सकें। अब अगर निचोड़ेंगे तो वह कपड़ा फ़ट जायगा।

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी]

आखीर में एक बात और अर्ज करके मैं खत्म कर दूंगा। जिस वक्त आप यह स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने यह महसूस कर लिया है कि चार हजार के बजाय रकम बढ़ा कर आठ हजार कर दी जाय और आपने यह महसूस कर लिया है कि रकम ज्यादा है, लेकिन वह रकम आज से दो महीने पहले या छः महीने पहले, टैक्स लगाते वक्त आपको ठीक मालूम हुई थी। आपने उस वक्त बहुत गौर किया था और उसी के ऊपर अड़े थे कि इसी मिकदार में हमको सेल्स टैक्स लगाना चाहिए और यह भी कहा था कि गल्ले की फलां फलां किस्म पर भी लगाना चाहिए। आज आप उससे जरा हटे हैं तो फिर क्या मैं दरख्वास्त कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं अपनी गवर्नमेंट से, अपने मिनिस्टर साहबान से कि वह बैठ कर दोबारा गौर करें कि आज जिस जगह पर वह आये हैं उससे और नीचे जाने की जरूरत है? यह उनके ठहरने की जगह नहीं है, इससे बहुत मीलों नीचे उनको जाना पड़ेगा और अगर नहीं जायेंगे तो जमाना उनको ले जायगा। अवाम उनको वहां ले जायगा, उनको वहां जाना पड़ेगा। हकीकत और अवाम की राय की जो ताकत है, वह अब जहां ठहरे हुए हैं वहां उन्हें ठहरने नहीं देगी और उनको और नीचे ले जायगी और वहां ले जाकर उन्हें सही हालत अपने सामने रखने के लिए मजबूर करेगी।

कुदरत की भी कुछ ऐसी नाराजगी है कि हर साल बारिश होती है, बाढ़ आती है, लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। गवर्नमेंट और अवाम का लाखों रुपया इस सोचने में ही खर्च हो जाता है कि किस तरह से अवाम की मदद करें। तो उस वक्त जब सोचने के तरीके पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है तो कहीं न कहीं कमी महसूस होती है या आपने और बहुत से अखराजात बढ़ा रखे हैं जिनके वजह से कमी महसूस होती है और उस कमी को दूर करने के लिए जब कोई बजट आया तो आप उसको टैक्स से पूरा करना चाहते हैं। अब आप यकीन रखिए जब बजट का जमाना आता है अवाम घबड़ाते रहते हैं, अवाम सोचते हैं कि अब कोई आफत आयी, अब कोई नया टक्स आया। आप उन टक्सों के सिलसिले में कोई मिसाल पेश करते हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर की बम्बई की मिसाल पेश कर देते हैं या ऐसे अमीर या दूसरे तिजारती देशों की मिसाल पेश कर देते हैं कि वहां इतना टैक्स लगा हुआ है। लेकिन अपनी हालत को देखते हुए, अवाम की हालत को देखते हुए, अगर आप देखें तो हद से ज्यादा टैक्स आप लगा चुके। अब ज्यादा टैक्स लगाना यह उनके ऊपर जुल्म होगा जिसको करने के लिए न कुदरत ने आपको अख्तियार दिया है, न उन उसूलों ने आपको अख्तियार दिया है जिन उसूलों का नाम आप चीख चीख कर लेते है। हमारे ख्याल से अवाम पर अहसान करेंगे आप अगर जो लेवेल आपने रखी है उससे नीचे आप सोचेंगे और उसकी गहराई में सोचकर के उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करेंगे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और शाहिद फाखरी जी को दाद देता हूं। बात यह है कि यह जो बिल हमारे सामने है इसका तो जन्म ही गलत हुआ है। आर्डिनेंस के जरिये से वह पैदा हुआ और आर्डिनेंस उस वक्त लगाया जाता है जबकि बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उस वक्त मजबूर हो गयी थी जो पहली अप्रैल से आर्डिनेंस के जरिये से इस बिल को लाई। सबसे बड़ी मजबूरी थी। सदन भी उस वक्त था। यदि आप इस बिल को पढ़ें और विधान जो आपके सामने आया वह भी पढ़ें, उसकी मजबूरियां भी पढ़ें कि हमारी सरकार इतनी मजबूर है कि सबकी धमकियां सह रही है और साथ ही अकुशल अफसरान उसके हैं। बड़ी दयालुता सरकार ने की है कि बहुत सी चीजों को टैक्स से मुक्त कर दिया जिसमें चूनी, भूसी और खली, सावां, कोदों, ककनी है। जरा १० मन सावां लाकर दें मंत्री महोदय मुझे आज कितनी ककनी सरकार खरीद देगी? यह जो मोटे

अनाजों में गिनती गिनायी गयी कि सावां और कोदों, ककनी पर माफी दी इन पर माफी न दो। माफी दो चने पर, जौ पर और माफी दो मोठ पर, मटर पर। माफी देने बैठे हैं चूनी पर। चूनी भी कोई खाता है?

अभी कपड़े पर टैक्स बढ़ रहा है और कैसा टैक्स बढ़ रहा है कि इकन्नी प्रति रुपया बढ़ रहा है। मैं तो अफसोस में हूं कि पहली अप्रैल से टैक्स लगा और अभी तक कोई इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। यकुम अप्रैल से यकुम अक्तूबर तक अरबों रुपये का कपड़ा बिक गया और इकन्नी के हिसाब से हम से टैक्स वसूल कर लिया गया, पर उसमें से सरकार को कुछ नहीं मिला और आज तक उसका कोई हिसाब नहीं मिल पाया। मैं आपको बताऊं कि ६·३२ करोड़ आपकी आबादी है और फी आदमी साल भर में ३० गज कपड़ा पहनता है और ६ महीने में १५ गज हुआ। जी १५ गज। इस बीच में आप एक धोती फाड़ देते हैं, एक कुरता और एक बंडी फाड़ देते हैं। क्या याद नहीं कि जेलखाने में दोहरे कपड़े दिये जाते थे? अगर आप जेल गये होंगे तो आपको मालूम हो जाना चाहिये। आज मेरे एक साथी बोले कि यह लाल टोपी कैसे रखते हो? तो मैंने कहा कि सन् ३० कि जेल में हर एक को लाल टोपी दी जाती थी।

श्री अध्यक्ष—विषय पर आ जाइये।

श्री टीकाराम—विषय ठीक है। कपड़े पर बोल रहा हूं। तो ६·३२ करोड़ की आबादी है, १५ गज के हिसाब से ९४.८० करोड़ गज उसे कपड़ा चाहिये और एक आने का टैक्स लिया तो इस तरह से ५,९२,५०,००० रुपया टैक्स ले लिया दुकानदारों ने खरीददारों से। यह तो कपड़े का हिसाब है और इसमें चांदी सोने का हिसाब पूछेंगे तो दोहरे बहीखाते मौजूद हैं और असली बिक्री नहीं दिखाई जाती है। अगर बिक्री होगी एक लाख की तो आपको नजर आयेगी मुश्किल से २० हजार की और उन बहीखातों की आप जांच नहीं कर सकेंगे। इसमें मैंने देखा है कि लायसेंस दिया जायगा डोरे के दुकानदार को भी और छोटे-छोटे दुकानदारों को भी और इसमें आप क्या कर रहे हैं कि २० हजार वालों पर तो घटाकर १५० रुपये कर रहे हैं और नीचे वालों से ले रहे हैं। यदि लाइसेंस की फीस ली गई तो वह किस पर पड़ेगी? छोटे दुकानदारों से ही तो लेंगे। हमने देखा है दियासलाई तीन पैसे के बजाय यकुम अप्रैल से एक आने की बिक रही है और गुर्स नौ आने के बजाय साढ़े दस आने का हो गया है। इस तरह से २१ दियासलाइयों पर १ रुपया में २१ पैसे बढ़ गये, जिसमें से वह एक आना टैक्स दे दे तब भी सवा चार आने उसको बच जाते हैं। इसी तरह से साबुन वगैरा की भी हालत है।

ऐसी हालत में हमारी सरकार ने दुकानदारों का करोड़ों रुपयों का फायदा कर दिया है। कहा यह गया सरकार की ओर से कि लोगों का डेपूटेशन आया तो क्यों न आते? खरीददार का आपको क्या पता है। किन लोगों का डेपुटेशन आया? दुकानदारों का आया। उनको एक रुपये में पांच आने मिले तब आपको उन्होंने एक आना दे दिया तो उनका तो डेपुटेशन आता ही। सरकार की तरफ से कहा यह गया है कि हमने बहुत सी चीजों में टैक्स कम कर दिया है और दोहरे टैक्स को हटा दिया है और यहां तक कर दिया है कि कपड़ा जो बाहर से लायेगा उस पर भी कर लेंगे जैसे कोई दिल्ली से लाया तो आप भी उससे टैक्स लेंगे। यह पड़ेगा किसके ऊपर? खरीददार के ऊपर ही तो पड़ेगा। आज आप कोई भी मोटे से मोटा कपड़ा ले लीजिये दस बारह आने गज से कम नहीं मिलता है। मारकीन भी कम नही मिलती है और गाढ़ा तक आठ आना नौ आना गज मिलता है। आप हिसाब लगायें तो कोई भी कपड़ा औसत एक रुपये गज से कम नहीं बिकता है। जब एक रुपये पर एक आना लिया गया तो हमारी तो जेब खाली हो जायगी।

[श्री टीकाराम]

आपने जिन अनाजों पर से कर हटाया उनको घोड़ा और गाय खाते हैं, इंसान नहीं खाते हैं। जब उन अनाजों को इंसान नहीं खाते हैं तो फिर माफ करना बेकार है। यदि उन अनाजों पर से माफ करते जिनको इंसान खाते हैं तब तो ठीक था वरना यह टैक्स ढोंग और यह माफी भी ढोंग है।

इसके बाद एक बात और कही गई हाफिज जी की तरफ से कि हम ऐसी लैवी लगायेंगे जो सब पर लग जाय। चाहे फीस की शक्ल में हो या लाइसेंस की शक्ल में हो। २५ हजार वालों से घटाकर कर १५० रुपये कर रहे हैं और २० रुपये सरमाया के दुकानदार से लाइसेंस फीस दस रुपये लेंगे तो इससे गरीबों को तंग करेंगे और बड़ों को छोड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य ने चन्दे की बात कही, पूंजीपति की बात कही। मैं कहता हूं कि यह पूंजीपतियों की रक्षा नहीं तो और क्या है? हमारी सरकार पूंजीपतियों से डर रही है और किसी पूंजीपति पर हमारी सरकार ने आज तक मुकद्दमा नहीं चलाया। तो मैं ऐसी सरकार को इनकी मददगार न कहूं तो क्या कहूं? आप कहते हैं कि हम तो सबके साथ यकसां बर्ताव करते हैं और यह टैक्स लगाना लाजमी है, अगर न लगाया जाय तो यह विकास का कार्य कैसे होगा। यह चीज मंत्री जी की स्पीच में है कि अगर कर न लगाया जाय तो विकास का काम कैसे होगा। बहुत अच्छा जरूर कर लगाओ। यह भी कहते हैं कि विकास होना है और उसके लिये सूरज जैसे जमीन से पानी खींचता है और सब पर बराबर बरसा देता है अपने पास नहीं रखता। इसी तरह से कर लगाते और सब पर बराबर बांट देते लेकिन एक हाथ दूसरी तरफ और दूसरा हाथ दूसरी तरफ है यह मुमकिन नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि मंत्री जी कर लगायें लेकिन जरा न्याय के साथ लगाओ, यह नहीं कि गरीब को ही पीस डालो।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके माननीय मंत्री जी से बातें न करें। मुझसे करें।

श्री टीकाराम—मैं खत्म कर चुका।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो यह तृतीय बिक्री कर संशोधन विधेयक उपस्थित है मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को उसके लिये बधाई देता हूं, वह इसलिये कि जो मानव अपनी गलतियों को सुधारता रहे वह बधाई का पात्र है। बराबर प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार संशोधन, मैं इसे बहुत बड़ी महत्ता की बात समझता हूं और प्रजातंत्र राज्य में ऐसा होना ही चाहिये। माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण में कहा था उसे मैंने सुना कि यह सरकार मदान्ध होकर काम कर रही है और रामचरितमानस से उन्होंने उदाहरण भी उपस्थित किया था "ते अंचवत मार्तंड नृप तेई। नाहिन साधु सभा जिन सेई"। उसी के आगे एक दोहा गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि—

"भरतहिं होहिं कि राज्यमद, विधि हरिहर पद पाय,
कबहुंक कांजी सीकरनि, छीरसिंधु बिलगाय।"

हमारी यह सरकार मदान्ध होकर काम नहीं कर ही है उसका यह जीता जागता प्रमाण उपस्थित है कि संशोधन बार-बार लाये जा रहे हैं।

हां, एक निवेदन मैं अवश्य करना चाहता हूं कि जो गलती हो उसका संशोधन तो किया जाय लेकिन जल्दबाजी में काम करने की आवश्यकता नहीं है।

"सहसा करि पाछे पछिताहीं,
कहहिं वेद बुधते बुध नाही।"

एकबारगी काम करने से त्रुटि हो जाती है। इस बिक्री-कर के मामले में कुछ जल्द-बाजी हुई और इसके कारण कुछ खराबियां अवश्य आयीं इस संबंध में विनयपत्रिका जी के एक पद में लिखा है:—

"अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी।
सम संतोष दया विवेक सों, व्यवहारी सुखकारी।।"

समता, संतोष, दया और विवेक इन चारों के द्वारा ही यदि मानव आचरण करे तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसका कदम आगे बढ़ता जाय और उसका कार्य भी बनता जाय। इस सरकार को भी समता, संतोष और दया के साथ-साथ विवेक का उपयोग कर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। अगर इसको या इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया जाता है तो कुछ त्रुटियां अवश्य आ जाती हैं और संभव है बहुत बड़ी त्रुटि भी आ जाय। मैं एक उदाहरण रामराज्य का इस संबंध में देना चाहता हूं। रामराज्य बहुत सुन्दर प्रजातांत्रिक राज्य था। उस राज्य में हमें एक बहुत सुन्दर उदाहरण मिलता है उसी के लिये रामचरित-मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। दशरथ जी जिस समय भगवान् राम को गद्दी पर बिठाना चाहते थे तो उन्होंने कहा था:—

"जो पंचहि मत लागे नीका।
करहुं राम कहं सुन्दर टीका।। "

तो रामराज्य में पंच की बात, जनता की बात का आदर था। उस रामराज्य की जिसकी पूजा महात्मा गांधी जी भी किया करते थे और चाहते थे कि आजादी मिलने के बाद रामराज्य की स्थापना हो। उसी रामराज्य के लिये गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा है कि क्या होता है—

"मणि मुक्ता महंगे किये, सस्ता कीन्हों नाज।"

तो सरकार का भी कर्त्तव्य है कि मणि माणिक्य मुक्ता जैसी चीजें जिनका उपयोग धनी लोग करते हैं उनको महंगा करे और जितने खाद्य पदार्थ हैं, जितने नाज हैं उन अनाजों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं होना चाहिये। उन्हें बिना कर का होना चाहिये। और चीजों पर भले ही कर लग जायं तो लग जाय लेकिन जितनी खाने वाली चीजें हैं उन पर कर लगाना ठीक नहीं है।

मैं जानता हूं कि रुपये की आवश्यकता है और विकास के लिये तो आवश्यकता है ही। बिना रुपये के कोई भी कार्य चलने वाला नहीं है। लक्ष्मण किले के बाबा किल दास जी एक बड़े अच्छे महात्मा हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है—

"सम्पत्ति में कायं कायं, विपत्ति में भायं भायं,
कायं कायं भायं भायं, देखी सारी दुनिया।"

इसके अतिरिक्त जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक शेर पढ़ा था उर्दू में। "आमद कलील अयाल कसीर।" आमदनी कम लेकिन खर्च ज्यादा, बालबच्चे ज्यादा। पालन पोषण तो करना ही है। तो इसकी हमें तरकीब सोचनी पड़ेगी। पैसा इकट्ठा करने की बात सोचनी पड़ेगी। हमारी सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने का भरसक प्रयत्न करती रही और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरी करने के लिये जुट पड़ी है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे प्रदेश में और देश में जो बाहर के लोग आते हैं वह देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम कहीं और संसार में नहीं हो सका है जैसा कि यहां हुआ। तो पैसे की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति हमें करनी होगी। उसके प्राप्त करने के साधन हमें इकट्ठा करने होंगे और तभी हमको सिद्धि मिल सकती है। जब तक साधन नहीं होंगे तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी और इसके लिये कर लगाना न्यायसंगत है। तो

[श्री उमाशंकर मिश्र]

मेरा अन्त में यही निवेदन है कि खाने पीने के पदार्थों पर सरकार किसी प्रकार का कर न लगाये तो अधिक सुन्दर होगा और इसे जो दूषित वातावरण चल रहा है उसमें कुछ सुधार हो जायगा ।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता विरोधी दल ने अभी कुछ आंकड़े बताते हुये अपने भाषण में बताया कि हमारे सूबे में दो करोड़ जनता ऐसी है कि जो खेतिहर मजदूर कही जाती है और वह करीब ३३ लाख रुपये का गल्ला रोजाना खरीदती है और इस तरीके से सवा करोड़ रुपया हर महीने में उनको सेल्स टैक्स की शक्ल देना पड़ता है । मुझे इससे बड़ा ताज्जुब हुआ । मैं भी देहात का रहने वाला हूं । तो मैं तो अक्सर खेतिहर मजदूरों को यही देखता हूं कि वह खेत में काम करने के एवज में अक्सर गल्ला ही लिया करते हैं । कटाई के एवज में भी गल्ला ही लेते हैं और इसके अलावा बैठवनी में भी उनको अनाज दिया जाता है और जब वह निकवनी करते हैं तब भी उनको अनाज दिया जाता है । हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे कि देहात में जो लोग बड़े लोगों के यहां हलवाही करते हैं वह भी सिर्फ गल्ला लिया करते हैं और कहीं ऐसा सवाल नहीं आता कि उनको सेल्स टैक्स देना पड़ता हो । देहात के छोटे-छोटे दूकानदारों को भी सरकार ने बरी कर रखा है । जितने छोटे दूकानदार हैं उनसे वहां पर किसी तरह का टैक्स न लिया जायगा ।

आपने बताया कि यह टैक्स बड़ा खराब है और इस मर्तबा जो सरकार ने इसको लगाया है यह तो बहुत ही बुरा है और इससे जनता में बहुत ही बुरी भावना पैदा हुई है । आपने उदाहरण दिया कि सन् ४२ के बाद से ऐसी बुरी भावना किसी और बात के बारे में नहीं पैदा हुई थी जितनी कि इस सेल्स टैक्स के बारे में इस बार पैदा हुई है । इतनी खलबली और कभी नहीं मची थी जितनी कि इस बार मची है । लेकिन मैं कह सकता हूं कि चन्द बाजारों के अलावा इसके खिलाफ कहीं से भी आवाज नहीं उठी कि क्या बात है और जब देहात के लोगों को मालूम हुआ कि वही दूकानदार जिनको टैक्स लेना है वही इसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो जनता की समझ में आया कि वास्तव में बात क्या है । क्या बात है कि जो गल्ला बेचेगा और दूसरे टैक्स लेगा, पायेगा वही उसकी मुखालिफत कर रहा है ? ऐसा क्यों ? वह समझ गये कि सरकार ने दुकानदारों पर जो हिसाब रखने का मामला जड़ दिया उसकी वजह से यह लोग इसकी मुखालिफत करते हैं ।

मैं तो यह कहूंगा कि यह टैक्स इस तरफ से लेकर उस तरफ खर्च होता है जरूर और सबसे वसूल होता है लेकिन गरीबों के फायदे के लिये खर्च होता है । आप जानते हैं कि जहां पहले तरक्की हो चुकी है, जहां पहले से सिंचाई के साधन मौजूद हैं, जहां पहले से बिजली मौजूद है, उनके लिये भी कुछ पैसा खर्च किया जाता है लेकिन उसका अधिकांश अंश उस क्षेत्र में खर्च किया जाता है कि जहाँ आज तक बिजली नहीं है, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, जहां रास्ते नहीं है, जहां पुल नहीं है, जहां अस्पताल नहीं है । इन तमाम अखराजात के लिये हमारी सरकार ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई और उसको काफी हद तक पूरा किया और इसके अलावा अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कार्य सरकार ने किये हैं, जो कार्य सरकार ने आरम्भ किये हैं वह जनता की भलाई के लिये हैं और उनका प्रत्यक्ष लाभ हमको दीख रहा है और इस सेल्स टैक्स के बारे में यह जो कहा जाता है कि इससे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है देहातों में वह गलत है । मैं तो यह देखता हूं कि जिस क्षेत्र में गरीबों को मजदूरी नहीं मिलती थी वहां पर आज ट्यूबवेल बनाये जाने से उनको बहुत मजदूरी मिल रही है । नाली खोदने में उनको

देहातों से ड्योढ़ी मजदूरी मिल रही है। बहुत से बांध बनाये जा रहे हैं, नहरें बनायी जा रही हैं जिससे गरीब जनता का बहुत फायदा हुआ है।

यही नहीं अभी हमारे मित्र ने बताया कि कपड़े के बारे में तंगी है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने घरेलू उद्योग-धंधों के संबंध में हैंडलूम पर और दूसरे छोटे उद्योग-धंधों पर, खादी पर यह टैक्स नहीं लगाया है और इसी वजह से छोटे उद्योग-धंधे अच्छी तरह से चल रहे हैं जिसको हमारे माननीय मित्र भी जानते हैं। इस बात को सब मानते हैं कि गरीब आदमियों को रोजगार मिलना चाहिये। अगर उनके द्वारा कपड़ा तैयार होता है और उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है तो इससे गरीबों को ही फायदा पहुंचने वाला है। अभी हमारे एक मित्र ने अपने भाषण में यह जिकर किया कि कांग्रेस पार्टी को कुछ रुपया कानपुर से मिलने वाला है .....

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर यहां पर अब चर्चा नहीं हो सकती।

श्री सियाराम चौधरी---तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह टैक्स जो लगाया गया है यह निहायत मुनासिब है और उन गरीबों के लिये है जिनके पास रोजगार नहीं है और जिनके पास साधन नहीं है उनके फायदे के लिये यह है। छोटे उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये है। देहात में सड़कें, अस्पताल और मदर्से बनाने के लिये और गरीबों के जितने फायदे के काम हैं उन सबके लिये है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और हमारे विरोधी दल के नेता ने जो कहा है उसका विरोध करता हूं।

*__श्री नारायणदत्त तिवारी__---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कल जो यहां बयान प्रस्तुत किया है और जो उस विधेयक के आम उद्देश्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उसे सूचना विभाग के प्रचार बुलेटिन से अधिक महत्व नहीं देता हूं क्योंकि उन्होंने जिस होशियारी के साथ यह बताया कि हमने जनता की बुनियादी मांग को मंजूर कर लिया है वह एक प्रकार से बेमिसाल दलील मालूम पड़ती है। क्योंकि इस बयान को पढ़ने के बाद भी मैं किसी प्रकार से इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि इस प्रदेश की जनता को कोई विशेष राहत मिली है या व्यापारी वर्ग को राहत मिली है। इस संबंध में पहली मिसाल मैं यह देना चाहता हूं कि खाद्यान्न के एक्जम्प्शन फी के प्रश्न पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यह एक्जम्प्शन फी मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स के रूप में पड़ती है सिंगिल प्वाइन्ट के रूप में नहीं क्योंकि यह टैक्स होल सेलर्स से लिया जायगा और प्रत्येक रिटेलर से भी जिसके पास वह बिक्री के लिये माल जायगा उससे भी यह लिया जायगा। मान लीजिये कि एक होलसेलर रिटेलर को कुछ चीज बेचता है तो फीस उसी बिक्री पर होलसेलर्स और रिटेलर को भी देना पड़ेगी। तो वास्तव में यह मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स को एक फीस के रूप में माननीय मंत्री जी ने रखा है। केवल नाम उसका फीस रख दिया गया है वास्तव में यह मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स है।

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि इस मल्टीपिल प्वाइन्ट से कंज्यूमर पर तीन पाई से अधिक टैक्स पड़ता है यानी एक पैसे से अधिक पड़ता है .....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
७ सितम्बर, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर)

देव प्रयाग तहसील की पांच पट्टियों नैलचामी, बदियारगढ़, केराकोट, दागरक्षी तथा सौरा भरदार में नैलचामी गाद तथा उसकी सहायक नदियों में १४/१५ अगस्त की रात में बाढ़ से हानि पहुंची, जिसका विवरण इस प्रकार है:

प्रभावित ग्रामों की संख्या	..	७०
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल	..	२५० एकड़
हानि की अनुमानित मात्रा	..	२० लाख रुपया
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	..	२ पक्के मकान तथा ७ पक्की गोशालायें, मल्य १०,००० रुपया, नष्ट हो गईं तथा कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुये।
जन हानि	..	१०
पशु हानि	..	८

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर)

१९५२–५६ में पुरस्कृत हिन्दी लेखकों की सूची

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
	१९५२–५३		रु०
१	आचार्य चतुरसेन शास्त्री, दिल्ली ..	बैशाली की नगरवधू ..	१,०००
२	श्री जैनेंद्र कुमार, दिल्ली ..	पूर्वोदय ..	७००
३	डा० रामशंकर शुक्ल, सागर ..	गुरुदक्षिण, भोजराज ..	८००
४	श्री इलाचन्द्र जोशी, प्रयाग ..	मुक्तिपथ ..	६००
५	श्री गोपालप्रसाद व्यास, दिल्ली ..	मैंने कहा ..	६००
६	श्री "अज्ञात," कानपुर ..	अमृत कन्या ..	६००
७	श्री यशपाल, लखनऊ ..	सिंहावलोकन ..	५००
८	श्री यज्ञदत्त शर्मा, दिल्ली ..	इंसान	५००
९	कु० कन्चनलता सब्बरवाल ..	त्रिवेणी, भटकती आत्मा, सरल बाल,मनोविज्ञान ..	५००
१०	श्री रामेश्वर शुक्ल, जबलपुर ..	मरू प्रदीप ..	५००
११	श्री लक्ष्मी नारायण लाल, इलाहाबाद..	धरती की आंखें ..	३००
१२	श्री शम्भूनाथ सक्सेना, लश्कर ..	कब्रों की दुनियां में ..	३००
१३	डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, लखनऊ ..	सुन्दर दर्शन ..	६००
१४	श्री हरदयाल सिंह, सीतापुर ..	कुरुवंश	५००
१५	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा, अलीगढ़ ..	अशोक वन, गांधी गौरव ..	७००
१६	श्री लवमीनारायण व्यास, वाराणसी ..	चालुक्य कुमारपाल ..	७००
१७	श्री क्षेमचंद्र सुमन तथा श्री योगेन्द्र कुमार मल्लिक ..	साहित्य विवेचन ..	५००
१८	श्री महाजीत सहाय, ..	जीववृत्ति विज्ञान की रूपरेखा	६००
१९	श्री शोभा चन्द्र जोशी (Posthumous) .	सप्तर्षि लोक ..	५००
	१९५३–५४		
१	कुं० कंचनलता सब्बरवाल, लखनऊ..	स्वतंत्रता की ओर ..	५००
२	श्री ललिताप्रसाद शुक्ल, कलकत्ता ..	काव्य चर्चा ..	५००
३	श्री स्वामीसत्य भक्त, वर्धा ..	धर्म समभाव, इमान, राजनीति, भावगीत, संस्कृति .. समस्या, मानव भाषा, नया संसार, सत्याभूत ..	१,२००

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५३–५४	रु०
४	श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, टीकमगढ़	संस्मरण, हमारे आराध्य ..	१,२००
५	डा० रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद ..	रजत रश्मि, ऋतुराज ..	५००
६	श्री महेन्द्रसिंह, बलिया ..	भिक्षुणी ..	२५०
७	श्री माखनलाल चतुर्वेदी, खंडवा ..	माता ..	१,२००
८	श्रीमती कृष्णमेहता, काश्मीर ..	काश्मीर पर हमला ..	२५०
९	श्री रघुबीरशरण मित्र, मेरठ ..	प्रतिध्वनि, महापुरुष, सुनो बच्चो ..	४००
१०	श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र, लखनऊ ..	शतदल ..	५००
११	श्री पदमसिंह शर्मा, आगरा ..	मैं इनसे मिला था (भाग १) ,, ,, (भाग २)	५००
१२	श्री रघुनाथ प्रसाद, मुरादाबाद ..	साधना ..	५००
१३	श्री मन्मथनाथ गुप्त, दिल्ली ..	बाल रंग–मंच, साहस गाथा	५००
१४	डा० सुरेन्द्रनाथ, झांसी ..	सन्तति निरोध, यौन मनोविकार और निवारण ..	५००
१५	श्री नाराणासि राममूर्ति रेणु ..	आन्ध्र देश के कबीर श्री वेमना ..	३००
१६	डा० सुरेशप्रसाद शर्मा, वाराणसी ..	एलोपैथिक चिकित्सा, प्रिंस मेटेरिया मेडिका ..	८००
१७	श्री विशेश्वर आचार्य, बृन्दाबन ..	हिन्दी ध्वन्यालोक ..	८००
१८	श्री रामसुशील सिंह, वाराणसी ..	पाश्चात्य द्रव्यगुण बिज्ञान ..	५००
१९	श्रीमती विद्यावती "कोकिल" इलाहाबाद	सुहागिन	५००
२०	श्री सत्यनारायण पांडे, कानपुर ..	काश्मीर विजय, कृष्ण काव्य की परम्परा ..	५००
२१	श्री विपिनबिहारी त्रिवेदी, लखनऊ	चंद बरदाई ..	५००
२२	डा० राजपति दीक्षित, वाराणसी ..	तुलसीदास और उनका युग	८००
२३	श्री राहुल सांकृत्यायन, मंसूरी ..	हिमालय परिचय, बौद्ध संस्कृति	१,२००
२४	श्री जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद ..	बनस्पति की कहानी, जीने के लिए, ज्वालामुखी, भूगर्भ, विज्ञान, समुद्री जीव, वैज्ञानिक आविष्कार भाग १-२	५००
२५	श्री उदयशंकर भट्ट, दिल्ली ..	नये मोड़	५००
२६	डा० रामरतन भटनागर, सागर ..	प्रसाद की विचारधारा ..	५००
२७	डा० उदयभानु सिंह, आगरा ..	महाबीर प्रसाद और उनका युग ..	५००
२८	श्री ज्योत्स्ना द्विवेदी, वाराणसी ..	हिन्दी किशोर साहित्य ..	५००

क्रम-संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
			रु०
२९	श्री शांति प्रिय दिवेदी, वाराणसी ..	पारिव्राजक की कथा ..	६००
३०	श्री इला चन्द्र जोशी, इलाहाबाद ..	सुबह के भूले ..	८००
३१	श्री इकबाल बहादुर, वाराणसी ..	भारतीय चित्र कला ..	५००
३२	श्री मोती लाल मैनेतीया, मेवार..	राजस्थान का पिंगल साहित्य	८००
३३	श्री बेनी माधव शर्मा, वाराणसी ..	प्रौढ़ शिक्षा के प्रयोग और विधान ..	५००
३४	श्री शिवनाथ खन्ना, वाराणसी ..	रोग परिचय, रोग परीक्षा ..	८००
३५	श्री रामनाथ द्विवेदी, वाराणसी ..	सौश्रुती ..	३००
३६	डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल, लखनऊ	प्राकृत विमर्श ..	५००
३७	श्री जैनेन्द्र कुमार, दिल्ली ..	सुखदा ..	८००
३८	श्री शम्भूनाथ सिंह, काशी ..	मन्वन्तर, छायावाद, युग ..	६००
३९	श्री रामनरेश त्रिपाठी, सुल्तानपुर ..	ग्राम साहित्य ..	१,०००
४०	श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, "निराला", इलाहाबाद।	अर्चना, आराधना ..	१,०००
४१	श्री कन्हैयालाल वर्मा, काशी ..	राजनीतिक विचारों का इतिहास ..	५००
४२	श्री ओम प्रकाश केला, इलाहाबाद..	भारतीय अर्थ शास्त्र का विवेचन ..	३००
४३	श्री रामेश्वर लाल "तरुण", मेरठ ..	हिमाचल ..	३००
४४	डा० सत्यकेतु विद्यालंकार, मंसूरी ..	एशिया का आधुनिक इतिहास	६००
४५	श्री गोपाल शरण सिंह, रीवां ..	ग्रामीका, जगदालोक	१,०००
४६	श्री सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव, वाराणसी..	जागरण के गीत	५००
४७	श्री अनुरुद्ध उपाध्याय, बरेली ..	सरल काष्ट शोषण	३००
४८	श्री कृष्ण दत्त त्रिवेदी, सीतापुर ..	श्री कृष्ण चरित मानस	५००
४९	श्री हैदर हुसैन, रीवा ..	अक्षरों का आरम्भ और भाषा विज्ञान ..	५००
५०	सुश्री कमलामित्तल, बुलन्दशहर ..	भारतीय सुईकारी या कसीदा	३००
५१	श्री गिरिजा भूषण जोशी, वाराणसी ..	विधान सभाओं की कार्य-प्रणाली ..	५००
५२	श्री परमात्माशरण पचौड़ी, लखनऊ	संसदीय पद्धति ..	५००
५३	श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली, टेहरी ..	संसद और संसदीय प्रक्रिया	५००
५४	श्री नेमिचन्द्र शास्त्री, आगरा ..	भारतीय ज्योतिष ..	५००
५५	श्री गिरीशचन्द्र अवस्थी, लखनऊ ..	वेद धरातल ..	१,२००
५६	श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, देहरादून ..	मुक्ति के बंधन, पर्याप्त, ..	८००
५७	डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, वाराणसी	हर्ष चरित ..	१,१००
५८	श्री चंद्रावली पांडे, वाराणसी ..	शूद्रक ..	१,०००
५९	श्री करीत, आगरा ..	देवार्चन ..	५००

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५३–५४	रु०
६०	श्री वी० एस० रावत ..	मौन पालन ..	५००
६१	श्री रामप्रसाद, कानपुर ..	हिन्दी मशीन, शार्प प्रैक्टिस	६००
६२	डा० सत्यनारायण, कलकत्ता ..	अजाने रास्ते ..	६००
६३	श्री विनोद रस्तोगी, कानपुर ..	आजादी के बाद ..	५००
६४	श्री देवदत्त शास्त्री, इलाहाबाद ..	कौमुदी महोत्स्व ..	३००
६५	श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी, कानपुर..	चलते चलते ..	५००
६६	श्री रघुबीर सिंह, मालवा ..	पूर्व आधुनिक राजस्थान ..	८००
६७	श्री बालकृष्ण शर्मा, "नवीन" ..	कसि, अपलक, रश्मिरेखा ..	१,५००
६८	श्री भगवतीचरण वर्मा, लखनऊ ..	आखिरी दांव ..	८००
६९	श्री रामावतार विद्याभास्कर, बिजनौर	मनुष्य जीवन का लक्ष्य ..	३००
७०	डा० सम्पूर्णानन्द, लखनऊ ..	पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल ..	१,०००
७१	डा० शिवदयाल गुप्त, मैनपुरी ..	नेत्र रोग विज्ञान ..	१,०००
७२	श्री केदारनाथ प्रसाद, पटना ..	१—मुद्रा शास्त्र और बैंक शास्त्र २—व्यवसायिक संगठन .. ३—सार्वजनिक अर्थशास्त्र और आर्थिक पुनर्निर्माण ..	७००
७३	प्रो० महेशचन्द्र तथा प्रो० विशम्भर नाथ अवस्थी, इलाहाबाद	भारत में औद्योगिक संगठन..	५००
७४	श्री शंकर सहाय सक्सेना तथा श्री प्रेमनारायण माथुर, राजस्थान	भारतीय अर्थ शास्त्र की रूपरेखा भाग १ व २ ..	८००
७५	श्री रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली..	रश्मिरथी	८००
७६	श्री शिवप्रसाद मिश्र, वाराणसी ..	बहती गंगा ..	५००
७७	श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी, इलाहाबाद	मधुमास	४००
७८	श्री मदनमोहन सिंहल, मेरठ ..	१—कौन बनोगे .. २—बड़ों का बचपन ..	४००
७९	श्री शिवचन्द्र नागर, अकोला ..	ऊर्मि	५००
८०	श्री अत्रिदेव, वाराणसी ..	क्लिनिकल मेडिसिन ..	५००
८१	श्री सुधाकर पांडे, वाराणसी ..	१—सदा सुहागिन रूठ गयी २—प्रेरणा के प्रतीक ..	५००
८२	सुश्री शांति सहगल, नयी दिल्ली ..	अलका	५००
८३	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा, अलीगढ़ ..	धरती के ध्रुवतारे ..	५००
८४	श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, वाराणसी ..	प्रतिष्ठान	५००
८५	डा० राजेश्वर प्रसाद अर्गल, सागर..	समाज शास्त्र ..	८००
८६	डा० लक्ष्मी नारायण लाल, इलाहाबाद	हिन्दी कहानियों की शिल्प विधि का विकास ..	५००
८७	आचार्य विशेश्वर, बृन्दाबन ..	तर्क भाषा ..	६००

क्रम सं०	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
			६०
८८	श्री विद्यानिवास मिश्र, रीवां ..	चितवन की छांह ..	५००
८९	श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित, लखनऊ	महाकवि भूषण ..	५००
९०	श्री महेन्द्रनाथ पांडे, इलाहाबाद ..	रोगी सुश्रषा ..	४००
९१	श्री मन्मथराय, इलाहाबाद ..	हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव	८००
९२	श्री रमापति शुक्ल, वाराणसी ..	शैशव	३००
९३	श्रीमती विद्यावती मिश्र, लखनऊ ..	प्रतीक्षा	४००
९४	डा० हरिद्वारी लाल शर्मा, इलाहाबाद	सौन्दर्य शास्त्र ..	८००
९५	डा० दया स्वरूप, श्री प्रभुदयाल अग्रवाल, श्री हीरालाल गुप्त, बनारस	औद्योगिक इँधन ..	८००
९६	श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, नयी दिल्ली	अरे यायावर रहेगा याद ..	५००
९७	डा० अयोध्या नाथ पांडे, काशी ..	ज्वर चिकित्सा ..	५००
९८	श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रयाग ..	वितस्ता की लहरें ..	८००
९९	डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल (Posthumous) ..	हिन्दी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ..	१,२००
१००	डा० जे० के० मेहता और अन्य इलाहाबाद ..	अर्थशास्त्र के मूल आधार	१,०००
१०१	श्री पी० एस० गोलवालकर, झांसी. .	व्यापार संगठन और व्यवस्था	१,०००
१०२	श्री लीलाधार गुप्त, इलाहाबाद. .	पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांत	१,०००
१०३	श्री लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, इलाहाबाद	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ..	१,०००
१०४	श्री पी० एस० रावत, आगरा ..	प्राचीन से आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास ..	१,०००

१९५४–५५

१	डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल (Posthumous) ..	सूरदास और मकरंद ..	१,२००
२	श्री मंजरअली सोरवता, उन्नाव ..	गांधी जी की वसीयत ..	५००
३	डा० रामानन्द तिवारी, कोटा ..	भारतीय दर्शन परिचय	५००
४	डा० सत्यकेतु विद्यालंकार, मंसूरी. .	१––आचार्य चाणक्य २––राजनीति शास्त्र ..	८००
५	श्री बलदेव उपाध्याय, वाराणसी ..	भागवत सम्प्रदाय ..	७००
६	श्री आरसी प्रसाद सिंह, पटना ..	नन्ददास ..	३००
७	श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, लखनऊ	समाचार-पत्रों का इतिहास ..	८००
८	श्री सत्यव्रत विद्याविहार, देहरादून	एकादशोपनिषद ..	८००
९	श्री जगमोहन लाल चतुर्वेदी, औरंगाबाद।	एकनाथ तुलसीदास ..	२५०
१०	श्री रामचन्द्र तिवारी, गोरखपुर ..	रीतिकालीन हिन्दी कविता और सेनापति ..	४००

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५४–५५	रु०
११	श्री रामस्वरूप वशिष्ठ, दिल्ली ..	भूगोल के मौलिक आधार ..	६००
१२	श्री मधुकर, रायबरेली ..	१—पाश्चात्य दर्शन का इतिहास	
		२—नवीन मनोविज्ञान ..	
		३—नीतिशास्त्र का आलोचनात्मक परिचय ..	५००
१३	श्री रामगोपाल, लखनऊ ..	भारतीय राजनीति ..	८००
१४	श्रीमती सरला शुक्ला, लखनऊ ..	हिन्दी साहित्य में भ्रमरगीत की परम्परा ..	५००
१५	श्री केशवचन्द्र मिश्र, देवरिया ..	चन्देल और उनका राजत्वकाल ..	१,०००
१६	श्री मुनिकांत सागर, वाराणसी ..	१—खोज की पगडंडियां	
		२—खंडहरों का वैभव ..	८००
१७	श्री बैजनाथ सिंह विनोद, वाराणसी..	द्विवेदी पत्रावली ..	४००
१८	श्री विष्णु प्रभाकर ,बाराणसी ..	संघर्ष के बाद ..	५००
१९	श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, कानपुर ..	प्राण दण्ड	६००
२०	श्री जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद ..	१—जलचर पक्षी	
		२—बनवाटिका के पक्षी,	
		३—उथले जल के पक्षी,	५००
		४—उपवन के पक्षी	
२१	श्री मंडन मिश्र, जयपुर ..	मीमांसा दर्शन ..	५००
२२	श्री मोतीलाल सेठ, इलाहाबाद ..	कृषि हानिकारक कीट पतंग	३००
२३	श्री अंचल, इलाहाबाद ..	बरसात के बादल ..	४००
२४	डा० भगीरथ मिश्र, लखनऊ ..	तुलसी रसायन ..	४००
२५	श्री शम्भूनाथ सिंह, बाराणसी ..	दिवलोक ..	५००
२६	श्री गिरधरगोपाल, इलाहाबाद ..	चांदनी के खंडहर ..	४००
२७	श्री सुशीलचन्द्र सिंह, सागर ..	राजनीति ..	६००
२८	श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, दिल्ली..	आपका मुन्ना ..	४००
२०	श्री रामलाल सिंह, सागर ..	समीक्षा दर्शन ..	६००
३०	श्री जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली ..	साहित्य का श्रेय और पेय	८००
३१	डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, अलीगढ़	रीतिकालीन कविता एवं शृंगार रस का विवेचन ..	४००
३२	श्री देवदत्त शास्त्री, इलाहाबाद ..	कौटिल्य अर्थशास्त्र की भूमिका	४००
३३	श्री देवराज, लखनऊ ..	बाहर भीतर ..	४००
३४	श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, बाराणसी।	आधुनिक पत्रकार कला ..	४००
३५	श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा, उन्नाव	बोलन के देवता ..	५००

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५४–५५	रु०
३६	श्री भास्कर गोविन्दधनेकर, बनारस	मूत्र के रोग ..	५००
३७	श्री बिमलचन्द्र पांडेय, इलाहाबाद	विश्व की सभ्यताएं ..	५००
३८	श्री शिवनन्द शर्मा, गोरखपुर ..	समाज मनोविज्ञान ..	५००
३९	श्री शैलेन्द्रदेव, जयपुर ..	भारतीय चित्रकला ..	३००
४०	श्री राजनारायण गुप्त, इलाहाबाद	पाश्चात्य राजदर्शन का इतिहास ..	८००
४१	श्री हरगोविन्द गुप्त, झांसी ..	गांव के मेहदंड किसान ..	२५०
४२	श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, वाराणसी ..	भंवर जाल ..	३००
४३	श्री दयानाथ झा, इलाहाबाद ..	कर्म पथ	२५०
४४	श्री भगवती प्रसाद बाजपेयी, कानपुर	मनुष्य और देवता ..	६००
४५	श्री प्यारेलाल रावत, आगरा ..	भारत का आर्थिक विकास	६००
४६	श्री चन्द्रदेव प्रसाद श्रीवास्तव, कानपुर	राजस्व एवं भारतीय वित्त व्यवस्था	६००
४७	श्री मोतीबाबू, कानपुर ..	हिन्दू विवाह विधि ..	६००
४८	डा० सावित्री सिन्हा, दिल्ली ..	मध्यकालीन हिन्दी कविता	८००
४९	श्री कन्हैयालाल वर्मा, वाराणसी ..	भारतीय राजनीति और शासन विकास	६००
५०	श्री लीलाधर 'पर्वतीय', लखनऊ ..	संयुक्त राष्ट्रसंघ ..	५००
५१	डा० सत्यप्रकाश, इलाहाबाद ..	वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा ..	६००
५२	श्री रामचन्द्र वर्मा, वाराणसी ..	कोष कला ..	४००
५३	श्री कमल कुलश्रेष्ठ, शिकोहाबाद ..	हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य. .	५००
५४	श्री गिरिजाकुमार माथुर, लखनऊ ..	नाश और निर्माण ..	७००
५५	श्री भगवतसरन उपाध्याय, बाराणसी	कालिदास का भारत ..	८००
५६	श्री रवि, बाराणसी ..	पहला कहानीकार ..	३००
५७	डा० चन्द्रधर शर्मा, वाराणसी ..	पाश्चात्य दर्शन ..	५००
५८	डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, बंगाल ..	भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी	१,२००
५९	श्री चन्द्रबली पांडे, वाराणसी ..	कालीदास ..	८००
६०	आचार्य विशेश्वर, वृन्दावन ..	काव्यालंकार सूत्रवित्तीह . .	८००
६१	श्री अरुण, दिल्ली ..	सचित्र गृह विनोद ..	५००
६२	डा० माताप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद ..	बीसलदेव रस ..	५००
६३	डा० कपिलदेव उपाध्याय, बलिया ..	अर्थशास्त्र ..	६००
६४	श्री हरिहर निवास द्विवेदी, ग्वालियर	१—मानसिंह और मान कुतूहल २—त्रिपुरी ..	६००
६५	श्री नरेश मेहता, दिल्ली ..	डूबते मस्तूल ..	४००
६६	श्री टीकम सिंह तोमर, आगरा ..	हिन्दी वीर कन्या ..	८००
६७	श्री नागार्जुन, दिल्ली ..	बाबा बटेसरनाथ ..	४००
६८	श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर ..	हमारे जानवर ..	४००
६९	श्रीमती पद्मावती 'शबनम', बाराणसी	चन्द्रमुखी और उनका काव्य	४००

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
	१९५४–५५		रु०
७०	श्री प्रेम नारायण शुक्ल, कानपुर ..	हिन्दी साहित्य में विविधवाद	८००
७१	डा० रवीन्द्रसहाय वर्मा, कानपुर ..	हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव	८००
७२	स्व० श्री विद्याधर महाजन, होशियारपुर	श्री गांधी चरित मानस ..	५००
७३	श्री राज वल्लभ ओझा, लखनऊ ..	बदलते दृ य ..	५००
७४	श्री शिवचन्द्र नागर, इलाहाबाद ..	महादेवी ..	४००
७५	श्री रामप्रसाद भटनागर, मुरादाबाद..	शिक्षा में आंकणों का प्रयोग	५००
७६	श्री शान्ति प्रिय द्विवेदी, वाराणसी ..	दिगम्बर ..	८००
७७	श्री लालकृष्ण अग्रवाल, वाराणसी ..	मानव और मशीन ..	३००
७८	श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, लखनऊ ..	नौजवान ..	५००
७९	प्रो० क्षेम, जौनपुर ..	छायावाद की काव्य साधना	५००
८०	श्री पोद्दार रामावतार 'अरुण', समस्तीपुर ..	विदेह ..	५००
८१	श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़, बाराणसी..	उपहार ..	५००
८२	डा० श्री गोपालतिवारी, नैनीताल ..	भारतीय अर्थशास्त्र ..	६००
८३	श्री भोलानाथ तिवारी, इलाहाबाद ..	शब्दों का जीवन ..	४००
८४	श्री गोविन्दराय जैन, झांसी ..	कुराल काव्य ..	४००
८५	श्री रघुवीरशरण मित्र, मेरठ ..	आग और पानी	४००
८६	श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, इलाहाबाद..	जीवन चक्र ..	५००
८७	श्री चतुर्सेन शास्त्री, दिल्ली ..	सोमनाथ ..	६००
८८	श्री देवीदयाल चतुर्वेदी, इलाहाबाद ..	हवा का रुख ..	३००
८९	श्री निधि सिद्धांतालंकार, दिल्ली ..	शिवालक की घाटियों में ..	५००
९०	श्री नीलकंठ तिवारी, बम्बई ..	भावना के फूल ..	५००
९१	डा० दशरथ ओझा, दिल्ली ..	हिन्दी नाटक उद्भव और विकास	८००
९२	श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, इलाहाबाद..	चक्र व्यूह ..	८००
९३	श्री अली अब्बास हुसैनी, लखनऊ ..	कोमल नगरी ..	५००
९४	श्री भगवती प्रसाद पन्थारी, वाराणसी	हर्ष वर्धन शिलादित्य	५००
९५	श्री राजपति दीक्षित वाराणसी ..	संत तुलसीदास और उनके सन्देश	४००
९६	श्री सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, वाराणसी ..	समाजशास्त्र के मूलतत्व ..	१,०००
९७	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाराणसी	हिन्दी साहित्य ..	१,०००
९८	डा० मुंशीराम शर्मा, कानपुर ..	भारतीय साधना और सूर साहित्य	१,०००
९९	श्री अत्रिदेव विद्यालंकार, वाराणसी..	क्लीनीकल मेडिसनि ..	१,०००
१००	डा० अवधबिहारी पांडे, वाराणसी ..	पूर्व मध्यकालीन भारत	१,०००
१०१	श्री एम० डी० टंडन और श्री वीरेन्द्र टंडन, अलीगढ़ ..	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त ..	१,०००
१०२	श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता, मेरठ ..	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त ..	१,०००
१०३	डा० के० के० शर्मा, मेरठ ..	भारतीय मुद्रा, विनिमय अधिकोषण तथा राजस्व ..	१,०००

क्रम संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५५–५६	रु०
१	श्री रामचन्द्र तिवारी, गोरखपुर ..	हिन्दी का गद्य साहित्य ..	५००
२	डा० हरवंशलाल शर्मा, अलीगढ़ ..	सूर और उनका साहित्य ..	८००
३	डा० भोलाशंकर व्यास, बाराणसी ..	हिन्दी दशरूपक ..	५००
४	सैयद इहतिशाम हुसैन, लखनऊ ..	उर्दू साहित्य का इतिहास	५००
५	श्री गोविन्द त्रिगुणायक, मुरादाबाद ..	१—कबीर और जायसी का रहस्यवाद २—दशरूपक ..	६००
६	श्री गुलाबराय, आगरा ..	मन की बातें ..	४००
७	श्री विशम्भरनाथ उपाध्याय, आगरा	हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि	४००
८	डा० उदयनारायण तिवारी, इलाहाबाद ..	भोजपुरी भाषा और साहित्य	१,०००
९	श्री रामेश्वरलाल खंडेलवाल, मेरठ ..	कविता में प्रकृति चित्रण	३००
१०	श्री शिवदान सिंह चौहान, बम्बई ..	१—हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष २—साहित्यानुशीलन ..	५००
११	श्री के० डी० वाजपेयी, मथुरा ..	बृज का इतिहास ..	६००
१२	डा० के० एम० शुक्ला, लखनऊ ..	मानस की रूसी भूमिका	५००
१३	श्री मन्मथनाथ गुप्त, इलाहाबाद ..	१—बहता पानी २—साहित्यकला समीक्षा ..	५००
१४	श्री लक्ष्मीचन्द्र वाजपेई, कानपुर ..	श्रीमती विश्वास ..	३००
१५	श्री उदयशंकर भट्ट, नई दिल्ली ..	१—नया समाज २—परदे के पीछे ..	५००
१६	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा, अलीगढ़ ..	अभिनय रामायण ..	३००
१७	श्री जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद ..	१—चीटीं चींटों की दुनिया २—स्तनपोषी जन्तु ३—हिंसक पशु ४—जन्तुओं का गृह निर्माण ५—खुरवाले जानवर ६—जन्तु बिल कैसे बनाते हैं ..	६००
१८	श्री त्रिलोचन पन्त, बाराणसी ..	इंगलैण्ड का संविधानिक इतिहास	६००
१९	डा० गोरखप्रसाद, इलाहाबाद ..	निहारिकाएं ..	७००
२०	श्री र० र० खाडिलकर, बाराणसी ..	हालैंड में पच्चीस दिन ..	३००
२१	डा० ब्रजमोहन, बाराणसी ..	गणितीय कोष ..	८००
२२	डा० फुन्दन लाल, बरेली ..	आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा	३००
२३	सुश्री निर्मला शेरजंग, दिल्ली ..	मनोविज्ञान ..	४००
२४	श्री हीरालाल दीक्षित, लखनऊ ..	आचार्य केशवदास ..	७००
२५	डा० सैयद ऐजाज हुसेन, इलाहाबाद ..	१—अकबर इलाहाबादी २—गजलों के बादशाह महाकवि मीर	३००

क्रम-संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५५–५६	रु०
२६	श्री गिरजाकुमार माथुर, लखनऊ ..	धूप के धान ..	३००
२७	श्री उजागर सिंह, वाराणसी ..	भारत का नवीन आर्थिक भूगोल	५००
२८	श्री ललितकिशोर सिंह, वाराणसी ..	ध्वनि और संगीत ..	४००
२९	श्री डी० पी० धूलिया, इलाहाबाद ..	चित्र दर्शन ..	३००
३०	श्री द्रालशौरि रेड्डी, मदरास ..	पंचामृत ..	३००
३१	श्री रामाज्ञा द्विवेदी, इलाहाबाद ..	अवधी कोष ..	७००
३२	श्री फूलदेव सहाय वर्मा, पटना ..	रबर ..	७००
३३	श्री यतेन्द्र कुमार, अलीगढ़ ..	शेली ..	३००
३४	श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव, दिल्ली ..	नेपाल की कहानी ..	३००
३५	डा० सैयद अतहर अब्बास रिजवी, बुलन्दशहर ..	खिलजी कालीन भारत ..	८००
३६	श्री यदुनन्दन कपूर, अलीगढ़ ..	अशोक ..	३००
३७	श्री विमलकुमार जैन, दिल्ली ..	सूफीमत और हिन्दी साहित्य	६००
३८	श्री श्रीराम शर्मा, हैदराबाद ..	दक्खिनी पद्य और गद्य	३००
३९	डा० शम्भनाथ पांडेय, लखनऊ ..	आधुनिक हिन्दी काव्य में निराशावाद ..	६००
४०	श्री रामदरश मित्र वाराणसी ..	वृन्दावनलाल वर्मा ..	३००
४१	श्री श्यामलाकान्त, बलिया ..	आधुनिक समीक्षा ..	३००
४२	डा० सत्यव्रत सिंह, लखनऊ ..	हिन्दी काव्य प्रकाश ..	५००
४३	श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, ग्वालियर ..	भध्यदेशीय भाषा ..	४००
४४	श्री नामवर सिंह, वाराणसी ..	१—छायावाद २—पुरानी राजस्थानी	४००
४५	डा० प्रेमशंकर ..	प्रसाद का काव्य ..	६००
४६	श्री शिवप्रसाद सिंह, बाराणसी ..	कीर्तिकला और अवहट्ट भाषा	४००
४७	श्री विनोदशंकर व्यास, वाराणसी ..	योरोपीय साहित्य ..	४००
४८	श्री गिरजानन्दन शुक्ला, इलाहाबाद	समीक्षा प्रवर श्री रामचन्द्र शुक्ल	५००
४९	श्री त्रिभुवन सिंह, वाराणसी ..	हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद	५००
५०	श्री स्वामी रामानन्द शास्त्री, हरिद्वार	सन्त रविदास और उनका काव्य	४००
५१	श्री हरिकान्त श्रीवास्तव, जबलपुर ..	भारतीय प्रेमाख्यान काव्य	६००
५२	श्री नारायणदास खन्ना, लखनऊ ..	आचार्य भिखारीदास ..	६००
५३	श्री व्रजविलास श्रीवास्तव, दिल्ली ..	पृथ्वीराज रासों में कथानक रूढ़ियां	४००
५४	डा० देवराज, लखनऊ ..	आधुनिक समीक्षा ..	५००
५५	डा० भोलानाथ, प्रयाग ..	हिन्दी साहित्य ..	६००
५६	श्री विनय मोहन शर्मा, नागपुर ..	गीत गोविन्द ..	४००
५७	श्री रामस्वरूप मिश्र, लखनऊ ..	कृष्णायन ..	३००
५८	श्री लाल रुद्रनाथ सिंह, फैजाबाद ..	श्री सौमित्र विजय ..	३००
५९	श्री जगदीश गुप्त, इलाहाबाद ..	नाव के पांव ..	३००
६०	श्री मोहनलाल गुप्त, वाराणसी ..	१—राम झरोखा २—मखमली जूती	४००

क्रम-संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धंन
१	२	३	४
			रु०
६१	श्री रामकुमार चतुर्वेदी, ग्वालियर . .	धूल का परिचय . .	३००
६२	श्री श्यामनारायण प्रसाद, वाराणसी. .	झांसी की रानी . .	३००
६३	श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, नैनीताल . .	जल समाधि . .	४००
६४	सुश्री शीला शर्मा, दिल्ली . .	एक था . .	३००
६५	श्री अक्षय कुमार जैन, दिल्ली . .	युग पुरुष राम . .	३००
६६	श्री भगवती प्रसाद वाजपेई, लखनऊ	१—निर्यातन २—यथार्थ से आगे ३—भूदान . .	६००
६७	श्री इलाचन्द्र जोशी, इन्दौर . .	जहाज का पंछी . .	५००
६८	श्री विद्यानिवास मिश्र, रीवां . .	कदम की फूली डाल . .	३००
६९	श्री शान्ति प्रिय द्विवेदी, वाराणसी . .	साकल्य . .	६००
७०	श्रीमती सत्यवती मल्लिक, दिल्ली . .	१—अमर पथ २—दिन रात . .	४००
७१	श्री वैजनाथ सिंह , वाराणसी . .	भारतीय जीवन की समाजवादी समीक्षा	३००
७२	श्री भगवतशरण उपाध्याय, इलाहाबाद	कलकत्ता से पीकिंग . .	३००
७३	श्री हरीशचन्द्र खन्ना, नई दिल्ली . .	रेडियो नाटक . .	३००
७४	श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, नई दिल्ली	देव और मानव . .	४००
७५	डा० रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद . .	रिमझिम . .	४००
७६	श्री कुंवरचन्द्र प्रकाश सिंह लखीमपुर	कविकुल गुरू . .	३००
७७	श्री बनारसीदास करुणाकर, अलीगढ़	सिद्धार्थ बुद्ध . .	३००
७८	श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, इलाहाबाद	१—कवि भारतेन्दु २—कावेरी में कमल . .	६००
७९	श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, काशी . .	धन्यवाद . .	४००
८०	श्री यशपाल, लखनऊ . .	१—तुमने क्यों कहा था मैं सुन्दर हूं २—सिंहावलोकन	६००
८१	आचार्य विशेश्वर, मथुरा . .	हिन्दी वक्रोक्ति जीवित . .	७००
८२	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, कानपुर . .	सांख्यकी के सिद्धान्त और प्रयोग	५००
८३	श्री एस० सी० काला, इलाहाबाद . .	सिंधु सभ्यता . .	४००
८४	श्री बल्देव उपाध्याय, वाराणसी . .	वैदिक साहित्य और संस्कृति	५००
८५	आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति, हरिद्वार . .	वेदोद्यान के चुने हुये फूल	४००
८६	प्रो० रघुराज सिंह रंजन, ग्वालियर . .	हमारे पड़ोसी देश . .	३००
८७	श्री अत्रिदेव विद्यालंकार, वाराणसी . .	चरक संहिता का अनुशीलन	३००
८८	श्री वागेश्वरी प्रसाद वर्मा, इलाहाबाद . .	जापान, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया	३००
८९	डा० सत्यप्रकाश, इलाहाबाद . .	कुछ आधुनिक आविष्कार	४००

क्रम-संख्या	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	धन
१	२	३	४
		१९५५–५६	रु०
९०	श्री हरि मोहन जैन, इलाहाबाद ..	संयुक्त राज अमेरिका की शासन प्रणाली	५००
९१	श्री विश्वनाथ तिवारी, बलिया ..	मानचित्र निरूपण ..	६००
९२	श्री सुधाकर पांडे, वाराणसी ..	मुद्रा और बैंक ..	५००
९३	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, काशी ..	नेहरू और भारतीय राजनीति	३००
९४	श्री रामचन्द्र वर्मा, काशी ..	शब्द साधना ..	६००
९५	श्री लालधर त्रिपाठी, वाराणसी ..	छत्रसाल ..	४००
९६	श्री द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, लखनऊ ..	भारतीय वास्तु शास्त्र ..	८००
९७	श्री सुशील चन्द्र सिंह, सागर ..	महत्वपूर्ण शासन प्रणालियां ..	५००
९८	श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, वाराणसी ..	पाणिनिकालीन भारतवर्ष	१,२००
९९	श्री रामप्रसाद टंडन, इलाहाबाद ..	व्यापार, उसकी कठिनाइयां और उपाय	३००
१००	श्री महेन्द्र कुमार जैन, वाराणसी ..	जैन दर्शन ..	५००
१०१	श्री अमृतलाल नागर, लखनऊ ..	एक दिल हजार दास्तां ..	४००
१०२	श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, इलाहाबाद ..	संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएं	४००
१०३	श्री अवध बिहारी पांडे ..	उत्तर मध्यकालीन भारत ..	१,०००
१०४	डा० निहाल करण सेठी, आगरा ..	प्रकाश विज्ञान ..	१,०००
१०५	श्री प्रतिपाल सिंह ..	बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य	१,०००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५८ पर)

तालिका

इस वर्ष राजकीय प्रकाशकों के मुद्रण तथा प्रकाशन का कार्य आगरा की निम्नांकित संस्थाओं को दिया गया है :—

१—मेसर्स शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं०, आगरा. .	बेसिक रीडर भाग १
२—मे० उत्तर चन्द कपूर एण्ड कं०, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग १
३—मे० श्रीराम मेहरा एण्ड कं०, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग २
४—मे० गोवर्धनदास जैन, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग २
५—मे० रामप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग २ और बेसिक अंकगणित भाग ३
६—मे० गया प्रसाद एण्ड सन्स, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग ३
७—मे० बंसल प्रेस, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग ५
८—मे० राष्ट्रीय सेवक प्रकाशन मंडल, आगरा . .	बेसिक रीडर भाग ५
९—मे० रतन प्रकाशन, आगरा . .	बेसिक अंकगणित भाग २
१०—मे० महावीर प्रेस, आगरा . .	बेसिक अंकणित भाग २
११—मे० सुदर्शन प्रकाशन, आगरा . .	बेसिक अंकगणित भाग ३
१२—मे० शिरोमणि ब्रदर्स, आगरा . .	बेसिक अंकगणित भाग ४
१३—मे० आगरा बुक स्टोर्स, आगरा . .	कृषि और सरल विज्ञान भाग २
१४—मे० साहित्य रत्न भंडार, आगरा . .	कृषि और सरल विज्ञान भाग ३
१५—मे० लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एण्ड सन्स, आगरा . .	हमारे पूर्वज भाग १

नत्थी 'ध'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निश्चित करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनाँक निश्चित किये जा सकते हैं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ ई० की धारा २ का संशोधन।

२--इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (जिसे आगे से "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में--

(१) खण्ड (ए) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (ए ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*aa*) 'Director of Education' means the Director of Education, Uttar Pradesh".

(२) खण्ड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (बी बी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*bb*) 'Inspector' means the District Inspector of Schools and includes an officer authorized by the State Government to perform any or all the duties of the Inspector".

(३) खण्ड (डी) के पश्चात् निम्नलिखित एक नए खण्ड (डी डी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*dd*) 'Regional Deputy Director, Education' means the Deputy Director of Education in charge of a region and includes an officer authorized by the State Government to perform any or all the duties of the Deputy Director".

(४) खण्ड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (एफ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(*f*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३---मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) का खण्ड (ओ) निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ ई० की धारा ३ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा ३--ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ३ का संशोधन।

"3-A. The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board to be detrimental in the public interest :

"*Removal of member.*"

Provided that the State Government shall before removing a member as aforesaid give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal."

५--मूल अधिनियम की धारा ९ में :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा ९ का संशोधन।

शब्द "he" तथा "his", जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "it" तथा "its" रख दिये जायं।

६--मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें १६-ए, १६ बी, १६-सी, १६-डी, १६-ई, १६-एफ, १६-जी तथा १६-एच के रूप में बढ़ा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ में नई धारा का बढ़ाया जाना।

16-A. Notwithstanding anything in any law, document, or decree or order of a Court, or other instrument, there shall be a scheme of Administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every institution whether recognized before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1956 or after the said commencement. The Scheme shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Headmaster, or the Principal, as the case may be, of the institution and one teacher thereof, who shall be selected by rotation according to seniority, in the manner to be prescribed by regulations, shall be *Ex-offico* member of the Committee of Management.

"*Instrument of Management.*"

(2) The Scheme of Administration shall also describe the respective powers, duties and functions of the Head Master or as the case may be the Principal and Committee of Administration in relation to the institution.

(3) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority there shall be a separate committee of Administration for each institution unless otherwise provided in the rules prescribed by the State Government for any class of institutions.

(4) The Scheme of Administration of every institution prepared in accordance with sub-section (2) shall be subject to the approval of the Director of Education, and no amendment to or changes in the scheme shall be made at any time without the prior approval of the Director.

(5) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with sub-section (1) and sections 16-B and 16-C.

16-B. (1) In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1956, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director of Education for his approval in accordance with section 16-C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for recognition.

(2) If an institution which is already recognized at the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1956, fails to comply with the provision of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director may in his discretion either allow a further term, not exceeding twelve months, or make an order withdrawing the recognition and thereupon the institution shall, notwithstanding anything in this Act, be deemed to have ceased to be a recognized institution.

16-C. (1) The Director of Education may either approve the draft scheme of Administration submitted under section 16-B, or suggest any alteration or modification therein. Whenever the Director shall so suggest any alteration or modification in the scheme, he shall send a copy of the same to the institution giving his reasons therefor and requesting the institution to make representation, if any, within a time to be specified.

(2) The Director of Education shall consider any representation made in pursuance of the requisition under sub-section (1) and may either approve the scheme of Adminsitration subject to the alteration and modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper.

16-D. (1) The Director of Education may cause a recognized institution to be inspected from time to time.

Inspection of recognized institution, and removal of defects.

(2) The Director of Education may direct a management to remove any defects or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) If the management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by the management—

(*a*) refer the case to the Board for withdrawal of recognition ; or

(*b*) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (4).

(4) If on the receipt of a recommendation under sub-section (3) the State Government is satisfied that—

(*a*) the affairs of the recognized institution are being mismanaged ; or

(*b*) the management of the institution has persistently failed in the performance of its duties ; or

(*c*) the institution is being conducted otherwise than in accordance with the scheme of Administration, or

(*d*) it is otherwise necessary in the interest of the general public so to do,

it may by order make provision—

(i) for exercising control over such institution by authorizing any person (hereinafter referred to as an "Authorized Controller"), to exercise with respect to such institution and its management such functions of control as may be specified in the order, and on the making of such order the institution and its Management, as the case may be, shall, so long as the order continues in force, be conducted and carried on in accordance with any directions given by the Authorized Controller in accordance with the provisions of the order, and every person having any function of Management of such institution shall comply with such directions, and

(ii) for any incidental or supplementary matter which appears to the State Government necessary or expedient for the purpose of the order.

The period for which an order under this sub-section is made may be extended by the State Government from time to time.

Where the Management or any person having any function of management does not comply with or refuses to carry out any direction given by the Authorized Controller under and in accordance with the order under sub-section (4), the Authorized Controller may, with the previous approval of the State Government and for such period as the State Government fix, take over the management of the institution including management of the land, buildings, funds and other assets belonging to or vested in the institution, to the exclusion of the Management or any such person and whenever the Authorized Controller so takes over the managements, he shall be deemed to be acting as the agent of the Management and subject only to such restrictions as the State Government may impose, shall have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the Management would have if the institution were not taken over under sub-section (4) or this sub-section.

(6) No person who is appointed Authorized Controller under sub-clause (*i*) of clause (*a*) of sub-section (4) shall be personally liable for acts done by him in good faith in performance of the duty entrusted to him.

(7) Any order made or directions given under sub-section (4) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the Management and control of the institution.

(8) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (i) of sub-section (3) and no order made or direction given under sub-section (4) shall be called in question in any Court.

(9) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the authorized controller under any other law.

16-E. (1) Qualifications for appointment as Principals, Headmasters and teachers of different subjects at different stages of the course shall be prescribed by regulations:

Appointment of teachers.

Provided that the Board may exempt from the requirements of minimum qualifications any person who may be recommended by the Director of Education having regard to his experience educational and other attainments.

(2) There shall be constituted in every recognized institution a selection committee for the purpose of selecting candidates for appointment as teachers in the institution. The head of the institution shall be an *Ex-officio* member of the committee.

(3) There shall likewise be constituted a Selection Committee for the selection of a Principal or Headmaster in an institution of which the Inspector of Schools shall be the Chairman.

(4) The constitution of the selection committee referred to in sub-sections (2) and (3), the conduct of business at their meetings and other matters shall be prescribed by Regulations.

16-F. (1) No person shall be appointed as a Principal, Headmaster or teacher in a recognized institution unless he—

(*a*) possesses the prescribed qualifications or has been exempted under sub-section (1) of section 16 E,

(*b*) has been recommended by selection committee constituted under sub-section (2) or (3), as the case may be, of the said section and approved, in the case of Principal or Headmaster, by the Regional Deputy Director of Education, and, in the case of a teacher, by the Inspector.

(2) The names of selected candidates shall be forwarded for approval, in the case of a teacher, by the Principal or Headmaster to the Inspector, and, in the case of Principal or Headmaster, by the Inspector to the Regional Deputy Director of Education. A Statement showing the names, qualifications and other particulars as may be prescribed, of all candidates who may have applied for selection shall also be sent.

(3) If the Inspector is satisfied that for any institution no candidate, who possesses all the prescribed qualifications, is available for appointment he may permit the institution to employ as a temporary measure any suitable person, provided that such temporary appointment shall not be made for more than a year except in a leave vacancy:

(4) Where the Regional Deputy Director of Education or the Inspector, as the case may be, disapproves of any name proposed under sub-section (1), the management may, within three weeks of the receipt of the disapproval, make a representation against it to the Director of Education in the case of a Principal or Headmaster and to the Regional Deputy Director of Education in the case of a teacher, and the decision of the Director or the Regional Deputy Director as the case may be in the matter shall be final.

16-G. (1) Every teacher including Principal or Head-master in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement, between the Management and the teacher in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.

Conditions of service of teachers.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the Regulations may provide for—

(*a*) the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment,

(*b*) the scales of pay,

(*c*) transfer of service from one recognized institution to another,

(*d*) the minimum hours of work including extra curricular duties and restrictions on acceptance of work not connected with the institution,

(*e*) grant of leave and Provident Fund benefit,

(*f*) Maintenance of record of work.

(3) (*a*) No Principal, Head master or teacher may be suspended or discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments except with the previous approval in writing of the Inspector.

(*b*) The Inspector may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment proposed by the management:

Provided that before according his approval the Inspector shall, except in the case of suspension, give an opportunity to the Principal, the Head master or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted,

(*c*) An appeal against the order of the Inspector according to approval in cases of removal, discharge, dismissal, or reduction in rank or emoluments may be made to the Regional Deputy Director of Education within one month from the date of such order being communicated to the parties concerned and the Regional Deputy Director of Education may after such enquiry as he considers necessary confirm the order or reject or modify it.

(*d*) The order passed by the Regional Deputy Director of Education may be reviewed by the Director of

Education, on the application of the party aggrieved made within one month of the receipt of the order of the Regional Deputy Director of Education. The order of the Director of Education in revision shall be final.

(4) An order made or decision given by the competent authority under sub-section (3) shall not be questioned in any court and the parties concerned shall be bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may be specified therein.

(5) In this section and in sections 16-E and 16-F the powers conferred on or the duties assigned to the Inspector and the Regional Deputy Director of Education shall, in the case of institutions for girls, be respectively exercised or discharged by the Regional Inspectress of Girls' Schools and the Deputy Director of Education for women.

16-H. (1) The provisions of sections 16-A, 16-B, 16-C, sub-sections (2) to (7) of section 16-D and of sections 16-E, 16-F and 16-G shall not apply to recognized institutions maintained by the State Government or the Central Government.

Exemption of certain classes of institutions from the operation of certain sections.

(2) In the case of recognized institutions maintained by a local body the State Government may declare that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alterations, modifications or additions as it may make.

संक्रमणकालीन उपबंध ।

७—(१) मूल अधिनियम या इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये वह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर, उस प्रत्येक विषय पर जिस पर बोर्ड विनियम बना सकता है, उक्त अधिनियम के अधीन विनियम बनाये और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम उस समय तक प्रचलित बना रहेगा जब तक मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्यवाही कर के उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बने समस्त विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और वे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे जब तक कि उस प्रयोजन के लिये कोई दूसरा दिनांक न निर्दिष्ट किया जाय ।

9-2-90

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में माध्यमिक शिक्षा, इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ द्वारा, जो पैंतीस वर्ष पूर्व अधिनियमित हुआ था शासित होती है। तब से पर्याप्त सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो चुके हैं और शिक्षा का प्रसार भी अधिक हुआ है ।

सरकार ने इस राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनस्संगठन के निमित्त सन् १९३८ ई० में आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशें स्थूल रूप से स्वीकार कर ली गयी थीं तथा उन्हें समय-समय पर उत्तरोत्तर प्रचलित भी किया गया था। १९५२ में एक दूसरी समिति, अर्थात् माध्यमिक शिक्षा पुनस्संगठन समिति, आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में, उन परिवर्तनों के परिणामों के निर्धारणार्थ नियुक्त की गयी थी जो उस समय तक प्रचलित किये जा चुके थे । ऐसा अनुभव हुआ था कि राज्य में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रतिमान (Standards) एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अनुशासन और कार्य में संलक्ष (perceptible) हीनता आ गयी थी। यह भी पता चला था कि स्वयं बोर्ड के असंतोषप्रद कार्य संचालन ने भी इस स्तर पर शिक्षा के ह्रास में योग दिया था । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में सर्वांगीण सुधार करने के निमित्त सरकार का शिक्षा विभाग समझता है कि यह आवश्यक है कि प्राधिकृत नियंत्रक (Authorized Controllers) इत्यादि नियुक्त करने के, तथा शिक्षा संचालक को निरीक्षण के कतिपय अधिकार प्रदान करने के, अधिकार प्राप्त कर लिये जायं।

तदनुसार यह विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

हरगोविंद सिंह,
शिक्षा मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--१९० एल० ए०--१९५६--७९६ ।